राजभाषा भारती

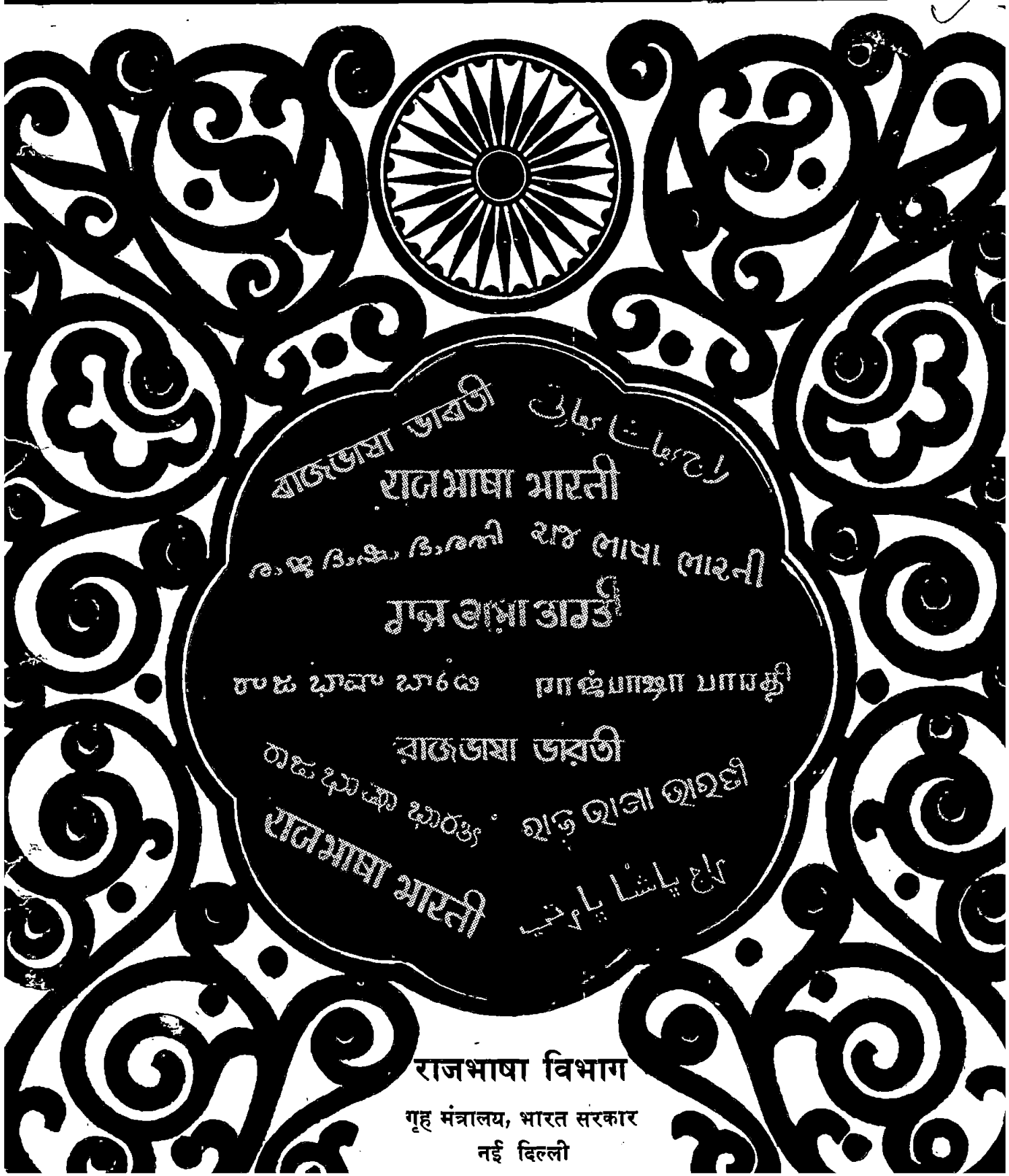

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त

(जन्मशताब्दी समारोह विवरण पृष्ठ 7 पर)

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

जुलाई—सितम्बर, 1986 वर्ष 9, अंक 34

संपादक :

डॉ० महेशचन्द्र गुप्त

उप संपादक :

जयपाल सिंह

पत्र व्यवहार का पता :

संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (प्रथम तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली-110 003

फोन : 617657

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभिव्यक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

(नि:शुल्क वितरण के लिए)

विषय-सूची

		पृष्ठ
श्री ख्वाजा बदीउज्जमा : एक श्रद्धांजलि		1
कुछ अपनी—कुछ आपकी		3
1. 'पूर्ति विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करें।'	श्री ब्रह्मदत्त	6
2. श्री मैथिलीशरण गुप्त	श्री जगदम्बी प्रसाद	7
3. केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान : एक परिचय	डा० धर्मवीर	10
4. हिन्दी वैज्ञानिक पत्रिकाएं : उपलब्धियां और अपेक्षा	श्याम सुन्दर शर्मा	20
5. विग्दर्शन : नागरी लिपि एवं हिन्दी	डा० सर्वदानन्द द्विवेदी	22
6. हिन्दी चली समंदर पार : हिन्दी के विदेशी विद्वान : सुरीनाम में	—प्रस्तुति रागिनी सिन्हा	26
7. समिति समाचार –		
(क) मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें : (कुछ प्रमुख निर्णय)		28
1. इलैक्ट्रानिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग		28
2. ऊर्जा मंत्रालय		33
3. राजस्व और व्यय विभाग		36
4. वस्त्र मंत्रालय		38
5. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय		38
(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें		39
1. अहमदाबाद		39
2. सिकंदराबाद		41
3. पणजी, गोवा		41
4. आइजल (मिजोरम)		42
5. ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)		42
6. नई दिल्ली (संघ लोक सेवा आयोग)		43
7. नई दिल्ली (समाचार सेवा प्रभाग)		43
8. अलीगढ़		44
9. जोधपुर		45
10. सोनपुर		45

पृष्ठ

8. हिन्दी कार्यशालाएं
   1. इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेकनोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, बेंगलूर 46
   2. प्रागा टूल्स लिमि० सिकन्दराबाद (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) 46
   3. दक्षिण मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद 46
   4. आकाशवाणी, नागपुर 48
   5. विस्तार निदेशालय 48
   6. निरीक्षण निदेशालय (अनु०) नई दिल्ली 48
   7. इलाहाबाद बैंक, नई दिल्ली 49
   8. आयकर आयुक्त प्रभाग, हरियाणा, रोहतक 49
   9. केनरा बैंक, जयपुर 50
   10. बैंक आफ इण्डिया, जयपुर 50
9. हिन्दी दिवस/सप्ताह 50
   1. राइफल फैक्टरी, ईशापुर 51
   2. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की 51
10. विविध 52
   1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जम्मू द्वारा हिन्दी समारोह का आयोजन 54
   2. पुणे टेलीफोन्स में टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन 54
   3. कुमाउनी हिन्दी शब्दकोश का विमोचन 54
   4. राष्ट्रीयकृत बैंक, हिन्दी अधिकारी संगम द्वारा विचारगोष्ठी का आयोजन 55
   5. "सेल" निगमित कार्यालय में हिन्दी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण 55
   6. रांची में राजभाषा समारोह का आयोजन 56
   7. संसदीय संकल्प को पूरा करने का संकल्प लें 57
   8. गैर हिन्दीभाषी रेल कर्मचारियों का दल वाराणसी में 57
   9. अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन : तीन संगोष्ठियां 58
   10. यूनियन बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से सचिव (रा० भा०) की चर्चा 59
11. आदेश–अनुदेश 60
   1. इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना 62
   2. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए शील्ड देने की व्यवस्था (वर्ष 1985–86) 63
   3. हिन्दी/हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारियों को नामित करने की आवश्यकता 65
   4. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण देने की अनिवार्य शर्त से छूट का स्पष्टीकरण। 65
   5. ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग की "कोयला हिन्दी ग्रन्थ पुरस्कार योजना" 66
12. कृषि संबंधी पुस्तकों की सूची 66

ख्वाजा बदीउज्जमा : एक श्रद्धांजलि

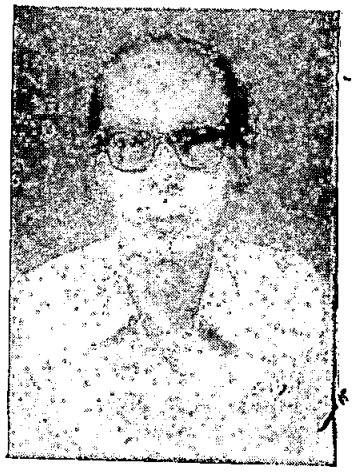

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के संयुक्त निदेशक श्री ख्वाजा बदीउज्जमां का 16 मई, 1986 को प्रातः 5 बजे निधन हो गया। वे गत कुछ महीनों से बीमार थे। 14 मई की शाम को जब वे जिन्दगी और मौत की कश्मकश में उलझे थे, हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से उन्हें अस्पताल ही में एक पत्र मिला जिसमें उनकी साहित्य सेवा के लिए उन्हें वर्ष 1984–85 के लिए पुरस्कृत किए जाने का प्रस्ताव था और उन्हें उसकी स्वीकृति–स्वरूप हस्ताक्षर करने थे। आधुनिक हिंदी कथा–साहित्य के समर्थ हस्ताक्षर श्री ज़माँ के किसी कागज पर यही अंतिम हस्ताक्षर थे।

श्री ज़माँ का, जिन्हें केन्द्रीय हिंदी निदेशालय और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के अधिकारी–कर्मचारी "ख्वाजा साहब" कहते थे, 30 सितंबर, 1928 को गया (बिहार) में जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा गया और पटना में हुई थी और उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से पहले उर्दू में तथा बाद में हिंदी में एम०ए० किया था।

ख्वाजा साहब 1953 में शिक्षा मंत्रालय के हिंदी प्रभाग में अनुसंधान सहायक (उर्दू) के पद पर नियुक्त हुए थे। भारत सरकार में आने से पहले वे भद्रक (उड़ीसा) के एक कालेज में उर्दू के प्राध्यापक थे। हिंदी के क्षेत्र में आने के बाद उर्दू से उनका उतना निकट का संबंध नहीं रहा और उन्होंने "दिनकर : हयात और शायरी" नामक पुस्तक लिखने के बाद अपना अधिकांश साहित्य सृजन हिंदी में किया। उनके हिंदी गद्य की प्रौढ़ता और प्रवाह के पीछे उनकी उर्दू की पृष्ठभूमि स्पष्ट झलकती है।

1960 में जब केन्द्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई तो वे सहायक शिक्षा अधिकारी थे, 1963 में सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत हुए और 1973 में उप निदेशक बने। मृत्यु के दो वर्ष पूर्व उन्होंने ब्यूरो में संयुक्त निदेशक का कार्यभार संभाला। निदेशालय और ब्यूरो में विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने शब्दावली–निर्माण, कोश–निर्माण, अनुवाद, पुनरीक्षण, अनुवाद–प्रशिक्षण आदि विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में भारी योगदान दिया। छठे दशक के अंत में बर्ट्रेण्ड रसेल की प्रख्यात पुस्तक कांक्वेस्ट आफ हेपिनेस का "सुख ही साधना" के नाम से हिंदी में अनुवाद किया। कुछ वर्ष बाद लाला लाजपतराय लिखित दो पुस्तकों "मैजिनी" और "गैरी बाल्डी" का अनुवाद किया। सातवें दशक में उन्होंने कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य में पदार्पण किया और पहली कहानी "विरेचन" लिखी, जो दिल्ली से प्रकाशित मासिक पत्रिका "उपलब्धि" में छपी। उसके बाद "जिन्दा लाश के लिए कफन" साप्ताहिक हिन्दुस्तान में और "छाको की वापसी" सारिका में छपी जिन्हें बहुत सराहा गया।

उपन्यासकार के रूप में उनका पहला उपन्यास "एक चूहे की मौत" 1967 में प्रकाशित हुआ। फन्तासी शैली में लिखा गया यह उपन्यास हिंदी के गिने–चुने बहुचर्चित उपन्यासों में से एक है और एक नए प्रयोग के रूप में आलोचकों ने इसकी बहुत सराहना की है। इस उपन्यास पर उन्हें मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद का सर्वोच्च उपन्यास पुरस्कार भी प्रदान किया गया था।

उनका लेखनकाल लगभग बीस वर्ष रहा जिसमें उन्होंने तीन कहानी संग्रह–"अनित्य"; "पुल टूटते हुए" और "चौथा ब्राह्मण"–प्रकाशित किए, जिनमें "पुल टूटते हुए" को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। इन कहानी संग्रहों में मुस्लिम जनजीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है और साथ ही महानगरीय जीवन की प्रस्तुति भी। आधुनिकता से युक्त होने के साथ–साथ इन कहानियों में भारतीय जनजीवन के अनेक पक्ष उद्घाटित हुए हैं। उनके उपन्यास "एक चूहे की मौत" तथा उनके समग्र कथा–साहित्य पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध प्रबंध भी लिखे गये।

ख्वाजा साहब की प्रतिभा बहुमुखी थी, कथाकार के रूप में तो उनकी ख्याति हुई ही, एक समर्थ आलोचक के रूप में भी उनका एक विशिष्ट स्थान है। धर्मवीर भारती की रचना "सूरज का सातवां घोड़ा" पर उनका विस्तृत आलोचनात्मक निबंध, "दिनकर" के काव्य पर उनकी पुस्तक और अन्य अनेक आलोचनात्मक लेख इस विधा में उनकी सबल लेखनी के कुछ उदाहरण हैं। यदि वे कुछ और वर्ष जिए होते तो निश्चय ही हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि में बहुत कुछ योगदान करते। उनकी कई रचनाएं बीमारी के कारण अधूरी रह गई हैं। यदि जिन्दगी ने उनसे वफ़ा की होती तो वे उन्हें पूरा करते और उनका अधूरा उपन्यास "समापर्व" निस्संदेह हिंदी साहित्य में एक संगमील का दर्जा पाता।

उनकी क्षीण, दुर्बल काया के भीतर एक महान और सशक्त आत्मा निवास करती थी। वे एक योग्य अधिकारी तो थे ही, यह कहना भी अत्युक्ति न होगी कि भारत सरकार में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा अन्य संबद्ध कार्यों में उनका भारी योगदान रहा है। योग्यता और कार्यनिष्ठता तो उनमें थी ही, अधिकारी-पद पर बैठकर भी अपने सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ उनका व्यवहार सदा बड़ा ही सौम्य, सौहार्द-पूर्ण और स्नेह भरा था। उच्च अधिकारियों का सम्मान, साथियों से भरपूर सहयोग, अधीनस्थों का यथेष्ट मार्गदर्शन और सहायक और इनसे भी बढ़कर उनकी अद्भुत मानवीयता। इस लंबी अवधि में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति उनके संपर्क में आया हो जिसे उनसे शिकायत रही हो या जिसका जो प्राप्य था वह उसे उनके हाथों न मिला हो। किसी का अहित स्वयं तो क्या करते, दूसरे को करते देखकर भी उनका हृदय द्रवित हो उठता था और वे चिन्तित रहते थे और यथाशक्य किसी की भी भरी आंखें देखकर अपनी आस्तीन बढ़ा देते थे। उनकी अचानक मृत्यु से केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की अपूरणीय क्षति हुई है। □

"जब तक इस देश का राज-काज अपनी भाषा में नहीं चलेगा तब तक हम यह नहीं कह सकते कि देश में स्वराज्य है"

—मोरारजी देसाई

कुछ अपनी

हमें यह सूचित करते हुए अत्यन्त खेद है कि राजभाषा विभाग के 'केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो' के संयुक्त निदेशक श्री ख्वाजा बदीउज्जमा का 16 मई, 1986 को निधन हो गया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी 'ख्वाजा साहब' ने सरकारी सेवा में विभिन्न पदों पर सेवारत रहते हुए हिन्दी साहित्य की प्रचुर सेवा की है। इस अंक के माध्यम से राजभाषा परिवार उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।

6 अगस्त, 1986 को राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्तजी के 100 वर्ष पूरे हो गये हैं। इस अवसर पर सम्पूर्ण राष्ट्र उनकी जन्मशताब्दी समारोह मना रहा है। राष्ट्रीय जागरण के महाकवि श्री गुप्त के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, राज्य सभा सांसद श्री जगदम्बी प्रसाद यादव।

राष्ट्रपति के 27 अप्रैल 1960 के आदेशानुसार केन्द्र सरकार के हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान कराने के लिए उनका सेवा कालीन प्रशिक्षण अनिवार्य है। यद्यपि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिन्दी शिक्षण योजना लागू है तथापि इस क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति की सिफारिश पर भर्ती के उपरांत परिवीक्षावधि में प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। इस संस्थान के कार्यों का परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं संस्थान के निदेशक डा० धर्मवीर।

हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य में रुचि रखने वालों को इस अंक में श्री श्याम सुन्दर के लेख "हिन्दी वैज्ञानिक पत्रिका : उपलब्धियां और अपेक्षायें" से काफी उपयोगी सामग्री उपलब्ध होगी।

नागरी लिपि एवं हिन्दी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य उजागर हुए हैं डा० सर्वदानन्द द्विवेदी के लेख में। यह लेख हिन्दी प्रेमियों के लिए निश्चय ही संग्रहणीय होगा ऐसा हमारा विश्वास है।

विदेशों में भी हिन्दी प्रचार प्रसार के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हो रही है। सूरीनाम में हिन्दी के विदेशी विद्वानों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत कर रही हैं कु० रागिनी सिन्हा।

उपर्युक्त लेखों के अतिरिक्त अन्य स्थायी स्तंभ जैसे हिन्दी सलाहकार समितियों एवं कार्यान्वयन समितियों की गतिविधियाँ, हिन्दी कार्यशालाएं, हिन्दी दिवस/सप्ताहों से संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत की गई है। 'विविधा' एवं 'आदेश/अनुदेश' स्तम्भों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण तथ्य एवं जानकारी संग्रहित की गई है जो उपयोगी एवं संग्रहणीय होगी। आशा है अन्य अंकों की भांति यह अंक भी आपको रुचिकर और उपयोगी लगेगा। पत्रिका को अधिक उपयोगी एवं ज्ञानवर्द्धक बनाने के संबंध में हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। □

"जब तक आपके पास राष्ट्रभाषा नहीं आपका कोई राष्ट्र भी नहीं"

—मुंशी प्रेमचन्द

2—170 एम० आफ एच० ए०/एन०डी०/86

कुछ आपकी

"राजभाषा भारती" का पुष्ट अंक देखकर अच्छा लगा। इसमें पर्याप्त ऐसी सामग्री है जो हमें नये ढंग से सोचने-समझने के लिए उत्तेजित करती है। इस प्रकार के बौदिधक लेख आने चाहिएं।

राजभाषा के संवाद को सम्पूर्ण क्षमता देने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसके अच्छे परिणाम निकलने की आशा है।

डा० प्रेमशंकर
आचार्य, हिन्दी विभाग
डा० हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर

राजभाषा भारती के 28वें अंक की प्रति मुझे आज प्राप्त हुई है। राजभाषा भारती के वृहत आकार को देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ कि राजभाषा विभाग राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में सजग है और सभी संस्थानों, विभागों तथा बैंकों में राजभाषा के प्रयोग में हुई प्रगति का लेखा जोखा दिया गया है। श्री एस बी चव्हाण तथा कुमारी कुसुम लता मित्तल द्वारा दिए गए भाषणों के सार से कर्मचारियों पर निश्चय ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। प्रयोजनमूलक हिन्दी के संदर्भ में श्री श० वि० वशिमकर का लेख काफी अच्छा लगा।

सुरजीत कुमार तुली
राजभाषा अधिकारी
केनरा बैंक, मंडल कार्यालय, चण्डीगढ़।

राजभाषा भारती का 29वां अंक मिला। पत्रिका में दी गई संपुर्ण सामग्री उपयोगी एवं महत्वपूर्ण प्रतीत हुई, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा 'पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य में' स्व० प० जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित "शब्दों का अर्थ" लेख ने प्रभावित किया, जो वास्तव में विचारोत्तेजक है। डा० किशोर वासवानी का "राजभाषा हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का व्यक्तित्व" लेख भी ज्ञानवर्धक लगा तथा राजभाषा के संबंध में कई नई बातों की जानकारी मिली। हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में कार्यपालकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। वास्तव में यदि देखा जाए तो पानी का बहाव ऊपर से नीचे की ओर ही रहता है। इस दृष्टि से यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के महाप्रबंधक का आलेख हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के व्यावहारिक पक्ष से संबंधित है और काफी असर-कारी है।

कांतिलाल ठाकरे
प्रबंधक, राजभाषा विभाग
स्टेट बैंक आफ इन्दौर (प्रधान कार्यालय)

राजभाषा भारती के 29वें अंक की प्रति प्राप्त हुई। राजभाषा भारती में प्रकाशित अधिकारी विद्वान लेखकों की रचनाओं से हमारी जानकारी तो बढ़ती ही है साथ ही केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी प्रोत्साहित भी होते हैं। "राजभाषा भारती" के लिए देशव्यापी उल्लेखनीय प्रयासों की जानकारी से संबंधित विभागों/कार्यालयों का आत्मबल बढ़ता है तथा दूसरे विभागों/कार्यालयों से भी इस तरह के आयोजन करने तथा राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए समुचित प्रयास करने के लिए कटिबद्ध होने की प्रेरणा मिलती है।

राजकुमार केसरवानी
हिन्दी अधिकारी व सचिव
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क, इंदौर

राजभाषा भारती का 29 अंक प्राप्त हुआ। विभिन्न लेखों, समिति-समाचार तथा राजभाषा के बढ़ते चरणों को पढ़कर काफी प्रसन्नता हुई एवं एक उत्साह की भावना मुझ में और अधीनस्थ अधिकारीगणों में जगी है। अपनी सम्मति में इन शब्दों में व्यक्त करना चाहुंगा। "विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का उपयोग-समस्या एवं समाधान" में लेखक-द्वय ने हिन्दी में मौलिक साहित्य-सृजन पर जोर दिया हैं। विशेषकर विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों के लिये। उनकी यह उक्ति निश्चय ही हमें सचेत करती है- "कहीं ऐसा न हो जाए कि राजभाषा हिन्दी केवल अनुवाद की ही भाषा बनकर रह जाए। श्री विश्वंभर प्रसाद गुप्त के इस उल्लेख से हर्ष-मिश्रित गर्व हुआ है कि विज्ञान के विभिन्न विषयों के लिये हमारे देश में लगभग 321 पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं।

प्रो० विजयेन्द्र स्नातक ने यह लिखकर कि 'हिन्दी 'किसी एक क्षेत्र की भाषा नहीं है अनेक भाषा और बोलियों के संगम का नाम हिन्दी है' उन सबको मौन कर दिया है जो राजभाषा हिन्दी को राज्य या क्षेत्र विशेष के हित के लिए समझते हैं। आगे उन्होंने भाषा के आंकड़े देकर इस भ्रम को और भी दूर कर दिया है कि दुनिया में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अधिक है। मैं समझता हूं इससे हिन्दी के प्रसार में निश्चित रूप से अभिवृद्धि होगी और हिन्दी का प्रयोग बेहिचक किया जाएगा।

डा० किशोर वासवानी अपने लेख में काफी गहराई तक गए हैं। अनुलग्नक शब्द की उत्पत्ति उनकी अपनी कल्पनात्मकता का परिचायक है।

श्री हरिबाबू कंसल के अनुभव ऐसे व्यक्तियों के लिए सदैव प्रेरणाजनक सिद्ध होंगे जो हिन्दी में सक्षम होकर भी शासकीय कार्यों में इसका प्रयोग करने से हिचकते हैं। वास्तव में ऐसे प्रेरक प्रसंगों को जन-सामान्य तक पहुंचाकर एक आदर्श स्थापित किया जा सकता है।

श्री जोगिन्दर सिंह का शोध सराहनीय है और वे बधाई के पात्र हैं। "राजभाषा भारती" यदि इस तरह के नवीनतम शोधों की जानकारी देती रहे तो इससे अन्य लोगों को भी उत्साह मिलेगा जो इस तरह के शोध करने के इच्छुक हैं, उनके लिए एक तरह से यह पत्रिका माध्यम का कार्य करेगी।

डा० इन्द्र चन्द्र शास्त्री का लेख विषय के दृष्टिकोण से काफी अच्छा है।

अन्त में पुनः मैं यही कहना चाहूंगा कि "राजभाषा भारती" से आकाशवाणी रायपुर में राजभाषा क्रियान्वयन हेतु नये उत्साह का संचार हुआ है। पत्रिका के वितरण के लिए आभार प्रकट करते हुए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि यह पत्रिका अपने लक्ष्य में निरन्तर अभिवृद्धि करें जिससे भारत का शासकीय कार्य अधिक सुचारु ढंग से चले साथ ही राजभाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतिनिधित्व करे।

यशवंत खारात
केन्द्र निदेशक,
आकाशवाणी, रायपुर (म० प्र०)

राजभाषा भारती के 29वें अंक की प्रतियां प्राप्त हुई। धन्यवाद। राजभाषा भारती का यह अंक काफी उपयोगी बन पड़ा है। विशेष रूप से प्रो० विजयेन्द्र स्नातक, डा० किशोर वासवानी, श्री देवकी नन्दन बिष्ट, डा० इन्द्र चन्द्र शास्त्री के लेख ध्यान आकर्षित करते हैं। "पुरानी यादें नये परिप्रेक्ष्य में" शीर्षक वाला स्तम्भ विशेष रूप से पसंद आया। उम्मीद है आगामी अंकों में भी आप इस स्तम्भ में इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री प्रकाशित करते रहेंगे।

राजकुमार सैनी
उप निदेशक (राजभाषा), परिवहन मंत्रालय

राजभाषा भारती के 29 वें अंक के लिए धन्यवाद। पत्रिका का आद्योपान्त अवलोकन किया लगभग सभी लेख सारगर्भित थे जिनमें श्री हरिबाबू कंसल द्वारा लिखित हिन्दी की पहल कौन करे? प्रेरणास्पद लगा। पत्रिका का सम्पादन सराहनीय है।

नन्द कुमार व्यास
हिन्दी अधिकारी
नेशनल फिल्म डिवलपमेंट कार्पो०, बम्बई

राजभाषा भारती का 29वां अंक प्राप्त हुआ। अंक काफी उपयोगी लगा। हिन्दी के विभिन्न रूपों तथा समस्याओं पर इसमें प्रकाश डाला गया है। इसके लेख काफी दिलचस्प तथा ज्ञानवर्धक हैं। "हिन्दी की पहल कौन करे" नामक लेख विशेष रूप से अच्छा लगा।

लेकिन यह कहना भी असंगत न होगा कि अहिन्दी भाषियों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कोई सामग्री नहीं है। इसमें यदि कुछ कार्टून एवं चुटकले भी दे दिए जाएं तो और अधिक लोग इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे।

सी वी के एस राव
कर्नल
कर्नल शिक्षा, कमान मुख्यालय, फोर्ट
विलियम, कलकत्ता।

राजभाषा भारती के 29वें अंक की प्रतियां प्राप्त हुईं। यह पत्रिका बड़ी लाभप्रद एवं उपयोगी है। पत्रिका का अध्ययन करने पर यह आभास होता है कि राजभाषा के रूप में हिन्दी विभिन्न क्षेत्रों में विकास के पथ पर कितनी आगे बढ़ चुकी है। पत्रिका में छपे सभी लेख काफी महत्वपूर्ण, उपयोगी एवम् ज्ञानवर्धक है।

तं० त्र्यं० केंधे
अध्यक्ष
न० रा० का० समिति, भारतीय लेखा परीक्षा
सेवा स्टाफ कालेज, शिमला।

राजभाषा भारती का 29वां अंक अप्रैल-जून, 1985 सधन्यवाद प्राप्त हुआ। पत्रिका के इस अंक में सारगर्भित, ज्ञानवर्द्धक तथा सूचनापरक सामग्री जुटाई गई है। श्री कृपा नारायण जी का "विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी माध्यम का सफल क्रियान्वयन" प्रो० विजयेन्द्र स्नातक जी का "भारतीय भाषाओं में साम्यमूलक आन्दोलन का सूत्रपात" तथा डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री का 'शब्दों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि' लेख बहुत उपयोगी लगे। इसके अलावा स्थायी स्तम्भ "राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण" तथा "विविधा" में विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का जो विवरण दिया गया है, इससे हिन्दी में काम करने की प्रेरणा मिलती है।

"राजभाषा भारती" हिन्दी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पत्रिका की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

के० ए० अग्रवाल
महाप्रबंधक
हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कार्पो०
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

राजभाषा भारती की 29वें अंक की प्रति क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय को प्राप्त हुई।

राजभाषा भारती के इस अंक में अखिल भारतीय स्तर के कार्यालयों में राष्ट्रभाषा के प्रसार के लिए कार्यालयों द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों के विवेचन से अन्य कार्यालयों को भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों एवं आदेशों की जानकारी भी प्राप्त होती रहती है जो कि कार्यान्वयन में सहायक होती है।

प्रशासन अधिकारी
क्षेत्रीय निदेशक, हवाई अड्डा, बम्बई।

"पूर्ति विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करें"

— श्री ब्रह्मदत्त

[दि० 30-7-1986 को पूर्ति विभाग के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर माननीय राज्य मंत्री जी का भाषण उद्धृत किया जा रहा है।]

मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वाणिज्य मंत्रालय के पूर्ति विभाग में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की प्रगति बहुत अच्छी है। यहाँ के अधिकारियों तथा कर्मचारियों में इस दिशा में पर्याप्त उत्साह पाया जाता है। वस्तुतः यह विभाग हिन्दी के प्रयोग की दृष्टि से अग्रणी रहा है। आपको भी यह जानकर हर्ष होगा कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों की तुलना में सरकारी कामकाज में हिन्दी के सराहनीय प्रयोग के लिए, प्रथम स्थान प्राप्त करने पर, इस विभाग को, राजभाषा विभाग द्वारा लगातार दो वर्षों तक 'राजभाषा वैजयन्ती' प्रदान की गई थी, और फिर वर्ष 1982-83, वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के लिए भी हिन्दी में सराहनीय कार्यों के लिए इस विभाग को लगातार तीन वर्षों तक ट्राफी प्रदान की गई और विभाग के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा पदक भी प्रदान किये गए हैं।

2. मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि इस विभाग में राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा संबंधी नियमों के उपबंधों का ठीक प्रकार से अनुपालन किया जा रहा है। यहाँ नियमों के अनुसार अधिसूचनाएँ, संकल्प, कार्यालय आदेश, नियम, संसद संबंधी सभी कागजात, निविदा सूचनाएँ, विज्ञापन, मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश तथा विविध टिप्पणियाँ, वार्षिक रिपोर्ट, बजट संबंधी रिपोर्ट आदि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी की जा रही है। इस विभाग के अधिकांश कार्यालयों में 80% से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान है, और राजभाषा नियमों के नियम 10(4) के अधीन इसके दस कार्यालय अधिसूचित किये जा चुके हैं।

3. मुझे हर्ष है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसरण में, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में ठेकों तथा करार संबंधी कागजात को अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी द्विभाषी रूप में जारी करने का कार्य पिछले तीन वर्षों से शुरु कर दिया गया है। इस समय महानिदेशालय के 11 अनुभागों में यह कार्य पूरी तरह से किया जा रहा है। इससे संबंधित संशोधन पत्र भी द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं, कुछ अन्य अनुभागों में भी इस कार्य को क्रमशः शुरु करने के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है।

4. हमारे विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में हिन्दी की प्रगति सराहनीय है। चैकों को हिन्दी में जारी करने के कार्य में यह कार्यालय अग्रणी रहा है। विभाग के मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को सभी चैक हिन्दी में जारी किये जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हिन्दी भाषी क्षेत्रों की कई फर्मों और सरकारी उपक्रमों तथा निगमों को भी चैक हिन्दी में जारी किये जा रहे हैं। पिछले वर्ष इस कार्यालय द्वारा 14,676 चैक हिन्दी में जारी किये गये थे। इसके अतिरिक्त 29,282 भुगतान आदेश भी हिन्दी में जारी किए गए हैं।

5. पूर्ति विभाग तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण तथा प्रारूप का प्रशिक्षण देने के लिए तथा इस कार्य का अभ्यास कराने के लिए पिछले कई वर्षों से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। इन कार्य-शालाओं में अब तक लगभग 400 कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, और उनमें से कई कर्मचारी अपनी इच्छा से सरकारी कामकाज में हिन्दी का यथासम्भव प्रयोग भी कर रहे हैं।

6. इस विभाग के मुख्यालय तथा इसके विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। इनकी समय-समय पर विधिवत बैठकें होती हैं, जिनमें उन कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा की जाती है और इसके प्रयोग को बढ़ाने के विविध उपायों पर विचार किया जाता है।

7. इस विभाग के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ प्रोत्साहन योजना भी चलाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिये जाते हैं। गत वर्ष जिन कर्मचारियों का कार्य सराहनीय पाया गया, उन्हें आज इस समारोह में नकद पुरस्कार दिये जाएँगे। मैं इन सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि अन्य कर्मचारी भी इस दिशा में प्रयास करेंगे।

8. इस विभाग के सभी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए, विभाग की ओर से एक 'वैजयन्ती' योजना

(शेष पृष्ठ 9 पर)

श्री मैथिलीशरण गुप्त

— जगदम्बी प्रसाद यादव

[6 अगस्त, 1986 को राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त जी का सौवां वर्ष पूरा हो गया। इस अवसर पर सम्पूर्ण राष्ट्र उनका जन्म शताब्दी समारोह मना रहा है। जन्मशताब्दी समारोह पर प्रस्तुत सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं।]

महाकवि मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्रीय जागरण गान के उद्‌गाता ही नहीं बल्कि ओजस्वी स्वर देने वाले महाकवि थे। उनकी भारत-भारती उस समय राष्ट्रीय आन्दोलन में लगे लोगों के गले का कण्ठ सा बन गयी थी। वह प्रेरणादायक ग्रन्थ जन-जन में क्रान्ति की भावना जगाने में समर्थ हुआ था। बाल वृद्ध, पुरुष, नारी इसे झूम-झूम कर गाते थे, और भारत की बेड़ी तोड़ने में जूझ जाते थे। उनकी काव्य-कृति भारत-भारती तथा जयद्रथ वध की कतिपय सूक्तियों जैसे :—

अन्याय सहकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है,
न्यायार्थ अपने बन्धु को भी दण्ड देना धर्म है।

कितनी प्रेरक हैं। अपनी "यशोधरा" कृति में उन्होंने एक ओर—

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आँचल में है दूध और आंखों में पानी।।

लिखकर भारतीय नारी की दुर्दशा का चित्र खींचा है तो दूसरी ओर सिद्धार्थ पत्नी यशोधरा को एक मानिनी अर्द्धांगिनी के रूप में रूपांतरित कर गृह-लक्ष्मी के स्वाभिमान को उजागर करके नारी के वर्चस्व और स्वतन्त्र व्यक्तित्व को प्रस्तुत करके पुरुष का समभागी बनने को उत्प्रेरित किया है। "जयद्रथ-वध" मे वीर कहलाने वालों ने वीर अभिमन्यु के प्रति अन्याय किया है उसको उन्होंने जोरदार शब्दों में अंकित करके वीरोचित कर्तव्य की की ओर संकेत किया है। चाहे काव्य हो चाहे गद्य, प्रत्येक में उत्थान का आह्वान है। इतना ही नहीं, गुप्त जी ने अपनी गद्य-रचना के द्वारा हिन्दू मुस्लिम सद्‌भावना की पृष्ठभूमि भी तैयार की है। "साकेत" महाकाव्य रामभक्ति की परम्परा का एक श्रेष्ठ भारतीय काव्य है।

महात्मा गांधी ने अहिंसा का बिगुल बजा दिया था। पहले तो लोगों को लगा कि जिस अंग्रेज के राज्य में सूर्यास्त नहीं होता वह इस लंगोटी वाले के सत्य-अहिंसा के युद्ध में पराजित होकर अपना डंडा-डोरी बांध कर सात समुद्र पार कैसे अपने देश को लौट जायेगा। इस युद्ध को ओज भरी वाणी प्रदान की भारत-भारती ने जिसे गाते-गाते मचलते हुए नवजवान अंग्रेजों की तोप-गोली से जूझते शहीद होते कारागार को भरते चले गये और देश को मुक्त कराके ही दम लिया।

प्रेमचन्द उपन्यास सम्राट ने जिस प्रकार महात्मा गांधी जी की पुकार पर अपनी लेखनी को देश भर में स्वतन्त्रता युद्धाग्नि फैलाने में लगा दिया उसी प्रकार कविवर ने कविता का शंखनाद फूंक दिया और अंग्रेजों को देश आजाद कर भाग जाना पड़ा। उन्होंने राष्ट्र को राष्ट्रीयता की वाणी दी। इस कारण ही देश के बुद्धिजीवियों ने उनको कवि के रूप में समादृत किया। आज शताब्दी समारोह के अवसर पर राष्ट्र फिर एक बार राष्ट्रीयता की अखण्डता का भावमय गीत गाकर एकाकार हो जायेगा यह शताब्दी हमको इस प्रकार तरंगित करे कि भावात्मक एकता में सब मस्त होकर भारत माता की जय जयकार करें। यह शताब्दी समारोह देश की एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने में सार्थक और समर्थ सिद्ध हो इस प्रकार का लक्ष्य सामने रखकर इसको मनायें। इस अवसर पर भारत के भूले-बिसरे, लेखक-कवि, विचारक, रचनात्मक कार्य करने वालों को जिन्होंने अपनी जिन्दगी, अपना ज्ञान, अपनी कुशलता को देश, समाज पर निछावर कर दिया, यह अपना राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम उन्हें स्मरण करें।

श्री मैथिलीशरण गुप्त जी ने भारतीय साहित्य को नवीन काव्यमय भूमि प्रदान की। उनकी कृतियां केवल राजभाषा

3—1703 म आफ एच ए/एनडी/86

19
194 | = 20x12 = 240
33x12 = 396

की ही सम्पदा नहीं हैं अपितु भारतीय वाङ्मय की एक अक्षय देन है । आज यह शताब्दी समारोह भारत की ओर से भारतीय मनीषा को राष्ट्र-हित में जागृत करें । भारत के लेखक कविगण इसको इस परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करें और देश भर के सभी भाषा भाषी इसको मनाने में लग जायें । आज विशुद्ध राष्ट्रीय वातावरण का निर्माण ऐसे ही आयोजनों के द्वारा ही सम्भव है । देश के बुद्धिजीवी तथा साहित्यकार इस मूल्य को स्वीकार कर देश की साहित्य-संस्कृति को परिपुष्ट करने को एक माध्यम के रूप में अपना कर इस शताब्दी समारोह को मनावें ।

संविधान निर्माताओं ने बहुत विचार-विमर्श के बाद हिन्दी को देश की राजभाषा घोषित किया । पर लगभग अर्द्ध-शताब्दी होने को है देश अभी तक स्वतन्त्र वाणी अपने कार्य के लिए प्राप्त नहीं कर सका । दुनिया आश्चर्यचकित है कि जिस देश की प्राचीनतम सनातन भव्य संस्कृति हो एवं उसके वाहन के लिए भाषाओं की जननी संस्कृत हो तथा हिन्दी समेत दर्जन भर उन्नत भाषाएं हों उस देश का काम-काज विदेशी भाषा में चले कितनी दुःखद बात है । भारतीय संस्कृति, अध्यात्म के मनीषियों की, संतो की एक बड़ी लड़ी है—तुलसी, सूर, जायसी, बाल्मीकि, व्यास, शंकराचार्य, तिलक, सुभाष आदि वहाँ कैसे उपनिवेशवाद की भाषा सत्ता पर आसीन हो—क्या यह चुनौती-राष्ट्रीयता को, भारत की अस्मिता को नहीं है ?

महात्मा जी अपनी राष्ट्रभाषा को किसी भी कीमत पर आजादी से कम नहीं मानते थे । इस देश में, जहां कई कई प्रदेशों के लोग मिलते हैं, चाहे वह देश हो या विदेश वहीं हिन्दी का जन्म होता है—इसलिए हिन्दी प्रेम की भाषा और समन्वय की सरल भाषा है । संविधान की घोषणा से भी पहले देश के मूर्धन्य विचारक-चिंतक-संत राष्ट्रीय पुरुष—शारदाचरण, दयानन्द सरस्वती, केशवचन्द्र सेन, महात्मा गांधी, राजा राम-मोहन राय प्रभृति महापुरुषों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा और देव-नागरी को राष्ट्र लिपि स्वीकारा ।

महाकवि-महापुरुष मैथिलीशरण की शताब्दी के शुभ अवसर पर क्या देश एकबार अपनी भावनात्मक एकता-अखण्डता के लिए राजभाषा को देश की माध्यम भाषा और विदेशी भाषा, जो भाषा गुलामी की प्रतीक है, को हटाकर राजभाषा हिन्दी को प्रस्थापित करने का घोष करेगा ।

आज देश के सभी विश्वविद्यालयों में राजभाषा हिन्दी की पढ़ाई होती है और दुनिया के प्रायः सौ विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी पढ़ाई जाती है, वहां से भी उद्घोष हो कि हिन्दी भारत की नहीं राष्ट्रसंघ की भी वैकल्पिक भाषा अविलम्ब हो । यह मनोकामना दुनिया के हिन्दी प्रेमी करें पर इसको सही शक्ल भारत राष्ट्र ही दे सकता है ।

आज सौभाग्य से आधे दर्जन देशों में भारतीय मूल के लोग वहां प्रभावी राष्ट्रीय जन हैं और उन्होंने अपनी भाषा हिन्दी को आज तक भी कायम रखा है । आज आवश्यकता है कि मैथिलीशरण शताब्दी के अवसर पर वहां पर भी राज-काज की भाषा हिन्दी हो । इसकी भी अगुआई भारत को ही करनी है ।

आज भारत सरकार के तीन दर्जन से ऊपर मन्त्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियाँ काम कर रही हैं और वे 22 वर्षों से राजभाषा अधिनियम का पालन कराने के लिए 17 वर्ष से हिन्दी के प्रगामी सालाना कार्यक्रम चला रहे हैं । अब तो सभी विभागों के कुछ अनुभागों में सब कार्य राजभाषा में ही होने लगे हैं । साथ ही 'क' क्षेत्र ने जो हिन्दी क्षेत्र है, अपना सब कार्य राजभाषा में करने का प्रयास कर दिया है । इनके साथ "ख" राज्य भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं । "ग" राज्य, जिसे गैर हिन्दी भाषी क्षेत्र कहा जा रहा है, उन्होंने राजभाषा अधिनियम और वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन "क" राज्यों से आगे बढ़कर किया है । देश भर में यह देखने को मिला है कि केन्द्रीय सरकार के जिस भी संस्थान के प्रधान गैर हिन्दी भाषी है उन्होंने राजभाषा के ध्वज को सब जगह लहराया है । वहां, कुछ अपवाद को छोड़कर मैंने देखा मद्रास शहर में ही दस-बीस हजार छात्र बिना सरकार की मदद से हिन्दी सीख रहे हैं क्योंकि उन्हें पुनः केन्द्रीय सेवा में वर्चस्व प्रस्थापित करना है इसी प्रकार सभी मन्त्रालयों विभागों, केन्द्रीय सरकारी उपक्रम एवं अधीनस्थ संस्था, जहां 25 व्यक्ति तक काम करते हैं, वहाँ राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनी है । उनका कार्य अपने-अपने क्षेत्र में राजभाषा अधिनियम का पालन करना और हिन्दी का वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम पूरा करना है । इस कार्य ने अब गति पकड़ ली है तथा उच्चस्तरीय अधिकारी इस कार्य को अपनाने के लिए स्वयंवेत्ता के रूप में अग्रसर हो गये हैं तथा अपने यहां प्रमाण रूप में एक-एक अनुभाग में मूल कार्य समेत सब कार्य हिन्दी में करना शुरू कर दिया है और इसमें जो कुछ भी कमी है वे अपने यहां मैथिली-शरण शताब्दी को मनाते हुए पूरा करें ऐसा विश्वास होता है ।

सभी मन्त्रालयों ने अपने अपने विभाग के लिए मौलिक पुस्तकों एवं संदर्भ साहित्य तैयार कराने की व्यवस्था की है और लेखक को हजारों रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया है । साथ ही विभाग ने उनकी सैंकड़ों प्रतियां अपने वाले विभाग के लिए खरीद कर उन पुस्तकों को प्रचलित भी कराने का प्रयास किया है । सभी जगह हिन्दी सप्ताह भी बड़े उत्साह से मनाये जा रहे है और अब आग्रह है कि सप्ताह भर वे विभाग, संस्थान सब कार्य राजभाषा में करने का प्रयास करें । यह ऐसा कार्य है जब भी कभी देश में एक बार अंग्रेजी से राजभाषा में कार्य करने को कहा जायेगा तो वे लोग पीछे नहीं रहेंगे । इंग्लैण्ड में भी तो राजकाज की भाषा पहले अंग्रेजी नहीं थी अंग्रेजों को भी जब अपनी भाषा की पुकार सुनाई दी तभी तो वे भी अपने देश की भाषा को राजभाषा बना सकें ।

केन्द्र सरकार स्वयं आज पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक उच्च कोटि की पत्रिकाएं कई दर्जन प्रकाशित कर रही है इनमें कुछ इतनी उत्कृष्ट हैं कि वे संसार की किसी भी पत्रिका का मुकाबला कर सकती हैं । साथ ही कुछ ऐसी भाषायें भी उत्तम साहित्य,

44×12=528

46×12=552

निबन्ध, कविता आदि को राजभाषा में उपलब्ध हिन्दी से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि सभी पत्र-पत्रिका मैथिलीशरण गुप्त शताब्दी मनाने के साथ विशेषांक भी प्रकाशित करेंगी।

इसी प्रकार केन्द्रीय विभागों के अधीन कार्यालय, सरकारी उपक्रम एवं अन्य सैंकड़ों की संख्या में गैर-हिन्दी क्षेत्रों में भी पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं, जिनमें सभी भाषाओं के गुदड़ी के लाल अपनी विभागीय सामग्री तो प्रकाशित कर रहे हैं एवं राजभाषा लिखने, पढ़ने एवं सामर्थ्य भर प्रकट-कर रहे हैं। आज कई रूपों में जिस प्रकार हिन्दी वाङमय भण्डारों को पूरा किया जा रहा है, कुछ दिन के बाद यह किसी भी भाषा से आगे निकल जायेगी। लोगों के बोलने से लेखकों की लेखनी से नये शब्द, हिन्दी की क्षमता बढ़ा रहे है।

आज चित्रपट दूरदर्शन, कैसेट, वीडियो कैसेट का युग है इसमें, देश ने हिन्दी को सर्वोपरि ढंग से अपनाया है। राष्ट्रीय समारोह समिति मैथिलीशरण गुप्त पर नाटक, कैसेट, वीडियो कैसेट तथा अन्य सामग्री भी तैयार कराने में लगी है। सभी विधाओं के सहयोग से सभी राज्यों के सहयोग से तथा पत्र-पत्रिकाओं के सहयोग से जो राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जन्म शताब्दी समारोह मनाया जायेगा वह ऐतिहासिक भूमिका का पाठ अदा करेगा तथा राष्ट्रीय एकता अखण्डता का पाठ प्रमाणित होगा।

भारत के उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त शताब्दी समारोह के अध्यक्ष हैं, देश के सभी पत्र-पत्रिका, विश्वविद्यालय, राज्यों को, तथा सभी विभागों, संस्थानों, उपक्रम के साथ राष्ट्र के लोगों को जहाँ शताब्दी मनाने का आग्रह करेंगे वहाँ राष्ट्र की— भावनात्मक एकता के लिए राजभाषा के प्रयोग, प्रसार, विकास करने को भी अवश्य कहेंगे। यही कारण है कि देश के प्रधानमन्त्री जी ने 19 सितम्बर, 85 को विज्ञान भवन में सभी को बुलाकर आग्रह किया था कि सब लोग राजभाषा के प्रयोग, प्रचार-प्रसार का कार्य करते हुए 1985-86 का हिन्दी का वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम अवश्य पूरा करें। इसके पूरा करने में केन्द्रीय सरकार के विभाग सक्रिय हैं। इस प्रकार राजभाषा के प्रयोग का आधार तैयार हो सकता है।

सौभाग्य से वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रोनिक विभाग ने राजभाषा को आज के आधुनिक युग में बराबरी का कदम उठा सकें, उसके लिए हिन्दी देवनागरी में टेलीप्रिन्टर, टेलेक्स, कम्प्युटर, इलेक्ट्रानिक टँकण यंत्र, शब्द संसाधन, आदि यांत्रिक सुविधाएँ भी बनाकर प्रदान की हैं। आज आवश्यकता है इसके प्रयोग करने की, इसके प्रचार प्रसार बढ़ाने की। यह मैथिली शरण शताब्दी समारोह एक बार पुनः राष्ट्रीय जागरण की लहर इस तरह फैलावे कि देश को भाषा की परतन्त्रता से छुटकारा मिले।

आने वाली हिन्दी, जो राजभाषा है, वह सभी भाषा-भाषी के गले से मंजकर शब्द रूप में जिस भाव से निकलेगी आखिर वही तो देश की एक बोली होगी और सबको ग्राह्य भी। आगे हम सब लोग इस शताब्दी को इस रूप में मनाएं कि देश के प्रयोग में राजभाषा का प्रचलन हो। यह देश की सांस्कृतिक, राजनैतिक, भौगोलिक एकता कायम करे।

ऐसे राष्ट्रकवि की प्रकाशित व अप्रकाशित रचना कई खण्डों में प्रकाशित करके देश के पाठकों को देने के प्रकाशकों के प्रयास अवश्य होंगे।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म शताब्दी समारोह— राष्ट्र जागरण का पर्व बने—भारतीय संस्कृति को जागृत कर विश्वव्यापी बनें, भावनात्मक एकता, अखण्डता का सजग प्रहरी बने। यह समारोह विश्व को वसुधैव कुटुम्बकम् का पाठ पढ़ाने वाला प्रमाणित हो तभी इसकी सफलता है। यह जन्म शताब्दी समारोह अपने महान कवियों-लेखकों को राष्ट्र को स्मरण कराने वाला हो। □

(पृष्ठ 6 का शेषांश)

चलाई गई है। इसी योजना के अधीन, वैजयन्ती वितरण समारोह में आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस विभाग के सभी कार्यालयों में, वर्ष 1983-84 में हिन्दी में किये गये कार्यों का मूल्यांकन किया गया है और उसके आधार पर आज ये पुरस्कार दिये जा रहे हैं। हिन्दी भाषी क्षेत्र के कार्यालयों में से, प्रथम पुरस्कार, मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, नई दिल्ली को दिया जा रहा है। द्वितीय पुरस्कार, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली को, और तृतीय पुरस्कार निरीक्षण निदेशालय, कानपुर को दिया जा रहा है। अहिन्दी भाषी क्षेत्र के कार्यालयों में से, प्रथम पुरस्कार लेखा नियंत्रक का कार्यालय, कलकत्ता को दिया जा रहा है। द्वितीय पुरस्कार, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कलकत्ता और तृतीय पुरस्कार, निरीक्षण निदेशालय, कलकत्ता को दिया जा रहा है।

9. मैं इस शुभ अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी कार्यालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएँ देता हूं कि वे इस कार्य में निरन्तर प्रगति करते जाएँ और भविष्य में भी पुरस्कार प्राप्त करें। मैं विभाग के अन्य सभी कार्यालयों को भी शुभकामनाएँ देता हूं और उनसे यह आशा करता हूं कि वे भी इस क्षेत्र में निरन्तर प्रगति करेंगे और वे भी भविष्य में पुरस्कार प्राप्त करेंगे।

अन्त में मैं आप सभी उपस्थित सज्जनों का धन्यवाद करता हूं और विभाग के अधिकारियों को इस सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। □

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान : एक परिचय

— डा० धर्मवीर

राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार केन्द्र सरकार के हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को, हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान कराने के हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजभाषा विभाग के हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ और हिन्दी, हिन्दी टाइपलेखन एवं हिन्दी आशुलिपि की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। हालांकि, इसके अन्तर्गत 5 लाख से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी तथा लगभग 50 हजार कर्मचारियों ने हिन्दी टाइपलेखन और हिन्दी आशुलिपि का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी लगभग उतने ही कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए शेष हैं।

इस योजना से इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने में हिन्दी के लिए 15-16 महीने तथा हिन्दी टाइपलेखन व आशुलिपि के लिए 6 से 12 महीने का लम्बा समय लगता है, जिससे कई कार्यालय कर्मचारियों को छोड़ने में संकोच करते रहे हैं। अतः कम-से-कम समय में सेवाकालीन हिन्दी भाषा, हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि का ज्ञान कराने के लिए प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय हिन्दी समिति की 27-2-1977 तथा 13-4-1978 की बैठकों में यह प्रस्ताव रखा गया कि इस कार्य को पूरा करने के लिए नई दिल्ली में भर्ती उपरान्त प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान खोला जाए और इसकी शाखाएं उन नगरों में भी खोली जाएं जहां केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों की संख्या अधिक है। इस प्रस्ताव को 24-5-1978 की अपनी बैठक में केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप समिति ने विधिवत् मंजूरी दे दी। फलतः इस वर्ष 21 अगस्त से संस्थान की स्थापना हो चुकी है। संस्थान की रूपरेखा नीचे लिखे अनुसार है :

1. संस्थान का उद्देश्य
2. संस्थान का सांगठनिक स्वरूप
3. संस्थान के शैक्षणिक क्रियाकलाप
4. संस्थान का प्रशासनिक स्वरूप
5. संस्थान की आर्थिक व्यवस्था
6. उपसंहार

1. संस्थान का उद्देश्य

(1) 1960 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार जहां संघ सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया था वहीं नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की बात कही गई थी। अतः उनके लिए अलग से पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ताकि सरकार की राजभाषा नीति का सुचारु रूप से कार्यान्वयन के लिए संघ सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों, उद्यमों तथा नियंत्रणाधीन बैंकों आदि के कर्मचारियों को भी भर्ती के उपरांत ही प्रशिक्षण दिया जाए।

(2) इसके लिए केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में मूलतः हिन्दी शिक्षण योजना से दक्ष एवं अनुभवी प्रशिक्षकों की व्यवस्था करना तथा भाषा शिक्षण के अधुनातन तकनीकी और सैद्धांतिक शैलियों को उपयोग में लाने का यत्न करना।

(3) संघ सरकार की भाषा नीति के कार्यान्वयन में लगने वाली अवधि को ध्यान में रख कर संस्थान को एक योजना के स्थान पर स्थायी संस्था के रूप में संगठित करना और अन्ततः हिन्दी के प्रयोग में आ जाने पर संघ सरकार के कर्मचारियों को राजकाज में प्रशिक्षण देने वाले संस्थान के रूप में परिवर्तित करना।

(4) हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ, प्रयोजनमूलक कार्यालयीन हिन्दी और हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि का वांछित ज्ञान कराना।

(5) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाषा प्रयोगशाला, लिंग्वाफोन रिकार्ड, कम्प्यूटर तथा चार्टों, पोस्टरों, लघुचित्रों आदि की सहायता प्राप्त करना और संस्थान को वैज्ञानिक तथा एक गौरवशाली स्थायी स्वरूप प्रदान करना।

(6) हिन्दी अधिकारियों तथा अनुवादकों, प्राध्यापकों आदि के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) आयोजित करना।

(7) प्रथम श्रेणी के उच्च अधिकारियों यथा उप सचिव, निदेशक आदि को राजभाषा नीति और उसकी सांविधानिक व्यवस्था आदि की अद्यतन जानकारी के संबंध में प्रशिक्षण देना।

(8) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों की, जो संयुक्त सचिव आदि के स्तर के होते है, संगोष्ठियों आयोजित करना।

(9) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों के लिए दो-दो, तीन-तीन दिन के सैमिनार आयोजित करना।

2. संस्थान का सांगठनिक स्वरूप

हिन्दी शिक्षण योजना के सांगठनिक स्वरूप, पाठ्यक्रमों और अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान, पदोन्नति आदि के संबंध में बार-बार उठने वाले प्रश्नों और विवादों को ध्यान में रखते हुए संस्थान के क्रियाकलापों को शैक्षणिक तथा प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित कर विस्तृत कार्य योजना को सुविचारित ढंग से एक निदेशक की देख-रेख में रखा जा रहा है। शैक्षणिक प्रभाग, एक संयुक्त निदेशक एवं प्रशासनिक प्रभाग, एक प्रशासन अधिकारी की देख-रेख में काम करेगा। इन प्रभागों के कार्य सम्पादन के लिए उचित वेतनमान में सुयोग्य, दक्ष और अनुभवी प्रशिक्षकों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। कार्य के स्तर को उन्नत बनाए रखने के लिए संस्थान का सांगठनिक स्वरूप नीचे लिखे अनुसार होगा :

(क) 1. शैक्षणिक प्रभाग

(क) प्रारंभिक (प्रबोध) पाठ्यक्रम
(ख) माध्यमिक (प्रवीण) पाठ्यक्रम
(ग) प्राज्ञ पाठ्यक्रम
(घ) कार्यशाला का विशेष पाठ्यक्रम

2. टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण पक्ष

(क) हिन्दी टंकण
(ख) हिन्दी आशुलिपि
(ग) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान

3. मूल्यांकन एकक

(क) अनुसंधान एवं सांख्यिकीय विश्लेषण
(ख) परीक्षा एवं प्रमाण-पत्र
(ग) पाठ्य-पुस्तकें एवं पाठन सामग्री
(घ) संचार माध्यमों द्वारा राजभाषा हिन्दी के संबंध में व्यक्त विचारों का संकलन एवं राजभाषा विभाग के माध्यम से सरकारी स्तर पर तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई।

4. तकनीकी कक्ष

(क) भाषा प्रयोगशाला एवं लिंग्वाफोन रिकार्ड का प्रशिक्षण में सहयोग
(ख) शिक्षण की सहायक सामग्री— जैसे चार्ट, पोस्टर, लघुचित्र आदि का निर्माण।
(ग) हिन्दी संगणक एवं शब्द संसाधित्र (वर्ड प्रोसेसर) का प्रशिक्षण।

5. पाठ्येतर क्रियाकलाप एकक

(क) पुस्तकालय-वाचनालय
(ख) संगोष्ठी-समारोह-प्रमुख हिन्दी सेवियों का राजभाषा के प्रचार-प्रसार में सहयोग प्राप्त करना।
(ग) वाद-विवाद प्रतियोगिता
(घ) चित्र प्रदर्शन
(ङ) मौके पर सरकारी कामकाज का अवलोकन

(ख) प्रशासनिक प्रभाग

(1) सामान्य प्रशासन—नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण
(2) लेखा अनुभाग—सभी तरह के आर्थिक मामले
(3) आवती एवं निर्गम अनुभाग
(4) कर्मचारी एवं प्रतिभागी कल्याण एकक (वेलफेयर संबंधी कार्य)
(5) भंडार एवं अनुरक्षण एकक—शैक्षणिक सामानों तथा संस्थान के उपस्करों, उपकरणों आदि की सफाई, मरम्मत तथा उनका रख-रखाव।

3. संस्थान के शैक्षणिक क्रियाकलाप

संस्थान के अन्तर्गत, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मुख्य रूप से भर्ती होने वाले कर्मचारियों को तुरंत भर्ती उपरांत अथवा अधिक से अधिक परिवीक्षाकाल (प्रोबेशन पीरियड) में प्रयोजनमूलक कार्यालयीन हिन्दी का प्रशिक्षण इस प्रकार दिया जाएगा कि वे प्रशिक्षण के बाद कार्यालय में जाकर हिन्दी में सुविधापूर्वक अपना कामकाज कर सकें। इसके लिए संस्थान प्रयोजनमूलक हिन्दी के नीचे लिखे चार पाठ्यक्रम चलाएगा। इन पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण 65 दिनों में पूरा किया जाना है। इसी तरह टाइपिंग और आशुलिपि का प्रशिक्षण भी क्रमशः 45 और 90 दिनों में पूरा कर लेने का प्रस्ताव है। इन पाठ्यक्रमों तथा शैक्षणिक पक्ष के मूल्यांकन एकक, पाठ्येतर क्रियाकलाप तथा तकनीकी कक्ष का प्रभार एक-एक उप निदेशक के अधीन होगा।

1. भाषा का प्रशिक्षण

प्रारंभिक पाठ्यक्रम

(1) पात्रता — यह पाठ्यक्रम नए भर्ती होने वाले उन कर्मचारियों के लिए होगा जिन्हें हिन्दी का ज्ञान बिल्कुल नहीं है अथवा पांचवी कक्षा से कम स्तर का ज्ञान है।

(2) अवधि — 25 कार्य दिवस अर्थात् प्रतिदिन 6 घंटे के हिसाब से कुल 150 घंटे।

(3) पाठयोजना

	घंटे
1 भाषा संरचना	60
2 अभ्यास	30
3 चर्चा-परिचर्चा	35
4 चलचित्र, प्रबन्धकीय अभ्यास	25

(4) पाठ्यपुस्तकें — फिलहाल हिंदी शिक्षण योजना के प्रबोध पाठ्यक्रम की पुस्तकें ही इस पाठ्यक्रम के लिए रखी गई हैं। बाद में परीक्षण एवं अनुभव के आधार पर इनमें परिवर्तन-परिवर्धन करने का प्रस्ताव है।

(ख) माध्यमिक पाठ्यक्रम

(1) पात्रता	.	उनके लिए जिन्हें हिन्दी का प्रबोध अथवा हिन्दी की पांचवीं कक्षा का ज्ञान है ।	
(2) अवधि	.	20 कार्य दिवस 120 घंटे,	6 घंटे प्रतिदिन
(3) पाठयोजना	.	1 भाषा संरचना	50
		2 अभ्यास	25
		3 चर्चा-परिचर्चा	25
		4 चलचित्र, प्रबन्धकीय अभ्यास	20
(4) पुस्तकें	.	फिलहाल वे ही हैं जो हिन्दी शिक्षण योजना के प्रवीण पाठ्यक्रम के लिए रखी गई हैं ।	

(ग) प्राज्ञ पाठ्यक्रम

(1) पात्रता	.	उनके लिए जिन्हें प्रवीण अथवा हिन्दी की आठवीं कक्षा का ज्ञान है ।	
(2) अवधि	.	15 कार्य दिवस-90 घंटे- 6 घंटा प्रतिदिन	
(3) पाठयोजना		1 प्रयोजन मूलक हिन्दी	40
		2 अभ्यास . .	20
		3 चर्चा-परिचर्चा .	15
		4 चल-चित्र, प्रबंधकीय अभ्यास	15
(4) पुस्तकें		फिलहाल वे ही जो हिन्दी शिक्षण योजना की प्राज्ञ कक्षा के लिए रखी गई हैं ।	

कार्यशाला का विशेष पाठ्यक्रम

(1) पात्रता	.	उनके लिए जिनको प्राज्ञ अथवा कम से कम हिन्दी की दसवीं कक्षा अथवा इससे ऊपर का हिन्दी का ज्ञान है ।	
(2) अवधि	.	5 कार्य दिवस — 30 घंटे	प्रतिदिन 6 घंटे
(3) पाठयोजना		1 सामान्य पत्र-व्यवहार	4
		2 टिप्पणी लेखन .	4
		3 अन्य कार्यालयीन विषयों से संबंधित पत्र-व्यवहार	4
		4 अभ्यास और चर्चा-परिचर्चा	18
(4) पाठ्य सामग्री		कार्यशाला के लिए राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किए गए पाठ ।	

2. टंकण एवं आशुलिपि का प्रशिक्षण

(क) टाइपिंग का प्रशिक्षण

(1) पात्रता	.	केन्द्र सरकार के अवर श्रेणी लिपिक जिन्हें अंग्रेजी टाइप तथा हिन्दी का प्राज्ञ स्तर का ज्ञान है ।	
(2) अवधि	.	कुल 270 घंटे—45 कार्य दिवस प्रतिदिन 6 घंटे	
(3) पाठयोजना		1 भाषा ज्ञान	70
		2 टाइपिंग का सिद्धांत .	50
		3 टाइपिंग अभ्यास	150
(4) पुस्तक	.	देवनागरी टाइपराइटिंग प्रशिक्षक	

(ख) आशुलिपि का प्रशिक्षण

(1) पात्रता	.	अंग्रेजी आशुलिपि जानने वाले वे कर्मचारी जिन्हें हाईस्कूल तक का हिन्दी का ज्ञान है ।	
			घंटे
(2) अवधि	.	540 घंटे-90 कार्य दिवस- प्रतिदिन	6
(3) पाठयोजना		1 सिद्धांत	50
		2 भाषा ज्ञान	70
		3 टाइपिंग	150
		4 आशुलिपि अभ्यास	270
(4) पुस्तक		मानक आशुलिपि	

उपर्युक्त सभी पाठ्यक्रमों की पुस्तकें एवं शिक्षण सामग्री प्रतिभागियों को सरकारी खर्चे पर उपलब्ध कराई जाएगी तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम के अन्त में परीक्षा ली जाएगी । सभी तरह के पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रशिक्षण जरूरी है, समाप्त कर लेने पर अंत में प्रतिभागियों को एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा, जिनमें अलग-अलग पाठ्यक्रमों के जिक्र के साथ कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बारे में विशेष उल्लेख किया जाएगा तथा उन्हें सम्मानित करने की दृष्टि से तीन पुरस्कार भी दिये जायेंगे । यह प्रमाण-पत्र एक समारोह में दिया जाएगा ।

3. पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनसे संबद्ध कार्यालयों में नियुक्त हिन्दी अधिकारियों एवं अनुवादकों के लिए "केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा" का गठन कर दिया गया है । अतः यह जरूरी समझा गया कि हिन्दी संबंधी कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए इनके लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि वे अपने-अपने क्षेत्र में सुविधारित ढंग से राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए कारगर कदम उठा सकें ।

साथ ही यह भी जरूरी समझा गया कि "प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण" के अंतर्गत हिन्दी शिक्षण योजना के अधिकारियों/ प्राध्यापकों के लिए भी ऐसे पाठ्यक्रम चलाए जाएं ताकि वे संघ सरकार की राजभाषा नीति और हिन्दी शिक्षण योजना के संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकें और आवश्यकतानुसार प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों पर उचित निर्णय ले सकें। इन दोनों प्रकार के अधिकारियों के लिए जो पाठ्यक्रम बनाए गए हैं उनका ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :

नए भर्ती होने वाले हिन्दी अधिकारियों के लिए 5 कार्य दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

पहला दिन 1 संघ सरकार सांगनिक स्वरूप एवं कार्यविधि ।
2 हिन्दी की सांविधिक स्थिति ।
3 राजभाषा अधिनियम, संकल्प एवं नियम तथा तत्संबंधी समस्याएँ एवं उनका समाधान।

दूसरा दिन 1 सामान्य कार्यालय क्रियाविधि–वित्तीय, अनुशासनिक तथा प्रशासन संबंधी मामले ।
2 प्रशासनिक शब्दावली, वर्तमान स्थिति एवं संभावनाएँ ।
3 साहित्यिक हिन्दी एवं कामकाजी हिन्दी-समस्याएँ एवं समाधान ।

तीसरा दिन 1 हिन्दी में टिप्पणी एवं आलेखन-समयाएँ एवं समाधान।
2 हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेश, अनुदेश-समस्याएँ एवं समाधान ।

चौथा दिन 1 हिन्दी शिक्षण योजना–प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं सुविधाएँ ।
2 हिन्दी भाषा-संरचनात्मक स्वरूप-कार्यालयीन हिन्दी के संदर्भ में ।
3 अनुवाद की आधुनिक तकनीक एवं अनुवाद कला तथा समस्याएँ एवं समाधान।

पाँचवा दिन 1 राजभाषा संबंधी समितियों एवं उनकी क्रियाविधि
2 राजभाषा संबंधी आवधिक रिपोर्टें और उनका प्रेषण
3 राजभाषा के प्रयोग में इलैक्ट्रानिक उपकरणों का योगदान

राजभाषा सेवा के प्रोन्नत हिन्दी अधिकारियों के लिए 5 कार्य दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

पहला दिन 1 राजभाषा नीति-कार्यान्वयन और प्रगति ।
2 राजभाषा नीति के अनुपालन में व्यावहारिक कठिनाइयाँ (चर्चा-परिचर्चा)
3 हिन्दी की सांविधिक स्थिति (चर्चा-परिचर्चा)

दूसरा दिन 1 कार्यालय क्रियाविधि-वित्तीय, अनुशासनिक तथा प्रशासन संबंधी मामले ।
2 प्रशासनिक शब्दावली-कार्यालयीन हिन्दी के संदर्भ में प्रयोग और समस्याएँ ।
3 साहित्यिक हिन्दी एवं कामकाजी हिन्दी-समस्याएँ एवं समाधान ।

तीसरा दिन 1 विधिक/सांविधिक हिन्दी, अनुवाद की व्यवस्था तथा मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले अनुवाद कार्य ।
2 हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेश, अनुदेश-समस्याएँ एवं समाधान ।
3 अनुवाद की आधुनिक तकनीक एवं अनुवाद कला तथा समस्याएं एवं समाधान ।

पाँचवा दिन 1 हिन्दी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति तथा समस्याएं एवं समाधान ।
2 राजभाषा के प्रयोग में इलैक्ट्रानिकी उपकरणों की भूमिका ।
3 राजभाषा नीति की सफलता के लिए क्या करें और कैसे करें ।

राजभाषा सेवा के वरिष्ठ अनुवादकों के लिए 5 कार्य दिवसीय पाठ्यक्रम

पहला दिन 1 राजभाषा नीति : सांविधिक स्थिति, अधिनियम, नियम एवं वर्तमान आदेश, अनुदेश
2 कार्यालय क्रियाविधि : प्रशासनिक, वित्तीय एवं अनुशासनिक मामले ।

दूसरा दिन 1 इलैक्ट्रानिक उपकरणों का राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में योगदान।
2 पारिभाषिक शब्दावली–वर्तमान स्थिति एवं संभावनाएं ।
3 हिन्दी में समुन्नत टिप्पण एवं आलेखन ।

तीसरा दिन 1 साहित्यिक हिन्दी एवं कामकाजी हिन्दी तथा अनुवाद की भाषा ।
2 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन : समस्याएं एवं समाधान ।

चौथा दिन 1 अनुवाद के सिद्धान्त एवं समस्याएँ ।
2 अनुवाद की आवश्यकता और व्यवस्था ।
3 अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद-अभ्यास ।
4 हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद-अभ्यास ।

पाँचवां दिन 1 अनुवाद की व्यावहारिक प्रस्तुति ।
2 कार्यालयीन अनुवाद ।
3 अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद-अभ्यास ।
4 हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद-अभ्यास ।

राजभाषा सेवा के कनिष्ठ अनुवादकों के लिए 5 कार्य दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

पहला दिन 1 संघ सरकार का संगठनात्मक स्वरूप एवं सामान्य कार्यालय क्रियाविधि ।

2 राजभाषा नीति सांविधिक स्थिति, अधिनियम, नियम एवं वर्तमान आदेश, अनुदेश ।

3 चर्चा-परिचर्चा ।

दूसरा दिन 1 संघ सरकार द्वारा मान्य देवनागरी लिपि, अंक और अक्षर तथा वर्तनी ।

2 पारिभाषिक शब्दावली तथा सरकार की भाषा नीति ।

3 हिन्दी में टिप्पण एवं आलेखन ।

तीसरा दिन 1 साहित्यिक हिन्दी एवं कामकाजी हिन्दी तथा अनुवाद की भाषा ।

2 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन, आवधिक रिपोर्टें एवं राजभाषा संबंधी विविध समितियाँ तथा उनका दायित्व ।

चौथा दिन 1 अनुवाद के सिद्धान्त एवं समस्याएँ ।

2 अनुवाद की आवश्यकता और व्यवस्था ।

3 अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद-अभ्यास ।

4 हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद-अभ्यास ।

पाँचवां दिन 1 अनुवाद की व्यावहारिक प्रस्तुति ।

2 कार्यालयीन अनुवाद ।

3 अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद-अभ्यास ।

4 हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद-अभ्यास ।

हिन्दी शिक्षण योजना के अधिकारियों के लिए 5 कार्य दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

पहला दिन 1 भारत सरकार का सांगठनिक स्वरूप एवं सामान्य कार्यालय क्रियाविधि ।

2 राजभाषा नीति सांविधिक स्थिति अधिनियम, नियम ।

दूसरा दिन 1 प्रशासनिक मामले-सामान्य प्रशासनिक एवं अनुशासनिक मामले ।

2 वित्तीय मामले ।

तीसरा दिन 1 हिन्दी शिक्षण योजना का वर्तमान स्वरूप एवं व्यवस्थाएँ ।

2 प्रशिक्षार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएँ, प्रोत्साहन, पुरस्कार आदि ।

चौथा दिन 1 हिन्दी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रम–शिक्षण विधि सरकार द्वारा मान्य देवनागरी लिपि, वर्तनी एवं दफ्तरी भाषा ।

2 द्विभाषी इलैक्ट्रानिक उपकरण एवं तत्संबंधी सरकारी नीति

पाँचवां दिन 1 राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए समितियाँ तथा अन्य सुविधाएं ।

2 प्रशिक्षण को सफल बनाने के मार्ग में आने वाली समस्याएं एवं उनका समाधान ।

हिन्दी शिक्षण योजना के प्राध्यापकों के लिए 5 कार्य दिवसीय पाठयक्रम :

प्रथम दिवस 1 नई लिपि, अंक और वर्तनी ।

2 हिन्दी शिक्षण योजना का गठन, स्वरूप एवं कार्यविधि ।

3 हिन्दी शिक्षण योजना के प्रोत्साहन एवं पुरस्कार स्कीमें ।

द्वितीय दिवस 1 कक्षा का गठन एवं समय-सारणी का निर्माण ।

2 उपस्थिति-पंजिका का रख-रखाव तथा अनुपस्थिति के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई ।

3 हिन्दी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रम और कर्मचारियों की पात्रता निर्धारण ।

तृतीय दिवस साँचा अभ्यास तथा भाषा संरचना (प्रारम्भिक पाठ्यक्रम) अध्यापन तकनीक (प्राध्यापक दर्शिका के आधार पर) ।

चौथा दिवस प्रवीण पाठ्यक्रम एवं पाठन विधि, अनुपूरक सामग्री का निर्माण (प्राध्यापक दर्शिका के आधार पर) ।

पाँचवा दिवस प्राज्ञ पाठ्यक्रम, प्रयोजन मूलक कार्यालयीन हिन्दी, पाठन विधि (द्वितीय भाषा के रूप में) (प्राध्यापक दर्शिका के आधार पर)

4. द्विभाषी इलैक्ट्रानिक उपकरणों की क्रियाविधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रौद्योगिकी और यंत्रीकरण का तेजी से विकास होने के कारण भाषाओं का विकास और प्रगामी प्रयोग भी काफी हद तक यांत्रिक सुविधाओं पर आश्रित हो गया है । अतः सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में तेजी लाने के लिए देवनागरी टाइपराइटर, टेलीप्रिन्टर, कम्प्यूटर तथा ऐसी ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया है । राजभाषा विभाग में स्थापित तकनीकी कक्ष ने इस संबंध में कई आवश्यक कदम उठाये हैं ।

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं उनके अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों में केवल द्विभाषी इलैक्ट्रानिक उपकरणों के प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 30 मई, 1985 को कार्यालय ज्ञापन संख्या-12015/12/84-रा०भा० (ख-1) जारी किया गया है जिसमें भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि :

(1) केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में प्रयोग के लिए सभी तरह की कम्प्यूटर प्रणालियां (जिनमें कम्प्यूटर,

वर्ड प्रोसेसर, डाटा एंट्री उपकरण आदि शामिल हैं) साधारणतया डाट मैट्रिक्स प्रिंटरों सहित केवल द्विभाषी रूप में खरीदे जाएं।

(2) केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों एवं कार्यालयों में प्रयोग के लिए इलैक्ट्रानिक टैलीप्रिन्टर केवल द्विभाषी खरीदे जाएं, जिससे केबिल, स्थान एवं आपरेशनल स्टाफ के खर्च में समुचित रूप में बचत हो तथा साथ ही केन्द्रीय सरकार के राजभाषा नियमों का भी अनुपालन हो।

(3) जहां उच्च-गति एवं उच्चतर प्रकार के रोमन-मुद्रन किए जाने की आवश्यकता हो, वहां पर कुछ प्रिंटर रोमन में भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग से विशेष अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसी अनुमति इलैक्ट्रानिकी विभाग, राजभाषा विभाग की राय लेकर देगा।

यांत्रिक सुविधाओं की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

(1) देवनागरी टाइपराइटर

इस टाइपराइटर का निर्माण मांग के अनुसार किया जा रहा है। इस प्रकार के टाइपराइटर को मेसर्स गोदरेज, रायला रेमिंग्टन आदि कम्पनियां निर्मित कर रही हैं। यह यंत्र बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

(2) देवनागरी पोर्टेबल टाइपराइटर

यह टाइपराइटर यात्रा के समय आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। इस समय इस टाइपराइटर का निर्माण रेमिंगटन कम्पनी कर रही है। यह यन्त्र बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

(3) देवनागरी पिन-प्वाइंट टाइपराइटर

इस प्रकार के टाइपराइटर से छेद वाले अक्षर छपते हैं। चैक तथा विभिन्न प्रकार के बिल तैयार करने में इस टाइपराइटर का प्रयोग होता है। इसका निर्माण गोदरेज एवं रायला कम्पनियां कर रही हैं।

(4) देवनागरी बुलेटिन टाइपराइटर

इस टाइपराइटर से मोटे टाइप वाले अक्षर छपते हैं। इनका प्रयोग सूचनापट्ट तथा रेलवे आरक्षण इत्यादि में होता है। इस टाइपराइटर को गोदरेज कंपनी निर्मित कर रही है।

(5) देवनागरी इलैक्ट्रिक टाइपराइटर

संचार मंत्रालय अपने सरकारी उपक्रम मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर लिमि०, मद्रास से देवनागरी इलैक्ट्रिक टाइपराइटर बनवाने लगा है। मांग भेजने पर यह टाइपराइटर उपलब्ध हो सकता है। इस यन्त्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(1) जब यन्त्र की मोटर बन्द होगी, कुंजी पटल कार्य नहीं करेगा।

(2) यदि दो करैक्टर एक साथ दब जाते हैं तो कुंजीपटल कार्य करना बंद कर देगा।

(3) एक मिनट में 920 स्ट्रोक लगा सकते हैं।

(4) जब मोटर कार्य कर रही होती है तो टाइपराइटर की टाप प्लेट आटोमैटिक बन्द हो जाती है।

(6) द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर

इस प्रकार के टाइपराइटरों में मैमोरी होती है जिसको प्रदर्शित (डिसप्ले) किया जा सकता है। इस प्रदर्शन (डिसप्ले) को देखने से अशुद्धियों का ज्ञान हो जाता है। इन अशुद्धियों को तुरन्त दूर करके फिर से टाइप कर लिया जाता है। इस प्रकार के टाइपराइटर में डेजी व्हील होता है। इसकी सहायता से रोमन तथा देवनागरी में विभिन्न प्रकार के अक्षरों को टाइप किया जा सकता है। ऐसे टाइपराइटरों की सहायता से रिपोर्ट और चार्ट आदि आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। इस टाइपराइटर की उत्पादकता साधारण टाइपराइटर से कई गुना अधिक होती है। द्विभाषी (रोमन-देवनागरी) इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है और कुछ महीनों में बहुत सस्ते माडल भी आने वाले हैं। इस प्रकार के टाइपराइटरों का उत्पादन मै० रेमिंग्टन कम्पनी द्वारा शीघ्र ही शुरु किया जाने वाला है।

(7) पतालेखी मशीन

देवनागरी में पते लिखने वाली मशीन अब बाजार में उपलब्ध है। इस पतालेखी मशीन के द्वारा पतों की विवरणियां, सूचियां, बिजली तथा पानी के बिल, बीमा परिपत्र, पहचान टोकन रेल तथा रेल वैगनों के लेबल देवनागरी में तैयार किये जा सकते हैं। इसका निर्माण मैसर्स ब्राहमा ऑफ इंडिया लिमिटेड कर रहा है।

(8) पुलिस बेतार

पुलिस बेतार इस समय रोमन लिपि में ही भेजे जाते हैं। सरकारी कार्यालयों द्वारा यह बेतार काफी संख्या में प्रतिदिन भेज जाते हैं। इन्हें हिन्दी में भेजने के लिए राजभाषा विभाग ने गृह मंत्रालय के समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) से संपर्क स्थापित किया था। समन्वय निदेशालय ने पुलिस तारों को हिन्दी में भेजने के लिए इस समय पांच पद सृजित किये हैं। आशा की जाती है कि इस कार्य में और प्रगति होगी।

(9) (क) "सिद्धार्थ" द्विभाषी (देवनागरी-रोमन) कम्प्युटर

डी० सी० एम० डाटा प्रोडक्टस द्वारा निर्मित "सिद्धार्थ" द्विभाषी कम्प्यूटर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इस यंत्र की विशेषता यह है कि एक "की" को दबा देने से यह देवनागरी लिपि में काम करने लगता है। "सिद्धार्थ" को एक शक्तिशाली देवनागरी शब्द संसाधक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस कम्प्यूटर के उपयोग करने से संपादन मूलपाठ के संशोधन टाइप और रि टाइप इन सभी परेशानियों से बिल्कुल मुक्ति मिलती है। "सिध्दार्थ" क्रय-आदेशों को दर्ज करता है और मान्य

5—170 एम, आफ एच, ए,/एण्डी/86

करता है, कीमत और टूट का हिसाब लगाता है, बीजक और चालान बनाता है, खातों में प्राप्त रकमों को अद्यतन करता है और बिक्री के विश्लेषण तैयार करता है। सभी वर्णनात्मक तथ्य-आंकड़े देवनागरी या अंग्रेजी में मुद्रित किए जा सकते हैं।

(ख) "सुलेख" द्विभाषी (देवनागरी-रोमन) कम्प्यूटर

मैसर्स कैल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली और मैसर्स सोफ्फटेक प्राइवेट लि०, नई दिल्ली ने एक साथ मिलकर यह द्विभाषी कम्प्यूटर तैयार किया है।

इस यन्त्र की विशेषताएं :

(1) हिन्दी, अंग्रेजी टाइपराइटर के अनुरूप कुंजीपटल।
(2) हिन्दी अंग्रेजी या दोनों भाषाओं का इच्छानुसार प्रयोग।
(3) एक कुंजी से अंग्रेजी हिन्दी शब्दानुवाद।
(4) विभिन्न आकार में मुद्रण।
(5) शब्दकोश में शब्दों का बढ़ाना-घटाना सम्भव।
(6) डाटा प्रोसेसिंग का प्रावधान।
(7) वर्ड प्रोसेसिंग का प्रावधान।

टाइप करते समय कोई गलती हो जाती है तो "सुलेख" एक विशेष ध्वनि से सूचित करेगा। अतः गलती को स्क्रीन पर ही ठीक किया जा सकता है। इस यंत्र में शब्दकोश का प्रावधान है जिसमें एक अंग्रेजी शब्द के कई हिन्दी अर्थ तुरन्त स्क्रीन पर आते हैं तथा उनमें से इच्छानुसार शब्द और एक कुंजी दबाने से हिन्दी शब्द स्वचालित ढंग से अंग्रेजी की जगह आ जाता है।

(ग) बहुलिपीय रंगीन कम्प्यूटर

इसका विकास प्रौद्योगिक तौर पर भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास ने किया है। एक ही कुंजी पटल से तीन लिपियों के अतिरिक्त कम्प्यूटर द्वारा हिन्दी एवं तमिल अक्षरों का इच्छानुसार रंग एवं आकार का चयन किया जा सकता है संगीत को रचना की जा सकती है, घड़ी की तरह समय का प्रदर्शन किया सकता है, रंग बिरंगी चित्रकारी की जा सकती है, "क्यू शीट" का सादे कागज पर अंकन किया जा सकता है, शब्द संसाधन किया जा सकता है, सूचना प्रदर्शन के लिए विशेष एवं गतिशील प्रभावों का प्रयोग किया जा सकता है, शीर्षक के प्रदर्शन के लिए खिड़की का सृजन किया जा सकता है, इत्यादि। इसका प्रयोग मद्रास दूरदर्शन केन्द्र में हो रहा है।

(10) द्विभाषी कम्प्यूटर टर्मिनल

इस प्रकार के द्विभाषी टर्मिनल का प्रोटोटाइप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने विकसित किया है। द्विभाषी (रोमन-देवनागरी) कम्प्यूटर टर्मिनल वर्तमान कम्प्यूटरों की क्षमता का उपयोग करने में सहायक होंगे।

(11) "लिपि" बहुभाषी शब्द संसाधक (वर्ड प्रोसेसर)

जो कम्प्यूटर किसी लिपि के शब्दों की प्रोसेसिंग करता है, उसे शब्द संसाधक (वर्ड प्रोसेसर) कहते हैं। सीएमसी, लिमि० हैदराबाद ने अब कम्प्यूटरों व अन्य आधुनिक प्रणालियों में राजभाषा हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं के प्रयोग के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। भारत सरकार द्वारा स्थापित इस कारपोरेशन का "लिपि" वर्ड प्रोसेसर अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी और किसी एक भारतीय भाषा (अर्थात् तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, बंगाली असमिया या मराठी) में एक साथ, एक ही समय, कार्य कर सकता है। लिपि के पांच प्रमुख भाग हैं :

1. 16-बिट कंप्यूटर जिस पर "लिपि" आधार है।
2. फ्लापी डिस्क ड्राइव जिन पर प्रलेखों का भंडारन होता है।
3. ध्वनि-निर्धारित कुंजी पटल जिससे "लिपि" पर तीन भाषाओं का टंकण सरलता से किया जाता है।
4. टेलीविजन जैसा दृश्य-पटल जिस पर टंकित लेख को दर्शाया जाता है।
5. उच्च स्तर का प्रिन्टर जिस पर मुद्रित दस्तावेज अन्य किसी उपलब्ध प्रणाली के मुद्रण से कहीं बेहतर है।

"लिपि" पर भंडारित लेख को किसी भी समय दोबारा प्राप्त कर उसमें संशोधन आदि सरलतापूर्वक किया जा सकता है। बहुलक की सुविधा, फाइलिंग का व्यवस्थित ढंग, भाषाओं का मशीनी लिप्यंतरण और ऐसी कई सुविधाएं लिपि को वास्तव में एक बहुउपयोगी यंत्र बनाती है, विशेष रूप से भारतीय कार्यालयों के लिए। यह मशीन अब तैयार है। विपणन के साथ-साथ प्रयोगकर्ताओं के साथ प्रशिक्षण और मशीनरी रख-रखाव की जिम्मेदारी भी पूरी तरह सीएमसी की ही है।

(12) द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर

प्रधानमन्त्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति की 19वीं बैठक में द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए संचार मन्त्री ने सदस्यों को सूचित किया कि इस कार्य के लिए हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमि०, मद्रास ने एक विदेशी कम्पनी के साथ करार किया है जिसकी अनुमति मई, 85 में प्राप्त हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 महीने में इसका प्रोटोटाइप (प्रयोगशाला मडल) तैयार हो जाएगा और 9 से 12 महीने में यह बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर के उत्पादन के संबंध में संचार मंत्रालय ने सूचित किया है कि इसके उत्पादन पर निगरानी रखने के उद्देश्य से संचार मंत्रालय में एक निगरानी दल का गठन किया गया है। द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर के उत्पादन में अपेक्षित गति लाने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर लिमि० मद्रास को आवश्यक अनुदेश दे दिए गए हैं।

द्विभाषी इलैक्ट्रानिक उपकरणों संबंधी सरकारी की नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा समय-समय पर इलैक्ट्रानिक उपकरणों का उपयोग द्विभाषिक रूप में बढ़ाने के लिए गृह राज्य मन्त्री की अध्यक्षता में दिनांक 29 जुलाई, 1985 को एक अंतर्विभागीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

शब्द संसाधित्रों का 7 कार्य दिवसीय पाठ्यक्रम

पहला दिन--सिस्टम से परिचय

कालांश 1 कम्प्यूटर और शब्द संसाधित्रों का सामान्य परिचय
2 शब्द संसाधित्रों की कुंजियों का परिचय (यंत्र दिखाकर)
3 विभिन्न कुंजियों का प्रचालन (व्यावहारिक)
4 कुंजियों के प्रचालन का अभ्यास (व्यावहारिक व्यक्तिशः)

दूसरा दिन--कुंजीपटल पर अभ्यास

कालांश 1 कुंजियों के प्रचालन का अभ्यास (व्यक्तिशः व्यावहारिक) (प्रलेखों का सर्जन)
2 गलतियों पर प्रश्न तथा उत्तर
3 कुंजियों के प्रचालन का अभ्यास
4 मुद्रक (प्रिंटर) का प्रयोग कराना

तीसरा दिन-- पैरे देकर उन पर कार्य

कालांश 1 अभ्यासार्थ परे तथा प्रसंकेतक (कर्सर) की क्रिया
2 प्रविष्टि और संशोधन के अभ्यास (समस्याएं साइक्लोस्टाइल प्रति देकर)
3 फार्मेट बनाना
4 स्मृति कोश (मेमोरी) का प्रयोग

चौथा दिन--कुछ पत्र, कुछ पैरे, सेटिंग, फार्मेटिंग, इरेज करना, रिवाइज करना आदि।

कालांश 1 पत्र लेखन में सुधार परिवर्तन आदि (अभ्यास)
2 स्मृति कोश में से पिछले संदर्भों की खोज (अभ्यास)
3 स्मृति कोश में सामग्री का भंडारण
4 अभ्यास (विविध)

पांचवां दिन

कालांश 1 विविध प्रकार के अभ्यास
2 समस्याओं का विश्लेषण (प्रश्नोत्तर)
3 विविध प्रकार के अभ्यास
4 पत्रलेखन- (एक प्रारूप से अनेक सम्बोधन)

छठा दिन

कालांश 1 जटिल अभ्यास
2 पत्र-लेखन में सौंदर्य बोध (फार्मेटिंग में सुधार)
3 अभ्यास
4 विविध चर्चा

सातवां दिन

कालांश 1 विविध अभ्यास
2 पूरी कार्य प्रणाली पर परीक्षार्थ अभ्यास
3 प्रश्नोत्तर
4 समापन

5. प्रथम श्रेणी के अधिकारियों, मंत्रालयों/विभागों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों के लिए संक्षिप्त प्रशिक्षण तथा संगोष्ठी की विषयवस्तु।

(1) राजभाषा नीति, सांविधिक स्थिति अधिनियम तथा नियम ।

(2) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर जारी अनुदेश तथा इसके लिए गठित समितियाँ आदि।

(3) दफ्तरी भाषा एवं प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था ।

(4) दफ्तर के कामकाज के लिए उपयोगी ग्रंथ ।

(5) इलैक्ट्रानिक उपकरणों के बारे में सरकार की नीति ।

मूल्यांकन एकक

संस्थान द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण के संबंध में समय-समय पर पुनरावलोकन किया जाएगा तथा संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा भावी कार्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा । इस तरह यह एकक अनुसंधान एवं विश्लेषण की जिम्मेदारी सम्भालेगा

यही एकक परीक्षा की तैयारी, उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन तथा परीक्षाफल की तैयारी के लिए उत्तरदायी होगा ।

एकक प्रतिभागियों के लिए प्रमाण-पत्र तैयार करेगा, पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित कराएगा तथा तैयार की जाने वाली पाठन सामग्री की रूप-रेखा प्रस्तुत करेगा ।

संचार माध्यमों द्वारा राजभाषा हिन्दी के संबंध में व्यक्त विचारों का संकलन एवं तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई ।

तकनीकी कक्ष

प्रशिक्षण को प्रभावी एवं ग्राह्य बनाने के लिए भाषा प्रयोगशाला एवं लिख्वाफोन रिकार्ड की मदद ली जाएगी । इसके आधार पर शिक्षण सामग्री के रूप में चार्ट, पोस्टर, लघुचित्र आदि का निर्माण कराया जाएगा । वर्ड प्रोसेसर एवं अन्य कम्प्यूटरों के सहयोग से इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा ।

यही कक्ष संगणक एवं शब्द संसाधित्र (वर्ड प्रोसेसर) के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेगा ।

पाठ्येतर क्रियाकलाप

भाषा के उपयुक्त ज्ञान के लिए समुचित परिवेश की आवश्यकता होती है तभी भाषा के चारों कौशल अर्थात् बोलना, लिखना, समझना और अभिव्यक्त करना कारगर हो पाते हैं । हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मचारी अक्सर उचित भाषायी परिवेश के अभाव में दिए गए ज्ञान को ग्रहण और अभिव्यक्त करने में अपने को असमर्थ पाते हैं । अतः भाषायी परिवेश को जीवंत बनाने के लिए संस्थान पुस्तकालय-वाचनालय की व्यवस्था के साथ समय-समय पर संगोष्ठी समारोह वाद-विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन करेगा और हिन्दी चलचित्रों तथा नाटकों आदि के प्रदर्शन की व्यवस्था करेगा । सीखे

गए ज्ञान को प्रगाढ और विस्तृत करने के लिए संस्थान प्रमुख हिन्दी सेवियों का भी सहयोग प्राप्त करेगा ।

6. उपसंहार

उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि जहां केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान हिन्दी प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी एवं व्यावहारोन्मुख बनाएगा वहीं हिन्दी शिक्षण योजना की विसंगतियों को दूर करने में सक्षम होगा, इसके लिए दिल्ली के लोदी रोड स्थित स्थल सी०जी०ओ० कम्प्लेक्स के फेज-II में संस्थान 21 अगस्त, 85 से स्थापित हो चुका है । यह स्थान प्रशिक्षण में भाग लेने वालों तथा इसकी व्यवस्था आदि में लगे कर्मचारियों दोनों के लिए सुविधाजनक है ।

संस्थान द्वारा चलाए गए पाठ्यक्रम

प्रथम तिमाही (जनवरी 86 से मार्च 1986 तक)

संस्थान द्वारा प्रथम तिमाही सत्र में पृथ्वीराज रोड पर स्थित अपने पूर्व कार्यालय में नीचे लिखे चार पाठ्यक्रम चलाए गए :

(1) (6-1-86 से 10-1-86 तक) राजभाषा सेवा के हिन्दी अधिकारियों के लिए 5 कार्य दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

(2) 15-1-86 से 18-2-86 तक संघ सरकार के कर्मचारियों के लिए 35 कार्य दिवसीय प्रारम्भिक पाठ्यक्रम ।

(3) 3-3-86 से 7-3-86 तक राजभाषा सेवा के कनिष्ठ अनुवादकों के लिए 5 कार्यदिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

(4) 17-3-86 से 21-3-86 तक संघ सरकार के कर्मचारियों के लिए कार्यालयी हिन्दी कार्यशाला ।

हिन्दी अधिकारियों के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का उद्घाटन तत्कालीन गृह राज्यमंत्री माननीय पी० ए० सांगमा ने किया था । इसी अवसर पर प्रारंभिक पाठ्यक्रम का भी औपचारिक उद्घाटन हुआ था ।

द्वितीय तिमाही—अप्रैल 86 से जून 86 तक

संस्थान का कार्यालय 2 अप्रैल, 1986 से सी०जी०ओ० कम्प्लेक्स के फेज-II के सातवें तल स्थित बी-ब्लाक, खंड-3 में आ गया । जहां द्वितीय सत्र के पाठ्यक्रम 7 अप्रैल से प्रारंभ कर दिए गए । इस तिमाही में नौ पाठ्यक्रम चलाए गए । इन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है :

अवधि	कार्य दिवस	पाठ्यक्रम
1. 7-4-86 से 6-5-86 तक	20	माध्यमिक पाठ्यक्रम
2. 14-4-86 से 18-4-86 तक	5	हिन्दी शिक्षण योजना के नव नियुक्त हिंदी प्राध्यापकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
3. 28-4-86 से 2-5-86 तक	5	राजभाषा सेवा के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
4. 5-5-86 से 9-5-86 तक	5	कार्यालयीन हिन्दी कार्यशाला
5. 7-5-86 से 27-5-86 तक	15	प्राज्ञ पाठ्यक्रम
6. 26-5-86 से 30-5-86 तक	5	कार्यालयीन हिन्दी कार्यशाला ।
7. 2-6-86 से 6-6-86 तक	5	हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ।
8. 16-6-86 से 20-6-86 तक	5	हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशकों, टंकण / आशुलिपि के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ।
9. 23-6-86 से 27-6-86 तक	5	कार्यालयीन हिन्दी प्रशिक्षण ।

इस नव-निर्मित संस्थान द्वारा संचालित उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों ने अत्यन्त उत्साहपूर्वक भाग लिया । हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले संघ सरकार के कर्मचारियों के लिए चलाये गये माध्यमिक और प्राज्ञ पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर ली गई परीक्षाओं का परीक्षा-फल 100% रहा । यह उन पाठ्यक्रमों की सफलता का ज्वलन्त उदाहरण है । इन परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आये प्रशिक्षार्थियों को अलग से सचिव महोदया द्वारा पारितोषिक दिये गये । इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित सभी प्रशिक्षार्थी संस्थान द्वारा दिये जाने वाले कार्यालयीन हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान से संतुष्ट थे । उनके द्वारा भरे गये सुझाव-फार्म इस बात का प्रमाण हैं कि संस्थान द्वारा उनमें हिन्दी में कार्य करने की मानसिकता निर्मित कर दी गई है । 35 दिन के गहन पूर्णकालिक प्रशिक्षण के दौरान निरन्तर भाषायी परिवेश में रहने के कारण उनके द्वारा अर्जित हिन्दी हिन्दी ज्ञान सरकारी कामकाज को हिन्दी में करने के लिए उन्हें अवश्य उत्साहित करेगा और धीरे-धीरे हिन्दी का प्रयोग करते रहने से वे दफ्तरी काम-काज को हिन्दी में करने के आदी हो जायेंगे ।

इन पाठ्यक्रमों में हिन्दी के प्रति प्रशिक्षार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए संस्थान द्वारा भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और उन्हें पाठ्यपुस्तकें और प्रशासनिक शब्दावली नामक पुस्तक निःशुल्क दी गई ।

द्वितीय सत्र में जिन दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया उनमें भाग लेने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को कार्यशाला के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त उन्हें आपसी विचार-विमर्श द्वारा उनके सम्मुख दफ्तरों में आने वाली हिन्दी-कार्य सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के उपायों से अवगत कराया गया, जिससे संस्थान से अपने दफ्तरों को वापस जाने पर हिन्दी में कार्य करने के उनके उत्साह में वृद्धि हो । कार्यशाला के प्रशिक्षार्थियों को आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक उपकरण एवं तत्सम्बन्धी शब्द संसाधित्र का प्रत्यक्ष व्यावहारिक ज्ञान भी कराया गया । इन कार्यशालाओं की समाप्ति पर प्रशिक्षार्थियों को संस्थान की ओर से प्रशासनिक शब्दावली की पुस्तकें भी दी गई जिससे हिन्दी में कार्य करते समय कार्यालयीन शब्दावली सम्बन्धी कठिनाइयों को वे स्वतः दूर कर सकें ।

द्वितीय सत्र में हिन्दी शिक्षण योजना के नव नियुक्त प्राध्यापकों के लिए चलाये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दिल्ली में नव-नियुक्त प्राध्यापकों ने भाग लिया। इन प्राध्यापकों को संस्थान द्वारा 5 कार्य दिवसों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की नीति, नियमों आदि की जानकारी देने के अतिरिक्त संघ के कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कराने हेतु प्राध्यापक किन-किन विधियों का प्रयोग करे तथा किस रूप में हिन्दी शिक्षण योजना को क्रियान्वित करे, इसकी विस्तृत जानकारी कराई गई।

राजभाषा सेवा के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के लिए द्वितीय सत्र में चलाये गए पंच दिवसीय पाठ्यक्रम में प्रबुद्ध विद्वानों द्वारा दिए जाने वाले भाषणों और चर्चा-परिचर्चा द्वारा उन्हें हिन्दी में अनुवाद करते समय होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के समाधान सुझाये गये। हिन्दी में कार्य करने के उत्साही वरिष्ठ अनुवादकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम की समाप्ति पर उन्हें प्रशासनिक कार्य सम्बन्धी शब्दावली की पुस्तकें भेंट की गई। इस पाठ्यक्रम के समापन समारोह के अवसर पर एक कविता संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इससे प्रशिक्षार्थियों के हिन्दी के प्रति प्रेम और रुचि को बढ़ाने तथा उनके हिन्दी विषयी भावों के उदात्तीकरण और परिष्करण को एक दिशा मिली जिसे एक सफल कदम कहा जा सकता है।

हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशकों के लिए द्वितीय सत्र में चलाए गए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में अनेक विषयों और मामलों पर चर्चा-परिचर्चा की गई तथा सहायक निदेशकों के सामने आने वाली प्रशासनिक अनुशासनिक वित्तीय कठिनाइयों और समस्याओं के समाधान देने का प्रयत्न सचिव, संयुक्त सचिव तथा उप सचिव आदि के साथ हुई उनकी बैठकों/संगोष्ठियों में किया गया। हिन्दी शिक्षण योजना के वर्तमान स्वरूप, उसके पाठ्यक्रम आदि को और अधिक सुन्दर और सफल बनाने के लिए चर्चा परिचर्चा द्वारा सुझाव रखे गये। यही नहीं द्विभाषी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण एवं तत्सम्बन्धी द्विभाषी नीति शब्द संसाधित्र का व्यावहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान कराने की व्यवस्था भी इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में की गई।

हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशकों (टंकण/आशुलिपि) के लिए चलाए गये 5 कार्य दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में सभी क्षेत्रों के 21 सहायक निदेशकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, आदि वरिष्ठ प्राधिकारियों के साथ हुई बैठकों में हिन्दी से सम्बन्धित सभी तरह की कठिनाइयों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। यह सभी कार्य बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से किया गया। सभी प्रशिक्षार्थियों को चार वर्गों में बाँट कर चार मुख्य विषयों के अन्तर्गत उनकी सभी कठिनाइयों को सम्पादित करते हुए प्रत्येक वर्ग द्वारा चर्चा-परिचर्चा के बाद पेपर निर्मित किए गये। जिन्हें समापन समारोह के अवसर पर सचिव महोदया के सम्मुख रखा गया। सचिव महोदया ने इनके निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने को तत्काल आदेश दिया।

हिन्दी शिक्षण योजना के प्राध्यापकों के लिए संस्थान द्वारा 5 कार्य दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाया गया, इसमें 38 प्राध्यापकों ने भाग लिया। उत्तरी तथा मध्य क्षेत्र के पुराने प्राध्यापकों के साथ इस पाठ्यक्रम में पूर्वी और मध्य क्षेत्र के नव-नियुक्त प्राध्यापक भी थे, जिसका उद्घाटन संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग के उत्साहवर्धक भाषण के साथ हुआ। इस अवसर पर प्राध्यापकों ने शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करने के लिए कई सुझाव दिए। इन सुझावों पर विस्तृत चर्चा हुई और कठिनाइयों के समाधान के लिए विशेष प्रबंध करने का आश्वासन दिया गया।

संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले तीसरी तिमाही सत्र (जुलाई 86-सितम्बर, 1986) के पाठ्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है :—

क्र० सं०	अवधि	कार्य दिवस	पाठ्यक्रम
1.	7-7-86 से 8-8-86	25	प्रारंभिक प्रबोध पाठ्यक्रम।
2.	21-7-86 से 18-8-86	20	प्राज्ञ तथा कार्यालयी गहन हिन्दी कार्यशाला के संयुक्त पाठ्यक्रम।
3.	11-8-86 से 18-8-86	5	कार्यालयी गहन हिन्दी कार्यशाला।
4.	21-8-86 से 28-8-86	5	राजभाषा सेवा के वरिष्ठ अनुवादकों का गहन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।
5.	1-9-86 से 5-9-86	5	राजभाषा सेवा के कनिष्ठ अनुवादकों का गहन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।
6.	9-9-86 से 10-9-86	2	मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों के लिए राजभाषा नीति एवं उसके कार्यान्वयन के संबंध में संगोष्ठी।
7.	23-9-86 से 24-9-86	2	--वही--

संस्थान द्वारा अब तक चलाए गए पाठ्यक्रमों में प्रवक्ता के रूप में राजभाषा नीति से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी बुलाए गए जिनम सर्वश्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, राजभाषा, डॉ० मलिक मुहम्मद, अध्यक्ष, तकनीकी आयोग, बी० पी० सिंह, उप सचिव, राजभाषा, राजमणि तिवारी, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, बी० एन० सिंह, निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो डॉ० पांडुरंगराव निदेशक (राजभाषा), संघ लोकसेवा आयोग डॉ० नारायण दत्त पालीवाल, सचिव, हिन्दी अकादमी, दिल्ली, डॉ० महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक (राजभाषा), डॉ० अशोक कुमार भट्टाचार्य, संयुक्त निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, कौशिक मुखर्जी, अवर सचिव (सेवा), डॉ० भगीरथ शर्मा, श्री विश्वनाथ मिश्र आदि प्रमुख हैं।

निदेशक
केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान,
सी० जी० ओ० कम्प्लैक्स,
ब्लाक० बी०, सातवाँ तल,
नई दिल्ली-3

6—170 एम० आफ एच०ए०/एनजी/86

हिन्दी वैज्ञानिक पत्रिकाएँ : उपलब्धियां और अपेक्षा

— शाम सुन्दर शर्मा

समझा जाता है कि किसी भारतीय भाषा की प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका होने का श्रेय बंगला की "प्रश्नावली" पत्रिका को है जिसका प्रकाशन 1821 में आरंभ हुआ था। हिन्दी में वैज्ञानिक पत्रिकाओं का श्रीगणेश 1913 में "आयुर्वेद महासम्मेलन" पत्रिका के प्रकाशन से हुआ। उसके दो वर्ष बाद इलाहाबाद में "विज्ञान" का प्रकाशन आरंभ हुआ। ये दोनों पत्रिकायें अब भी प्रकाशित हो रही है। उस समय से लेकर आज तक हिन्दी की वैज्ञानिक पत्रिकाओं की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। उनका स्तर श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर हुआ, उनका कलेवर और साज सज्जा सुन्दर से सुन्दरतर होती गयी। तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रकाशित "हिन्दी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशन निदेशिका" के अनुसार हिन्दी वैज्ञानिक पत्रिकाओं की संख्या 320 से भी अधिक है।

इनका विषयवार विवरण इस प्रकार है :—

विषय	संख्या
सामान्य विज्ञान	21
चिकित्सा विज्ञान	142
कृषि और पशुपालन	101
अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी	37
भूगोल और भूविज्ञान	9
वनस्पति विज्ञान	2
गणित	1
रसायन विज्ञान	1
भौतिकी	4
प्राणि विज्ञान	3
कुल	321

यद्यपि आज भी हिन्दी में वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं की संख्या दो या तीन तक ही सीमित है—अंतर्राष्ट्रीय शोध की पत्रिका तो केवल एक "विज्ञान परिषद् अनुसंधान पत्रिका" ही है—तथा अधिकांश वैज्ञानिक पत्रिकाओं की सामग्री और गेटअप का स्तर काफी नीचे है तथापि हिन्दी में विज्ञान और शिल्पविज्ञान की विविध शाखाओं पर नियमित रूप से पत्रिकाओं का प्रकाशित होते रहना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन पत्रिकाओं में वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक ही नहीं, पाक्षिक और साप्ताहिक पत्रिकायें भी शामिल हैं। ये सरकारी वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा ही नहीं, कर्मठ व्यक्तियों द्वारा, अपने सीमित साधनों से भी प्रकाशित की जाती है। आत्मप्रशंसा होते हुए भी यह तथ्य है कि आज वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की लोक वैज्ञानिक मासिक पत्रिका "विज्ञान प्रगति" देश की सर्वाधिक लोकप्रिय वैज्ञानिक पत्रिका है। एक सरकारी पत्रिका होने के बावजूद भी इसकी प्रसार संख्या एक लाख प्रतियां प्रति मास हैं। गेटअप और मुद्रण की दृष्टि से भी उसे दो बार भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है।

पर क्या हिन्दी जैसी गौरवशाली भाषा के लिए, जिसे यूनेस्को द्वारा भी विश्व की तीसरी भाषा मान लिया गया है, यह पर्याप्त है ? बिल्कुल नहीं ! वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान तीसरा है परन्तु उसकी राजभाषा में, उसके सबसे बड़े जनसमुदाय की मातृभाषा में बीसवीं सदी के अंतिम चरण में और देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के 39 वर्षों के बाद भी वैज्ञानिक साहित्य का बहुत अभाव है। आज हिन्दी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की एक ही शोध पत्रिका है जिसमें शुद्ध विज्ञान के मौलिक शोध पत्र प्रकाशित होते हैं।

हिंदी जैसी भाषा में आज वैज्ञानिक पत्रिकाओं की भरमार होनी चाहिए थी। उसमें लगभग हर वैज्ञानिक विषय पर शोध पत्रिका होनी चाहिए थी। लोक वैज्ञानिक पत्रिकाएं तो हर छोटे-बड़े शहर से प्रकाशित हो सकते थे।

अपेक्षा और उपलब्धि की बीच की इस गहरी खाई के लिए अनेक बातें उत्तरदायी हैं। उनमें से कुछ प्रमुख की चर्चा यहां की जा रही है।

हिंदी में वैज्ञानिक शोध लेखन में आज एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। जो वैज्ञानिक अपने शोध पत्र, अपने पत्र हिन्दी में लिखना चाहते हैं उनके लिए पत्रिकाओं का अभाव है। पर नयी शोध पत्रिकाओं को आरंभ करने में सबसे बड़ी बाधा हिन्दी में शोध लेखन करने वाले वैज्ञानिकों की कमी बताई जाती है।

लोक वैज्ञानिक लेखन की स्थिति कुछ बेहतर है पर वांछनीय नहीं। अहिन्दी भाषी वैज्ञानिक तो हिन्दी में लेखन करते ही नहीं

हिन्दी भाषी वैज्ञानिक भी हिन्दी में लिखने से घबराते हैं। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हिन्दी में लोकप्रिय विज्ञान लेखन करने वाले व्यक्तियों में गैर-वैज्ञानिकों की संख्या काफी अधिक है। विषय के ज्ञाता न होने के कारण उन के लेखन में जैसी त्रुटियां होती है उनकी सहज ही कल्पना की जा सकती है।

वैज्ञानिक विषयों, विशेष रूप से इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिकी, चिकित्सा विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, अनुवंशिकी पर अधिकार-पूर्वक हिन्दी में लेखन करने वाले व्यक्तियों की संख्या अब भी उंगलियों पर गिनी जा सकती है।

इस हालत के लिए वैज्ञानिक प्रशासकों को दोषी ठहराते हैं। पर पत्रिकाओं के सम्पादक हिन्दी पाठकों और परिस्थितियों को जिम्मेदार बताते हैं। वैज्ञानिकों का आरोप हैं कि उन्हें अपने लेखन के लिए न तो उचित पारिश्रमिक मिलता है और न ही उनके लेखन को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।

वैसे अब भी ऐसे लोगों का अभाव है जिन्हें विज्ञान के साथ-साथ हिन्दी का भी समुचित ज्ञान हो। साथ ही वे सम्पादन कला में भी सिद्धहस्त हों। इससे निश्चय ही वैज्ञानिकों द्वारा लिखे गए लेखों का न तो समुचित रूप से सम्पादन हो पाता है और न ही उनमें सदैव उपयुक्त चित्रों का, जो कठिनाई से प्राप्त होते हैं, समावेश!

वैज्ञानिक पत्रिकाओं के मुद्रण में भी उनकी विशेष आवश्यकताओं के संदर्भ में, अपेक्षाकृत अधिक खर्च आता है।

उक्त कारणों से अधिकांश हिन्दी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रशासनों का स्तर काफी नीचा होता है। वह अधिकांश साहित्यिक प्रकाशनों की तुलना में भी निम्न रहता है। अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक प्रकाशनों के मुकाबले में तो वे कही भी नहीं टिकते।

वैज्ञानिक पत्रिकाएं इतनी संख्या में नहीं बिक सकतीं जितनी उपन्यास या कहानी-पत्रिकाएं। इसलिए निजी प्रकाशक वैज्ञानिक पत्रिकाओं के प्रकाशन को उतना महत्व नहीं देते जितना पाठ्य पुस्तकों या उपन्यासों को।

जहां तक सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाने वाली हिन्दी वैज्ञानिक पत्रिकाओं का सम्बन्ध है, लाभ की भावना न होने के कारण उनका स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा है। पर सरकारी तंत्र की अपनी समस्याएं हैं; निजी संस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक जटिल कहीं अधिक पेचिदा।

इन समस्याओं के समाधान कठिन जरूर हैं लेकिन असंभव नहीं। निश्चय ही इसमें सरकारी संस्थाओं को या हिन्दी प्रेम की भावना से ओत प्रोत त्यागी प्रवृत्ति के प्रकाशकों को पहल करनी होगी क्योंकि वैज्ञानिक पत्रिकाओं, विशेष रूप से वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन हरगिज लाभ का सौदा नहीं है। उनमें बहुत मेहनत और लागत लगती है।

मैं एक बार फिर कहना चाहुँगा कि हिंदी में विज्ञान लेखन की समस्याएं हैं पर ऐसी नहीं कि उन पर पार न पाया जा सके। वास्तव में इन्हें हल करने के लिए उसी लगन और उत्साह की जरूरत है जो आजादी से पहले हिन्दी प्रेमियों में थी। अपनी भाषा की समृद्धि के लिए वे बड़े से बड़ा त्याग करने में भी नहीं हिचकते थे। उसी त्याग की भावना की आज भी जरूरत है तब ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी समुचित स्थान पा सकेगी।

—सम्पादक "विज्ञान प्रगति"
प्रकाशन और सूचना निदेशालय
हिलसाईड रोड, नई दिल्ली-110012

"सबको हिन्दी सीखनी चाहिए, इसके द्वारा भाव विनिमय से सारे भारत को सुविधा होगी।"
—चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

1. दिग्दर्शन : नागरी लिपि

— डा० सर्वदानन्द द्विवेदी

[डॉ० सर्वदानन्द द्विवेदी ने राजभाषा हिन्दी के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी तथ्य संग्रहीत किए है। इन तथ्यों की सटीकता का उत्तरदायित्व लेखक का ही है। इसे हम इस आशय से प्रकाशित कर रहे है कि यह हिन्दी के प्रचार और प्रसार में लगे हुए राजभाषा प्रेमियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और हिन्दी के विषय में अनेक ऐसे तथ्य उजागर होंगे जिनके विषय में अभी तक या तो कोई जानकारी उपलब्ध न थी या उनके सम्बन्ध में कुछ भ्रम थे।]

1. विश्व की प्राचीनतम और सबसे पहली लिपि सिंधु लिपि है यह 3000 ई० पू० की है।

2. इसी के आस पास वन्य लिपि (डोगर लिपि) संस्कृत और आल भाषा के पूर्व मनु द्वारा व्यवहृत की जाती थी। 1500–1000 ई० पू० ईरान और भारत में समान रूप से एक लिपि प्रचलित होने के प्रमाण मिले हैं।

3. सिंधु लिपि के ब्राह्मी और ब्राह्मी से नागरी लिपि का उद्भव हुआ।

4. जैन ग्रंथ "समवायांग सूत्र" और बौद्ध ग्रंथ "ललित विस्तार" में देवनागरी लिपि का उल्लेख मिलता है।

5. नित्य षोड़ शिकाणवि ग्रंथ की "सेतुबंध" नामक टीका और ग्रंथ "वातुलागम" में नागरी लिपि का उल्लेख मिलता है।

6. लंदन संग्रहालय में सुरक्षित ई०पू० 7वीं शती की बबिलोनियां से प्राप्त "इष्टिका" नागरी लिपि के अस्तित्व का प्रमाण देती है।

7. महाभारत कालीन गणेश परंपरा के लिपिकार नागरी का भी प्रयोग करते थे।

(महाभारत का अनुशासन पर्व)

8. ऋग्वेद के मंत्र 1:58:12 के अनुसार नागरी लिपि का संदर्भ प्राप्त होता है।

9. ई० पू० तीसरी सदी में कागज बनाने की विधि भारत में प्रचलित थी।

10. 500 ई० पु० में "मन विजय की टीका" नामक जैन धर्म की पुस्तक कागज पर लिखी गई है।

11. 2–3 शताब्दी का पूना के पास काली के गुल चैत्य में प्राप्त "मृदफलक" नागरी लिपि के अस्तित्व का संकेत देता है।

12. पंचमार्क सिक्कों की परंपरा में ईरान से 396 ई० में जारी सिक्कों पर नागरी लिपि का अंकन है। सिक्कों के एक तरफ "सामंत देव" शब्द अंकित है।

13. शुंग—गुप्त आंध्र काल में माहेश्वरी का उत्थान पेटिका शीर्ष सिद्ध मातृका भारती—देव-लिपि (देवनागरी) के रूप में हुआ। (अलबरूनी)

14. 1677–96 ई० पू० में देवलिपि का अंकन स्वयंकृत "पदम पुरान" के पाताल खंड, अध्याय–1, श्लोक–48 "सर्वाक्षरे शिरो रेखा अवक्रा, प्रणवंबिना" में विहित है।

15. ई० पू० 453 में लिखित जैन ग्रंथ "बदि-सूत्र" में नागरी का उल्लेख मिलता है।

16. 185 ई० पू० में चोलवंशी शिक्कों पर "श्री राजेंद्र" नागरी में अंकित मिलता है।

17. 1 से 2 ई० में के मध्य पल्लव राजाओं के शिला लेखों में ग्रंथ व तमिल लिपि के साथ देवनागरी का अंकन किया जाता था।

18. 25 ई० में नायक वंशीय राजाओं के सिक्कों पर नागरी लिपि का अंकन था।

19. चौथी शती का नागरी लिपि में उत्कर्ण सबसे पहला संस्कृत शिला लेख हिन्दु राजा मद्रवर्मन का दक्षिणी वियतनाम (चम्पा) में प्राप्त हुआ है।

20. बोर्नियो, जावा, कंबोडिया, वर्मा, मलय, थाई आदि देशों में 4–5वीं शती में नागरी के शिलांकन चिह्न मिले हैं।

21. 7वीं शताब्दी के एक शिला लेख में ग्रंथ लिपि के एक दान पात्र का नागरी रूपांतर मद्रास संग्रहालय में सुरक्षित है यह कांची से प्राप्त हुआ था।

22. 7-8वीं शताब्दी में, गुजरात के शासक जयभट्ट के शिला लेखों में नागरी का प्रयोग किया गया है।

23. 7वीं शती के अंतिम चरण में प्रणीत "विशीथ चूर्णि" नामक ग्रंथ में नागरी और "हिन्दी" दोनों शब्दों का प्रयोग मिलता है।

24. 754 ई०, 780 ई०, 794 ई०, में क्रमशः राष्ट्रकूट दंति दुर्ग का सामान गढ़ ताम्र पत्र, गोविंद राज का धुलिया ताम्र-पट और राष्ट्र कूट गोविन्द राज तृतीय का ताम्रपट में नागरी लिपि का अंकन है।

25. 8वीं शताब्दी में पश्चिमी चालुक्य राजाओं और तंजौर राजाओं के शिला लेखों, 835 ई बड़ोदा शिला लेख, 843 ई० में कन्हेरी–बंबई शिला लेखों में नागरी का अंकन है।

26. 1000–1100 ई० में केरल से प्राप्त चेरबंशीय सिक्का जो ब्रिटिश संग्रहालय में है, उसके दोनों तरफ "श्री वीर केरलस्य" नागरी में है।

27. 1153–1296 ई० में लंका के शासकों, 1241–1246 ई में दिल्ली के वादशाह अलाउद्दीन मसूद, 6 से 12वीं सदी के मध्य ईरानी सिक्कों पर, 10–12वीं सदी के शिलालेखों व 12वीं सदी से ईस्ट इंडिया कं० के शासन तक नागरी का प्रयोग मिलता है।

28. विश्व के 31 देशों के 11 विश्वविद्यालयों में नागरी लिपि के माध्यम से हिन्दी का पठन-पाठन होता है। सबसे अधिक अमेरिका के 33 विश्वविद्यालयों में ऐसा पठन-पाठन होता है।

29. रूस में 1000 से अधिक छात्र नागरी लिपि सीख रहे हैं।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली के पत्राचार कोर्स के अन्तर्गत 1 लाख अहिन्दी भाषी व 300 विदेशी छात्र नागरी लिपि के माध्यम से हिन्दी सीख रहे हैं।

30. भारत में नागरी लिपि जानने, पढ़ने, लिखने वालों की संख्या 42 करोड़ है।

31. दिल्ली की कुल जनसंख्या 40 लाख 65 हजार में से 30 लाख 88 हजार नागरी लिपि में पढ़ना लिखना जानते हैं। (1971 की जनगणना)

32. नागरी लिपि के टाइप व मुद्रण का कार्य सर्वप्रथम हालैंड में हुआ।

33. भारत में सन् 1881 ई० में नागरी के टाइप बनाए गए।

34. कलकत्ता के न्यायमूर्ति शारदा चरण मित्र ने सन् 1905 में "एक लिपि विस्तार परिषद" की स्थापना की। 1907 ई० में "देवनागर" पत्र का प्रकाशन हुआ।

35. 15वीं शताब्दी में गोवा में प्रेस की स्थापना हुई। सन् 1623 ई० में पादरी डेली वेल्यू ने देवनागरी लिपि के बारे में लिखा।

36. श्री ल० वाकणकर ने देवनागरी टेलीप्रिंटर के लिए नवीन व अद्यतन कुंजी पटल का परिमार्जित व सरल प्रारूप "टेलिनागरी" नाम से सन 1983 ई० (नवम्बर 83) में बनाया है।

37. ब्यावर, राजस्थान के 70 वर्षीय श्री अब्दुल हबीब रहमानी ने हिन्दी-उर्दू, सिंधी फारसी तथा गुजराती भाषाएं लिपि-बद्ध करने वाले "विद्युतचालित टाइपराइटर का आविष्कार किया है।

38. पिलानी में बने कम्प्यूटर के दो बटन दबाने मात्र से भारत की 16 भाषाओं में शिक्षा ली जा सकती है और अनुवाद प्राप्त किया जा सकता है।

39. परिवर्धित नागरी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर या संकेत चिन्ह इस प्रकार है :—

14 स्वर, 34–व्यंजन, 4–संयुक्त व्यंजन, 11–मात्राएं व 1–हल चिन्ह है। जबकि 16 अंग्रेजी में 46 ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए मात्र 26 लिपि चिन्ह हैं।

40. सन् 1784 में काप्टन पादरी फ्रांसीस टरोनोस ने "लेविजन, लिंगुहा, इडुस्टानिया" नामक भारतीय भाषाओं का शब्द-कोश निकाला।

41. 1745 में बेंजामिन जूल्ज का "हिन्दुस्तानी व्याकरण" निकला।

42. 1746 में जान चेम्बरलेन ने "सिलोलांग" नामक भारतीय भाषाओं का प्रार्थना गीत लिखा।

43. 1748 में जर्मन लेखक जान फेडरीक फ्रीटज ने 172 पृष्ठीय भारतीय भाषाओं का प्रार्थना गीत निकाला इसकी भूमिका दक्षिण भारत के ट्रंकोबार स्थित डैबिश चर्च के पादरी शुल्टज ने लिखी थी। इसमें बंगला, तमिल, तेलुगु, सिंहली, वर्मी, व नागरी लिपि के अक्षर प्रयुक्त किए गए थे।

44. सन् 1771 ई० में रोम के कैथोलिक पादरी कसानियों वेलीगार्ता ने नागरी अक्षरों के अन्त वाली पुस्तक प्रकाशित की।

45. सन् 1782 ई० में इनान अबेल की सिम्फोना-सिम्फोना पुस्तक भी ऐसी ही प्रकाशित हुई।

46. सन् 1814 में ब्रिटेन के प्राइस ने हिन्दी-अंग्रेजी कोश व सन् 1825 में हिन्दी हिन्दुस्तानी सेवेक्शन प्रकाशित किया।

47. नागरी लिपि से केवल हंगेरियन लिपि का ही साम्य इसलिए है कि वह भी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है परंतु उसमें नागरी लिपि जितनी वैज्ञानिकता नहीं है।

48. विश्व भारती, शांतिनिकेतन से तमिल के पांच ग्रंथों का नागरी लिपि में लिप्यंतर इसी वर्ष 1986 में किया गया है।

49. नागरी लिपि परिषद, नई दिल्ली का 9वां अखिल भारतीय नागरी सम्मेलन 14–15 मार्च, 1986 को नई दिल्ली में हुआ।

50. नागरी लिपि में, बंगाल, लखनऊ, कोरापूट, जालंधर, बेलेगांव, बड़ोदरा, गुवाहाटी, पनवार, दिल्ली, वर्धा, जयपूर, वाराणसी, बिहार, चंडीगढ़ से विभिन्न भाषाओं की पत्रिकाएं नागरी लिपि में प्रकाशित होती हैं।

51. संकेत मूलक आधार से पाषाण युग को पहुंचते स्वर संकेतों ने आकृति मूलक लिपि चिन्हों का अनायास आविष्कार किया। चित्र लिपि के रंग बोध के परिष्करण और परिव्यापन ने अमौलिक दिशाओं का उद्घाटन संदेश संप्रेषण के रूप में किया। चित्रात्मकता रेखा मूलक से अक्षर मूलक हुई और वर्णमाला का अनुशासित प्रारूप कलाक्षर लिपि उत्कीर्णन में दृष्टिगोचर हुआ। उत्खनन और उत्कीर्णन में कीलाक्षर लिपि के विविध आयामों व रूपान्तरणों की प्रक्रियाएं शोध निकस से प्राप्त हुई। अब हम आधुनिक मुद्रण युग में विचरण करते हुए भी सतत् परिनिष्ठित स्वरूप को संवारने में संलग्न हैं। लिपि की यात्रा-विकास-कथा को अनवरत अग्रेषित करते जा रहे हैं।

7—170 एम आफ एच ए/एन डी/86

2. दिग्दर्शन : हिन्दी

1. विश्व के 31 देशों के 110 विश्वविद्यालयों में हिन्दी अध्ययन —अध्यापन होता है ।

2. भारत के 83 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पठन-पाठन होता है ।

3. सम्पूर्ण विश्व में 2,800 भाषाएं हैं ।

4. सम्पूर्ण भारत में 179 भाषाएं हैं ।

5. सम्पूर्ण भारत में 544 बोलियां या उप भाषाएं हैं ।

6. उप कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी के सहयोग व पं० सकल नारायण शर्मा की अध्यक्षता में एम० ए० स्नातकोत्तर हिन्दी की कक्षाएं सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय में सन् 1918 में प्रारंभ हुई ।

7. खड़ी बोली हिन्दी का श्रीगणेश कलकत्ता से ही हुआ था ।

8. अवधी का सर्वप्रथम ग्रंथ "चांदायन" है इसके लेखक मौलाना दाऊद रायबरेली हैं ।

9. हिन्दी का प्रथम व्याकरण "डच" भाषा में हालैण्ड निवासी श्री जानजेशुआ केटेलर ने "हिन्दुस्तानी भाषा" शीर्षक से 1685 ई० में लिखा था ।

10. भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित पुस्तक "बंगला के व्याकरण" है। इसे 1778 ई० में फोर्ट वि० कालेज के प्राध्यापक श्री नेथनियल ब्राटी ने लिखा था। इस की एक मात्र प्रति इस समय केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली के ग्रंथागार में सुरक्षित है ।

11. भारत में नागरी लिपि व हिन्दी जानने, बोलने, पढ़ने व लिखने वाले 42 करोड़ लोग हैं ।

12. हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, केन्द्रीय पुस्तकालय, दिल्ली और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, नैनिताल में पूर्व नागरी लिपि में लिखित दुर्लभ पांडुलिपियां हैं ।

13. स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने पहली बार साढ़े तीन आने मूल्य का डाक-टिकट 21 नवम्बर 1947 को जारी किया। इस पर राष्ट्रीय ध्वज के चित्र के साथ दाएं हिस्से में "जय हिन्द" छपा है ।

14. बंगलोर में बनने वाला कम्प्यूटर 16 भारतीय भाषाएं पढ़ा सकता है और अनुवाद भी कर सकेगा ।

15. संयुक्त राष्ट्र संघ में छः भाषाओं का प्रयोग होता है — अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनी ।

16. हिन्दी में पांच सौ धातुओं का प्रयोग होता है जिनमें आधी सकर्मक और आधी अकर्मक हैं ।

17. हिन्दी में शब्दों की संख्या 5 लाख के लगभग है ।

18. अंग्रेजी में करीब 8 लाख शब्द हैं ।

19. हिन्दी में मात्र तीन धातुओं—होना, करना, बनाना, जान लेने मात्र से काम चल जाता है ।

20. "बाइबिल" में प्रयुक्त शब्दों की संख्या 4800 है ।

21. "मिल्टन" के सभी ग्रंथों की शब्द संख्या 8,700 है ।

22. शेक्सपीयर के सभी ग्रंथों की शब्द संख्या 15,375 है ।

23. तुलसी कृत रामचरितमानस की शब्द संख्या 17,000 है ।

24. सूरदास के ग्रंथों की शब्द संख्या 8500 है ।

25. 14 सितम्बर, 1949 ई० को हिन्दी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई ।

26. शेक्सपीयर के समय में अंग्रेजी वर्तनी का कोई रूप नहीं था वह अपना नाम विभिन्न रूपों में लिखा करते थे । यह प्रकार 17 थे ।

27. "हिन्दी" शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सातवीं सदी के अन्तिम चरण में "निशीथ-चूर्षि" नामक ग्रंथ में मिलता है ।

28. छठी सदी ई० के कुछ पूर्व से ही ईरान में "जबान-ए-हिन्दी" का प्रयोग भारत की भाषाओं के लिए होता रहा है ।

29. सन् 1333 ई० में इब्ने बत्ता ने "हिन्दी" शब्द का प्रयोग किया ।

30. तैमूर लंग के प्रपौत्र के समय सन् 1424 ई० में शर-फुद्दीन यज्दी ने जफरनामा लिखा इसमें "राव" को "हिन्दी" शब्द माना गया है ।

31. अमीर खुसरो ने हिन्दी शब्द भारतीय मुसलमानों के लिए और "हिन्दवी" शब्द मध्य देशीय भाषा के लिए प्रयोग, किया है ।

32. सन् 1824 ई० में हिन्दी प्राध्यापक विलियम प्राइस ने "हिन्दी" और "हिन्दुस्तानी" का विभेद किया ।

33. "हिन्दी व्याकरण" ग्रंथ के लेखक कामता प्रसाद गुरू हैं यह सन् 1920 ई० में काशी से प्रकाशित हुआ ।

34. "हिन्दी शब्दानुशान" (हिन्दी व्याकरण के लेखक आचार्य किशोरी दास बाजपेयी हैं ।

35. हिन्दी का प्रथम व्याकरण 1876 ई० में सैमुअल कैलाग अमेरिका ने इलाहाबाद से प्रकाशित कराया ।

36. हिन्दी का नवीनतम व अद्यतन मानक व्याकरण डा० आल्मन, प्रो० दीम शित्स, मास्को अहिन्दी भाषी ने लिखा है । अनुवादक श्री योगेन्द्र पाल हैं । रादुगा प्रकाशन मास्को (रूस) से यह 693 पृष्ठीय ग्रंथ प्रकाशित हुआ है ।

37. व्यावर (राजस्थान) के अब्दुल हबीब रहमानी 70 वर्षीय वृद्ध ने हिन्दी, उर्दू, सिंधी, फारसी तथा गुजराती भाषाएं लिपिबद्ध करने वाला विद्युत्चालित टाइपराइटर बनाया है ।

38. देवनागरी टेलीप्रिन्टर के लिए श्री ल० वाकणकर ने परिमार्जित "टेलिनागरी" व नवीन कुंजीपटल का अभिनव प्रारूप प्रस्तुत किया है ।

39. सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हरप्पणों ने आक्षरित चिन्ह से लेकर प्राचीनतम वर्णात्मक लिपि का आविष्कार किया था । इसी आविष्कार में नागरी लिपिके अंकन भी है ।

40. देवनागरी लिपि के टाइप व मुद्रण का कार्य सर्वप्रथम हार्लैण्ड में हुआ ।

41. सबसे अधिक अमेरिका के 33 विश्वविद्यालयों में हिन्दी अध्ययन-अध्यापक होता है ।

42. "सदर" अखबार सन् 1913 ई० में सन फ्रांसिस्को से लाला हर दयाल ने प्रकाशित किया था ।

43. इटली के डा० एल० पी० टेरसीटरी ने रामचरितमानस पर शोध प्रबन्ध लिखा ।

44. प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन 1975 में नागपुर में, द्वितीय 1976 में मारीसस में व तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन नई दिल्ली में अक्तूबर 1983 में हुआ ।

45. हिन्दी के उपन्यास-कहानियों पर लगभग 75 हिन्दी फिल्में बन चुकी हैं ।

46. वारेन हेस्टिंग्स ने 1871 ई० में कलकत्ते में "हिन्दी मदरसे" की स्थापना की थी ।

47. विलियम जान्स ने जनवरी 15, 1874 ई० में "एशियाटिक सोसायटी" की स्थापना कलकत्ता में की थी ।

48. नवम्बर, 1800 ई० में फोर्ट विलियम कालेज कलकत्ता की स्थापना व अध्यापन शुरू हुआ ।

49. भारत प्रवास के दौरान जाज ग्रियर्सन (आई० सी०एस०) ने 97 भाषाओं-पोलियों के 218 रिकार्ड तैयार कराकर यूरोप के विश्वविद्यालयों में रखवाये थे ।

50. 1690 ई० में कलकत्ता की नींव पड़ी ।

51. हिन्दी के प्रथम समाचार पत्र "उदंत मार्तंड" का 30 मई 1826 ई० को कलकत्ते से प्रकाशन हुआ ।

52. "एक लिपि विस्तार परिषद" की स्थापना 1905 ई० में न्याय मूर्ति शारदा चरण मित्र ने की थी । इससे "देवनागर" पत्र का प्रकाशन 1907 ई० में हुआ था ।

53. भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता है इसकी स्थापना 1857 ई० में हुई थी ।

54. भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ है ।

55. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी है । अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करने, विकास करने का संकल्प भारतीय संसद के दो सदनों द्वारा दिसंबर 1967 में पारित किया गया ।

56. सन् 1963 को राजभाषा अधिनियम और संशोधन सन् 1967 ई० में पारित, अधिनियमित हुआ ।

57. 28 जून 1976 को राजभाषा नियम जारी किए गए थे, ये 17 जुलाई, 1976 को राजपत्र में प्रकाशित हुए ।

58. राजधानी दिल्ली की जनसंख्या सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 40 लाख 65 हजार थी जिसमें 30 लाख 88 हजार हिन्दी भाषी, 5 लाख 40 हजार पंजाबी भाषी, 2 लाख 31 हजार उर्दू भाषी, 37,343 तमिल भाषी, 19,781 मलयालम, 9,556 तेलुगु, 3,925 कन्नड़, 4663 अंग्रेजी व 94 उर्दू भाषी थे ।

59. विदेश में होने वाला सर्वप्रथम हिन्दी कवि सम्मेलन भारतीय विद्या भवन, न्यूयार्क के तत्वावधान में उसी समय टोरांटो (कनाडा) से प्रकाशित हिन्दी की "विश्व भारती" पत्रिका के संपादक श्रीरघुवीर सिंह के निवास पर हुआ । इसमें श्री नन्द किशोर औटिवाल संचालक थे व गोपालदास "नीरज" कवि ।

60. रूस में 1000 से अधिक बच्चे हिन्दी सीख रहे हैं ।

61. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (पत्राचार) नई दिल्ली के अधीन अहिन्दी भाषी 1 लाख व 300 विदेशी छात्र हिन्दी सीख रहे हैं ।

62. दक्षिण भारत के जैन कवि "स्वयं" कृत "पंडम चरिड़" (पदम चरित) रामायण (677 ई०–960 ई०) हिन्दी का प्रथम ग्रंथ माना गया है ।

63. दक्षिण भारत में प्रारंभिक, उच्च व स्नातकोत्तर अध्यापन में रत लगभग 15,000 हिन्दी अध्यापक हैं । लगभग 3 लाख छात्र प्रारंभिक, उच्च व स्नातकोत्तर परीक्षाओं में बैठते हैं । लगभग 10,000 परीक्षा केन्द्र हैं । प्रतिवर्ष 100 शोधार्थी शोध प्रारंभ करते हैं और 1,500 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है ।

64. पिलानी में बने कम्प्यूटर को भारत की 16 भाषाओं में चलाया जा सकता है—दो बटन दबाने से किसी भी भाषा में शिक्षा प्राप्त की जा सकती है ।

65. भारतीय साहित्यकारों के आधुनिक व प्राचीन भारतीय ग्रंथों के सबसे अधिक अनुवाद रूस में हुए हैं ।

66. हिन्दी की प्रख्यात कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा को 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रीमती मार्गरिट थैचर (ब्रिटिश प्रधान मंत्री) ने दि० 28-11-83 को एशियाड केन्द्र, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया ।

67. "यूनोस्को की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 82.4 करोड़ अशिक्षित (निरक्षर) वयस्क हैं ।"

68. "डा० ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक "बिहार कृषक जीवन" और "कलकत्ता रिव्यू" सन् 1880 में प्रकाशित अपने लेख और 1881 ई० में प्रकाशित "कैथी लिपि" की अपनी पुस्तक के माध्यम से हिन्दी का प्रमोदात्मक रूप प्रस्तुत किया है और बिहार प्रदेश में "हिन्दी" को "विदेशी" भाषा की संज्ञा दी है ।" राजस्थानी को भी हिन्दी के अन्तर्गत नहीं माना है ।—साभार—कादम्बिनी—नवम्बर 83, पृ० 29.

69. 56 करोड़ देकर हिन्दी को राष्ट्र संघ की भाषा बनाया जा सकता है ।

—ब्लिट्ज नवम्बर 83 के अनुसार

हिन्दी अधिकारी
सीमा शुल्क सदन, 15/1 स्ट्रैण्ड रोड,
कलकत्ता-7,00 001

हिन्दी चली समंदर पार

हिन्दी के विदेशी विद्वान : सूरीनाम में

सूरीनाम के भारतवंशियों की अपनी बोली या भाषा मूलरूप से अवधी-भोजपुरी है पर सूरीनाम में 1975 के कुछ पूर्व जब देश को डच शासन से आजादी मिली तो कतिपय राजनीतिक विचारकों और बुद्धिजीवियों में अपनी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा देने का विचार उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसे "सरनामी" नाम दिया। इस विचार के पीछे जो भावना या कारण रहे हैं और अभी हैं, उन्हें समझा जा सकता है पर देश की जातीय समस्याओं और स्थितियों के संदर्भ में भारतवंशी उन पर खुली बहस नहीं करते। दूसरी ओर अनेक विचारक वे हैं जो हिन्दी के आधुनिक खड़ी बोली रूप को, जैसी कि वह वर्तमान समय में भारत में बोली और लिखी जा रही है, को ही, स्पष्टतः "हिन्दी" नाम से सूरीनाम में भी अपनाए जाने के पक्षधर हैं। इन विद्वानों ने अपने तर्क में हैं तथा अपनी दृष्टि व विचार हैं।

इसी प्रकार सरनामी अथवा हिन्दी के लिए रोमन अथवा देवनागरी लिपि अपनाए जाने पर भी बहस व अपने अपने विचार हैं और सभी संबंधीत पक्ष इस मुद्दे पर भी किसी प्रकार की कटुता से बचने का बराबर प्रयत्न करते रहे हैं। सन् 1975 में आजादी मिलने के बाद ही अनेक भारत वंशियों ने सूरीनाम छोड़कर नीदरलैंड की नागरिकता ले ली और सूरीनाम छोड़ गये। नीदरलैंड में बसे भारतवंशी सूरीनामियों ने सरनामी को हिन्दी के एक अलग स्वतंत्र भाषा बनाने का संगठित आन्दोलन शुरू किया। वे भाषा नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित करते हैं और विभिन्न पुस्तकें भी, जिनमें भाषा के स्तर पर भोजपुरी अवधी का मिला जुला जो रूप सूरीनाम में विकसित हुआ हैं, दिखाई देता है और लिपि के रूप में रोमन अक्षर प्रयोग किए जाते हैं।

नीदरलैंड में बसे भारतवंशी सूरीनामियों के साथ नीदरलैंड के यूत्रेख विश्वविद्यालय के हिन्दी प्रो० श्री दाम्सत्रेक तथा बेल्जियम के प्रो० केम्पेन आदि कुछ विदेशी विद्वान भी हैं जिन्होंने अपने विश्वविद्यालयों में हिन्दी के साथ-साथ सरनामी की पढ़ाई की भी व्यवस्था की है। यह सभ मिलकर इस प्रयत्न में लगे हैं कि सरनामी भाषा हिन्दी से स्वतंत्र एक साहित्यिक, राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित हो।

अभी पिछले दिनों नीदरलैंड में बसे उक्त आन्दोलन के कार्यकर्ताओं ने सूरीनाम आकर सूरनामी भाषा पर एक सेमीनार आयोजित किया और सरनामी भाषा के व्याकरण, संरचना, साहित्य आदि पर विचार किया और इसे साहित्यिक, राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

इसी क्रम में सूरीनाम महिला परिषद की एक सभा में यूत्रेख विश्वविद्यालय के प्रो० दाम्सत्रेक ने अपनी चर्चा को सरनामी भाषा के उद्भव और विकास पर केन्द्रीत करते हुए भारत के मानचित्र में अवधी और भोजपुरी बोली के स्थानों को सरनामी भाषा का मूल स्थान बताया और इस बात पर जोर दिया कि भारत के इस प्रदेश से आये लोगों की मूल बोली में प्रवास के पिछले सौ वर्षों में इस नये देश की नई परिस्थितियों तथा डच और अफ्रीकी बोलियों के सम्पर्क के कारण जो नये शब्द विकृत होकर आये हैं उनके कारण इस एक नई बोली का निर्माण हो गया है जिसे सरनामी कहते हैं।

प्रो० दाम्सत्रेक के वक्तव्य के बाद आयोजकों ने भारत के राजदूत महामहिम श्री बच्चू प्रसाद सिंह से अनुरोध किया कि वे अपनी मातृ-भाषा भोजपुरी में ही सभा को संबोधित करें। उल्लेखनीय है कि भारतीय राजदूत द्वारा सूरीनाम के भारतवंशियों के साथ भोजपुरी बोली में धाराप्रवाह बातचीत ने हमेशा ही इन लोगों को बहुत आनन्दित व प्रभावित किया है और वे राजदूत महोदय के साथ भोजपुरी में बातचीत कर भारत के साथ निकटता महसूस करते रहे हैं।

प्रो० दाम्सत्रेक द्वारा उल्लिखित सरनामी के प्रसंग को स्पष्ट करते हुए भारत के राजदूत ने कहा कि भाषा का प्रश्न हमेशा ही बहुत संवेदनशील प्रश्न होता है पर सरनामी के लिए अलग अस्तित्व का जो प्रश्न प्रो० दाम्सत्रेक ने उठाया है, भारत में बहुत पहले ही हम इस स्थिति से गुजर चुके हैं। आज हिन्दी और हिन्दी प्रदेश के अंतर्गत व्यापक रूप से बोली जाने वाली विभिन्न बोलियों के बीच कोई संघर्ष नहीं है। वास्तविकता यह है कि हिन्दी के खड़ी बोली रूप ने विभिन्न बोलियों के लोगों को बीच एक सेतु का काम किया है और उन्हें एक दूसरे को समझने और विचारों के आदान-प्रदान की दृष्टि से निकट ला दिया है। अपनी-अपनी जगह पर हिन्दी के अन्तर्गत आने वाली सभी बोलियां आज भी प्रगति कर रही हैं और पारम्परिक आदान-प्रदान से समृद्ध हो रही हैं। महामहिम ने कहा कि स्वयं मेरी मातृभाषा भोजपुरी के निकट ही उत्तर और मध्य बिहार में मगही और मैथिली भाषाएं हैं और उक्त प्रदेश के लोग इन सभी को अच्छी तरह बोल और समझ लेते हैं। भाषा वास्तव में एक संगम की तरह होती है इनमें अलगाव की बात बेमानी है। हिन्दी आज विश्व के 117 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है और भारत के 55 करोड़ लोग इसे बोलते हैं तथा सम्पूर्ण भारत में लोग हिन्दी समझते हैं। महामहिम ने कहा कि सरनामी का प्रयोग आपसी

व्यवहार में उसी तरह किया जा सकता है कि जैसा भारत में आज भी अवधि-भोजपुरी प्रदेश के लोग अपने प्रदेश में करते हैं पर सम्पूर्ण हिन्दी प्रदेश से जुड़ने के लिए हिन्दी भाषा को ही अपनाना होगा ।

प्रो० दाम्स्तेक तथा सरनामी के नीदरलैंड वासी कवि और सरनामी के इस आन्दोलन के एक प्रमुख पुरस्कर्ता श्री जीतनारायण को भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा आयोजित एक सभा में भी बुलाया गया । इस अवसर पर भी प्रो० दाम्स्तेक ने अपने यूत्रेख विश्वविद्यालय में हिन्दी व भारत विद्या की पढ़ाई की व्यवस्था पर प्रकाश डाला और पुनः हिन्दी भाषा को "मानक हिन्दी" के नाम से विहित करते हुए पुनः सरनामी के अलग अस्तित्व व विकास की आवश्यकता पर जोर दिया । उक्त अवसर पर भारत के राजदूत ने उपस्थित बुद्धिजीवियों तथा प्रो० दाम्स्तेक को संबोधित करते हुए विस्तार से बताया कि आज जिसे प्रो० दाम्स्तेक "मानक हिन्दी" के नाम से संबोधित करते हैं, उसका विकास किस प्रकार हुआ । भारत में साहित्य की भाषा इससे पहले ब्रज भाषा थी और आज भी ब्रज भाषा में साहित्य रचना होती है साथ ही आज का सारा हिन्दी साहित्य राजस्थानी, ब्रज, अवधी आदि भाषाओं के साहित्य से मिलकर ही बना है । राजस्थानी के रासो साहित्य, ब्रज भाषा के सूर जैसे भक्त कवियों तथा अवधि में लिखे रामचरित मानस को छोड़कर हिन्दी साहित्य की आज हम कल्पना नहीं कर सकते । आज की हिन्दी भाषा सभी बोलियों के सामूहिक विकास का परिणाम है उनकी साझी-समेकित सम्पत्ति है ।

महामहिम ने कहा कि भारत में हुए प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन में 40 देशों के प्रतिनिधि आए थे । यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि भारतवंशी देशों जैसे सूरीनाम, फीजी, मारीशस, बर्मा, थाईलैंड, नेपाल आदि तथा दुनिया के जिन 117 विश्वविद्यालयों में आज हिन्दी पढ़ाई जाती है तथा भारत की 80 करोड़ जनता से जुड़ने के लिए हमें आज प्रचलित हिन्दी रूप को उसकी देवनागरी लिपि के साथ ही अपनाना होगा अन्यथा हम अलग-थलग पड़ते जाएंगे । भारत के पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान या बंगलादेश तथा अफ्रीका के देशों जहाँ भारी तादात में भारतवंशी कार्यरत हैं, से जुड़ने में भी हिन्दी ही सहायक हो सकती है ।

महामहिम ने कहा कि भाषा जमीन से जुड़ी होती है और लोक संस्कृति से अनमती है । सूरीनाम के लोगों के संस्कार, सांस्कृतिक चेतना, लोकरूचि और संवेदनशीलता बहुत गहराई से भारतीय है । सरनामी मूलरूप से भोजपूरी अवधी ही है । सूरीनाम के लोगों ने भारतीय संस्कृति का दीप सदियों से जला रखा है, अब यदि आप अपनी भाषा को भोजपुरी कहें, अवधी कहें, हिन्दी या सरनामीं कहें इससे वास्तविक फर्क कुछ नहीं पड़ता--मां-मां होती है उसे संबोधन के लिए कुछ भी आदरसूचक नाम दें पर भा ा का वास्तविक और स्वभाविक रूप बदलने का कोई भी दूराग्रह प्रतिगामी कदम होगा । भारत में भी विभिन्न बोलियों और भाषाओं के लोग अपनी मातृभाषा के माध्यम से हिन्दी तक पहुंचते हैं और मारिशस के लोग भोजपुरी के माध्यम से अतः यदि सरनामी के माध्यम से यहां के लोग हिन्दी से जुड़ते हैं तो मतभेद की गुंजायश नहीं रह जाती ।

—प्रस्तुति **रागिनी सिन्हा**

"भारत के विभिन्न प्रदेशों के बीच हिन्दी प्रचार द्वारा एकता स्थापित करने वाले सच्चे भारत-बन्धु हैं।"

—योगीराज अरविन्द

8--170 एम० आफ एच० ए०/एन०डी०/86

समिति समाचार

(क) मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

1. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग

दिनांक 25 अप्रैल, 1986 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राज्य मंत्री श्री शिवराज वी० पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित इलैक्ट्रॉनिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में उपस्थित सदस्यों तथा अधिकारियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय ने दिल्ली में आयोजित की जा रही तीसरी बैठक से पूर्व बम्बई तथा बंगलोर में आयोजित पिछली दो बैठकों का भी स्मरण दिलाया। उन्होंने कहा कि दूसरी बैठक में लिए गए निर्णयों और उन पर की गई कार्रवाई से सदस्यों को पहले ही अवगत करा दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी बैठक और तीसरी बैठक के बीच में हिन्दी के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में बताने के लिए वे सबसे पहले संबंधित विभागों के सचिवों को आमंत्रित करेंगे।

इलैक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाले ई० टी० एण्ड टी० नामक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के "टेलीटीच" नामक कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि दूरदर्शन तथा वीडियो विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण एवं काफी उपयोगी भूमिका अदा कर सकते है यदि ई० टी० एण्ड टी० अपने "टेलीटीच" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनता–जनार्दन के लाभार्थ विभिन्न विषयों पर वीडियो–फिल्में बना सकें तो वे इस बात से पूर्णतया आश्वस्त हैं कि इस दिशा में और अधिक प्रगति हो सकेगी।

इलेक्ट्रानिकी विभाग

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के सचिव श्री सु० रा० विजयकर ने समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा सम्पन्न किए जा रहे कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने कहा कि आज का युग वस्तुतः इलेक्ट्रॉनिकी का युग है और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन, विकास और प्रयोग को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है और हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते हुए इस जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वाह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी देश किसी से कम नहीं है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि सेमीकण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लि० नामक इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम ने 3–माइक्रॉन सेमीकण्डक्टर चिप प्रौद्योगिकी का लक्ष्य हासिल कर लिया है और वह लगातार सुक्ष्म से सूक्ष्मतर प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ रहा है।

श्री विजयकर ने आगे कहा कि समर्पित भाव से काम करने का यही जज्बा, लगन और उत्साह विभाग में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के काम में भी परिलक्षित होता है और इसके परिणाम भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इसके फलस्वरुप, राजभाषा अधिनियम, नियमावली के विभिन्न प्रावधानों का क्रियान्वयन करने में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका ज्वलंत प्रमाण है राजभाषा विभाग द्वारा दो–दो बार इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को हिन्दी में किए गए प्रशंसनीय कार्य के लिए ट्रॉफी प्रदान किया जाना। संयुक्त सचिव के स्तर के एक अधिकारी तथा दो सहायकों को भी प्रशस्ति–पत्र और पदक प्रदान किए गए हैं। वर्ष 1986–87 के दौरान क्रियान्वयन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वे नीचे दिए अनुसार हैं :—

1. शब्द–संसाधन (वर्ड–प्रोसेसिंग) के अलावा कम्प्यूटर की अन्य अतिरिक्त विशिष्टताओं को भी हिन्दी में उपलब्ध कराना।
2. इलेक्ट्रॉनिकी विषयों पर लोकप्रिय पुस्तकों के प्रकाशन के बारे में ठोस और कारगर योजना बनाना।
3. "इलेक्ट्रॉनिकी भारती" का प्रकाशन।
4. हिन्दी में मूल–पत्राचार के प्रतिशत में वृद्धि करना।
5. इलेक्ट्रॉनिकी विषय पर हिन्दी में संगोष्ठी करना।

उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि पुस्तकालय के लिए लगभग 10,000 रुपए की हिन्दी–पुस्तकें खरीदने के आदेश भेज दिए गए हैं। अपने रोजमर्रा के काम हिन्दी में करने में वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक अधिकारियों को जो झिझक और हिचकिचाहट महसूस होती है, उसे दूर करने के लिए उनके लाभार्थ अलग से हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकी विभाग राजभाषा हिन्दी को वही अहमियत देता है जो अन्य सरकारी–आदेशों और कर्त्तव्यों के अनुपालन को दिए जाते हैं और तदनुसार विभाग अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने इस संबंध में अध्यक्ष

महोदय तथा सदस्यों से रचनात्मक सहयोग देने का सानुरोध अनुरोध किया और कहा कि इससे उन्हें और बल मिलेगा।

उन्होंने निम्नलिखित मुद्दों का भी उल्लेख किया :—

1. धारा 3(3) का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है।
2. अधिकांश अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी में टिप्पणी और मसौदा लेखन का काम आरम्भ कर दिया गया है।
3. हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जा रहे हैं।
4. क" तथा "ख" क्षेत्रों के राज्यों को मूल पत्र हिन्दी में लिखने की दिशा में कार्य करने की शुरुआत कर दी गई है।
5. सभी फार्मों, लेखन-सामग्रियों को द्विभाषी रूप में तैयार किया गया है।
6. वर्ग "घ" के सभी कर्मचारियों और वर्ग "ग" के कुछ कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में की जा रही हैं।
7. 25 प्रतिशत से भी अधिक चैक हिन्दी में तैयार किए जा रहे हैं।
8. अराजपत्रित कर्मचारियों से संबंधित कार्य को देखने वाले प्रशासन अनुभाग सहित कुछ अन्य अनुभागों का पता लगाया गया है, और राजभाषा नियमावली के नियम 8(4) के अन्तर्गत आदेश जारी करके उनसे अपना काम अनन्यतः हिन्दी में करने के लिए कहा गया है।
9. ई० टी० एण्ड टी० को राजभाषा नियमावली के नियम 10(4) के अन्तर्गत दिनांक 10, मार्च 1986 को अधिसूचित किया गया है। उन्होंने हिन्दी माध्यम से "मार्गदर्शन" अर्थात् "टेलीटीच" नामक कार्यक्रम शुरु किया है जिसके फलस्वरुप हिन्दी की प्रगति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने ई० टी० एण्ड टी० अध्यक्ष श्री पी० एस० देवधर से बोलने का अनुरोध किया।

ई० टी० एण्ड टी०

श्री देवधर ने कहा कि ई० टी० एण्ड टी० इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का एक व्यावसायिक अंग है। उन्होंने एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसे दूरदर्शन तथा वीडियो के माध्यम से आम जनता को प्रशिक्षित करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। बढ़ई, नलसाज, राजमिस्त्री, मोटर मेकेनिक, चर्मकार, दर्जी तथा अनेक अन्य कारीगर और दस्तकार प्रायः या तो अशिक्षित होते हैं या फिर अर्द्धशिक्षित वर्ग के होते हैं। अतः "टेलीटीच" कार्यक्रम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकी प्रणालियों का उपयोग करते हुए उन्हें अपने-अपने धन्धे/व्यवसाय में अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने रंग-रोगन उद्योग का उदाहरण पेश किया और कहा कि इस उद्योग में तुलनात्मक दृष्टि से काफी उन्नत रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ताकि एकदम नए-नए किस्म के रंग तैयार हों। उन्होंने कहा कि हाल ही में अब नए-नए घोलों का प्रयोग किया जाने लगा है। और यदि हमारे पेंटर इनका ठीक ढंग से उपयोग करना चाहते हैं तो उनको इसका विशिष्ट ज्ञान होना निहायत जरुरी है। इस मामले में "टेलीटीच" उनकी सहायता कर सकता है। रंग-रोगन उद्योग के सहयोग से वीडियो कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं जिसके माध्यम से नए-नए आविष्कारों और उनके उचित उपयोग से पेंटर-समुदाय को आसानी से परिचित कराया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम किसी भी प्रकार की शिक्षा के लिए तैयार किया जा सकता है चाहे वह व्यावसायिक किस्म की शिक्षा हो या विद्यालयीन शिक्षा हो, अथवा स्वास्थ्य-संबंधी शिक्षा हो। उन्होंने समिति को सूचित किया कि ई० टी० एण्ड टी० ने नलसाजों, चर्मकारों, बिजली-मिस्त्री आदि के व्यवसायों के लिए हिन्दी में वीडियो फिल्में तैयार कर ली हैं और वे अन्य व्यवसायों/पाठ्यक्रम पर भी फिल्में तैयार करेंगे। 40 मिनट तक चलने वाले ऐसे प्रत्येक वीडियो कैसेट का मूल्य लगभग 75 रु० होगा। इसी समय "टेलीटीच" पर तैयार की गई कुछ फिल्मों का भी प्रदर्शन किया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि ई० टी० एण्ड टी० सामुदायिक वीडियो; केन्द्र खोलने की शिक्षा में भी प्रयास कर रहा है। इन दूरदर्शन एवं वीडियो सेटों के माध्यम से ई०टी०एण्ड टी० "टेलीटीच" पर वीडियो फिल्में दिखाना चाहता है, जो मूलतः हिन्दी में ही होंगी। इस कार्य के लिए ई० टी० एण्ड टी० ने "टेलीटीच" प्रभाग के नाम से एक अलग प्रभाग बनाया है। यह प्रभाग अच्छी व मानक वीडियो फिल्में बनाने के लिए लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संपर्क करेगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि अनेक मंत्रालय/विभाग स्वेच्छा से अपना सहयोग देने के लिए आगे आए हैं। इस प्रकार दूरदर्शन तथा वीडियो हार्डवेयर तैयार होने से पहले ही ई० टी० एण्ड टी० के पास प्रचुर मात्रा में वीडियो सॉफ्ट-वेयर का स्टॉक होगा। श्री देवधर ने सदस्यों को सूचित किया कि ई० टी० एण्ड टी० ने विज्ञान-निष्णात् के छात्रों के लिए एक द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम तैयार करने का काम शुरु किया है जिससे एक ओर तो उनके ज्ञान के आयाम से वृद्धि होगी तो दूसरी ओर छात्रों को संबंधित विषयों को अच्छी तरह से समझने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार, अनेक राज्य सरकारों ने अपने लिपिक-वर्ग के कर्मचारियों के पाठ्यक्रम चलाने के संबंध में गहरी रुचि दिखाई है। वीडियो-टेप कार्यक्रमों के माध्यम से पाठ्यपुस्तकीय शिक्षा और अध्ययन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। कई ऐसी अवधारणाएं, जिन्हें व्याख्यानों के द्वारा समझाना कठिन हो जाता है, वे देखने मात्र से सरल, सुबोध और स्पष्ट हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार हमारे देश के अच्छे से अच्छे शिक्षकों को हम दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के क्लास-रूम

तक वीडियो के माध्यम से ले जा सकते हैं। इससे छात्रगण तो लाभान्वित होंगे ही साथ ही स्थानीय शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने में सुविधा होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन सब उपायों के फलस्वरुप हिन्दी के चहुंमुखी प्रयोग की गति में तेजी आना अवश्यभावी है।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के श्री पन्नालाल शर्मा ने ई० टी० एण्ड टी० के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि इस संबंध में उनके परिषद् द्वारा हर संभव सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

श्री विश्वबन्धु गुप्त ने महसुस किया कि इन वीडियो फिल्मों की स्क्रिप्ट पर संभवतः और अधिक ध्यान देने की जरूरत है तथा फिल्मों की दृश्य-सामग्री में भी कुछ सुधार करने की गुंजाइश है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए कि जिससे लोगों में रुचि पैदा हो और विषय नीरस होकर न रह जाएं। अगर चार्ट भी उपलब्ध करा दिए जाएं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल देते हुए उन्हें दुहरा दिया जाए तो इनसे अभीष्ट विषय लोगों की समक्ष में आसानी से आ जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय ने ई० टी० एण्ड टी० के प्रयासों की सराहना की और उसके बाद सीएमसी लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, डॉ० प्रेम प्रकाश गुप्त को अपने संगठन के कार्यकलापों के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया।

सी० एम० सी०

डॉ० गुप्त ने समिति को सूचित किया कि सीएमसी लिमिटेड को जो उत्तरदायित्व सौंपे गए है, उनका पालन करने के अलावा उनका निगम कम्प्यूटरों में हिन्दी के प्रयोग पर अधिक जोर दे रहा है। ब्यौरे देते हुए उन्होंने कहा कि उनका अनुसंधान तथा विकास केन्द्र हैदराबाद में स्थित है जहां लगभग 15-20 कार्मिक तैनात हैं और केन्द्र पर प्रतिवर्ष लगभग 15-20 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं। "लिपि" नामक उनके बहुभाषी शब्द संसाधक (वर्ड प्रोसेसर) का श्रीगणेश दिनांक 11 नवम्बर, 1985 को राजभाषा विभाग के तत्कालीन प्रभारी राज्य मंत्री श्री पी० ए० सांगमा द्वारा विधिवत् किया गया। इसके बाद कुछ केन्द्राय मंत्रालयों विभागों ने इस प्रणाली को खरीदकर अपने-अपने यहां इसे प्रतिष्ठापित किया है। उन्होंने इस बात को दुहराया कि "लिपि" का मूल्य उचित रखा गया है और साथ ही एक साथ 15 प्रणालियों की खरीद पर 15 प्रतिशत की छुट देने की भी पेशकश की। तत्पश्चात् उन्होंने कम्प्युटर सॉफ्टवेयर के विकास के लिए शुरु की गई विभिन्न योजनाओं तथा सीएमसी लिमिटेड में हिन्दी के प्रयोग की गति में तेजी लाने के लिए शुरु किए गए अन्य उपायों के बारे में सीएमसी लिमिटेड की कुमारी कुसुमलता ऐलावादी से संक्षिप्त जानकारी देने का अनुरोध किया।

कु० कुसुमलता ने कहा कि सीएमसी लिमिटेड ने दिल्ली में 6 जनवरी से 10 जनवरी, 1986 तक हिन्दी माध्यम से "इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन का परिचय" नामक एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया, जिसका भारी स्वागत हुआ। निगम का इरादा अब इस प्रशिक्षण को देश के अन्य भागों में भी चलाने का है। "लिपि" के महत्वपूर्ण प्रयोगकर्ताओं मे राजभाषा विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, अन्तरिक्ष विभाग, राज्य मंत्री (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीगण शामिल हैं। हैदाराबाद स्थित अनुसंधान तथा विकास केन्द्र निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास के कार्य में जुटा हुआ है :—

1. "लिपि" शब्द संसाधक
2. "लिपि" टर्मिनल
3. "लिपि" टेलीप्रिन्टर इन्टरफेस
4. "इम्प्रेस"-रेलवे आरक्षण प्रणाली
5. बी० बी० सी० कम्प्यूटर पर हिन्दी में आर० ओ० एम०
6. "क्लास" परियोजना के लिए सॉफ्टवेयर
7. सामान्य प्रयोजन के प्रश्न-बैंक
8. लेजर-मुद्रक
9. एकीकृत टाइपसेटिंग मशीन

जहां तक रोजमर्रा के सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग का संबंध है, उन्होंने समिति को सूचित किया कि :-

1. सभी फार्म, रबड़ की मोहरें तथा रजिस्टर द्विभाषी रूप में उपलब्ध हैं।
2. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) पर कार्रवाई की जा रही है।
3. टाइपिस्टों को "लिपि" पर प्रशिक्षित कराया जा रहा है।
4. हिन्दी में काम करने के लिए 500 रुपये तक की प्रोत्साहन-योजना लागू की गई है।

श्री पन्नालाल शर्मा ने "लिपि" पर हुए कार्य की प्रशंसा की और कहा कि जनता के एक बहुत बड़े समुदाय को इसका अधिकाधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें केन्द्रीय तथा राज सरकार के मंत्रालय, विभाग तथा अन्य संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि वे इस मामले को केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक में उठाएं, क्योंकि वहा प्रधान मंत्री, अन्य केन्द्रीय मंत्रीगण तथा राज्यों के मुख्य मंत्रीगण भी सदस्यों के रूप में उपस्थित रहते हैं। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से ऐसा अभियान चलाने का अनुरोध किया ताकि मशीनीकरण से हिन्दी के प्रगामी-प्रयोग में कोई बाधा न आए। उनका अनुभव यह है कि अधिकांश मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी का प्रयोग मात्र इस बहाने से टालने की प्रवृत्ति पाई जाती है कि इससे उनके काम में विलम्ब होगा अब "लिपि" ने उनकी इस धारणा को गलत साबित कर दिया

है । यदि सरकारी तंत्र को चलाने वाले जिम्मेदार लोगों के दिमागों से यह निर्मूल एवं भ्रांत धारणा निकाल कर हमेशा-हमेशा के लिए बाहर फेंक दी जाए तो निश्चय ही यह हिन्दी के प्रयोग एवं प्रचार में काफी सहायक सिद्ध होगा ।

श्री एस० के० भण्डारकर, संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग ने कहा की "लिपि" का आकार अन्य कम्पनियों की प्रणालियों की तुलना में काफी भारी प्रतीत होता है । इस संबंध में डा० गुप्त ने कहा कि एक नए मॉडल का डिजाइन तैयार करके उसे विकसित किया जा रहा है जिसमें ये त्रुटियां दूर हो जाएंगी किन्तु, उन्होंने यह भी कहा कि अन्य प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाले अधिकांश सॉफ्टवेयर तथा संघटक-पुर्जे तो आयातित होते हैं, जबकि "लिपि" के समूचे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिजाइन सीएमसी लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है और उसका विकास तथा क्रियान्यन भी उन्होंने ही किया है ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इलेक्टॉनिक उपस्करों के प्रयोग से न तो बेरोजगारी बढती है, और न यह हिन्दी के प्रयोग की दिशा में बाधक ही बनते हैं । उन्होंने सदस्यों को आश्वासन दिया कि वे इस क्षेत्र में हासिल की गई सफलताओं के बारे में केन्द्रीय हिन्दी समिति को बताएंगे और अन्य विभागों को इन इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । लेकिन उनके मतानुसार यदि यह काम राजभाषा विभाग करे तो अधिक उपयुक्त होगा । राजभाषा विभाग चाहे तो ई० टी० एण्ड टी० द्वारा तैयार किए गए वीडियो फिल्मों का भी प्रयोग कर सकता है । जहां तक उनके अन्तर्गत आने वाले विभागों में हिन्दी के प्रयोग का संबंध है, उन्होंने कहा कि निश्चयत: तीनों विभाग इसे बढावा देने का भरसक प्रयत्न करेंगे । आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीनें उपलब्ध कराके हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी । तत्पश्चात उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक डा० पी० के० अय्यंगर से बोलने का अनुरोध किया ।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

डा० अय्यंगर ने कहा कि परमाणु ऊर्जा विभाग अपने कर्मचारियों को हिन्दी/हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टाईपिंग में प्रशिक्षण दिलाने का कार्यक्रम निरन्तर चला रहा है । हिन्दी कार्यशालाएं भी चलाई जा रही हैं और राजभाषा विभाग के विभिन्न आदेशों का पालन किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि यद्यपि परमाणु ऊर्जा विभाग एक तकनीकी विभाग है और इसके अधिकांश कर्मचारी अहिन्दी भाषी हैं, तथापि वे केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी के प्रचार-हिन्दी परिषद तथा हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद के सहयोग से हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं । हालांकि विभाग का कामकाज अत्यधिक तकनीकी होने के कारण हिन्दी का शतप्रतिशत प्रयोग तत्काल संभव नहीं है लेकिन फिर भी प्रशासन के कार्यों में हिन्दी का प्रयोग निरन्तर बढ रहा है । काल स्लिप, रबड की मोहरें तथा नाम पट्ट द्विभाषी रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं तथा अधिकांश आदेश, आंतरिक वैज्ञानिक रिपोर्टों के सारांश द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं । हिन्दी में मूल पत्राचार के प्रतिशत को बढाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । उन्होंने यह भी कहा कि उनका विभाग निबंध, टाईपिंग, वाक, नाटक आदि प्रतियोगिताओं तथा कवि-सम्मेलनों का आयोजन करता है, जिसमे अहिन्दी भाषा-भाषी लोग काफी उत्साह से भाग लेते हैं । उन्होंने समिति को सूचित किया कि नाभिकीय इंजीनियरी पर शब्दावली तैयार करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में एक समिति का गठन किया गया है । उन्होंने कहा कि समूचि विज्ञान एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण में विभाग का योगदान रहा है । पिछले दो वर्षों के दौरान उन्होंने रेडियो रासायनिकी तथा "ध्रुव रिएक्टर" विषय पर "वैज्ञानिक" के विशेषांक प्रकाशित किए । वर्ष 1986 में "नाभिकीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अध्यापन एवं अनुसंधान" विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित करने का प्रस्ताव है । डा० अय्यंगर ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग ने केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद तथा हिन्दी विज्ञान परिषद के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए लगभग 85000/- रु० का अनुदान दिया । श्री पन्नालाल शर्मा तथा अन्य सदस्यों ने इस कार्य की भारी सराहना की और आशा व्यक्त की कि ऐसी वित्तीय सहायता भविष्य में भी मिलती रहेगी । डा० अय्यंगर ने तत्पश्चात श्री एस० के० भण्डारकर, संयुक्त सचिव से परमाणु ऊर्जा विभाग में हिन्दी के प्रयोग के बारे में संक्षेप ब्यौरे देने का अनुरोध किया ।

परमाणु ऊर्जा विभाग

श्री भण्डारकर ने कहा कि विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने यह सुझाव दिया है कि वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्येक महीने 3-4 टिप्पणियां हिन्दी में लिखनी चाहिए ताकि यह अन्य कर्मचारियों में रुचि पैदा करें । हाल ही में एक आदेश भी जारी किया है कि प्रत्येक सहायक को प्रतिदिन कुछ टिप्पणियां हिन्दी में लिखनी होंगी । कर्मचारियों से यह भी कहा गया है कि वे छुट्टी के आवेदन-पत्र, पेशगी आदि के आवेदन-पत्र हिन्दी में दे । उनके विभाग को यह आशा है कि इसका अनुकूल प्रभाव पडेगा और हिन्दी में काम करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या में काफी वृद्धि होगी । उन्होंने समिति को यह भी सूचित किया कि पिछले छ: महीने के दौरान भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में, जो विभाग का प्रमुख यूनिट है, 25% या इससे अधिक काम हिन्दी में करने वाले कर्मचारियों की संख्या 5 से बढकर 622 हो गई है । इसी प्रकार, राजस्थान परमाणु बिजलीघर में भी ऐसे कर्मचारियों की संख्या 240 हो गई है । उनके सचिवालय (जिसमें नई दिल्ली स्थित शाखा सचिवालय शामिल है) को तथा 17 में से 8 यूनिटों तथा 3 में से 1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है । 197 कर्मचारियों, 82 टाइपिस्टों तथा 3 आशुलिपिकों को क्रमश: हिन्दी, हिन्दी टाईपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिलाया गया है ।

श्री भण्डारकर ने यह भी सूचित किया कि परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिवालय तथा इसके यूनिटों/उपक्रमों में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। वर्ष के दौरान 10 और देवनागरी टाइपराइटर खरीदे गए, जिससे देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या बढकर 107 हो गई है। विभिन्न यूनिटों के पुस्तकालयों के लिए लगभग 11,400 रूपए मूल्य की हिन्दी पुस्तके भी खरीद ली गई हैं। पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से वे अपनी हिन्दी पत्रिका "परभाणु" का प्रकाशन करते आ रहे हैं। वे अपने विभाग के कामकाज के बारे में आम जनता को जानकारी देने के लिए समय-समय पर हिन्दी में पुस्तिकाएं भी प्रकाशित करते हैं। गजट अधिसूचनाएं, मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले नोट, सारांश, रिपोर्टें तथा विभिन्न संसदीय समितियों आदि को प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य दस्तावेज द्विभाषी रूप में तैयार किए जाते हैं। विभाग के विभिन्न यूनिटों में काम आने वाले 681 फार्मों का अनुवाद वर्ष के दौरान किया गया जिससे द्विभाषी फार्मों की संख्या बढकर 1873 हो गई है कार्यालय में लिखी जाने वाली टिप्पणियों और मसौदों में सामान्यतः प्रयोग में आने वाले वाक्यांशों का एक द्विभाषी संकलन भी तैयार करके अधिकारियों को दिया गया है। विभाग तथा इसके अनेक यूनिटों में "हिन्दी दिवस" मनाया गया। बडौदा स्थित भारी पानी परियोजना "ने हिन्दी सप्ताह" का आयोजन किया। दिनांक 7 जनवरी, 1986 को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने "भारतीय विज्ञान की भावी दिशाएं" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया और भविष्य में विभाग तथा इसकी यूनिट ऐसी संगोष्ठयां आयोजित करती रहेंगी। वे इस कार्य के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। पिछले वर्ष लागू की गई "डा० होमी भाभा पुरस्कार योजना" का प्रमुख समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के माध्यम से तीन बार व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया गया और वे आशा करते हैं कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित विषयों पर अब हिन्दी में पुस्तकें लिखी जाने लगेगी उन्होंने समिति को आश्वासन दिया कि परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की राजभाषा निति को अपने सचिवालय, यूनिटों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में यथा संभव लागू करेगा।

श्री पन्नालाल शर्मा ने कहा कि विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों से संपर्क करना संभवतः वांछनीय एवं अधिक उपयोगी होगा जिनके विशाल अनुभव का लाभ हिन्दी में बढ़िया पुस्तकें लिखने के लिए किया जा सकता है। यह प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय में भी लागू है। जहां तक हिन्दी में टिप्पण लिखने का प्रश्न है, उन्होंने महसूस किया कि इस संबंध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव या अन्तर नहीं होना चाहिए। अधिकारियों से भी अनुरोध किया जा सकता है कि वे प्रत्येक दिन एक या दो लाइने हिन्दी में लिखें। इससे नीचे के स्वर के अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय ने अन्तरिक्ष विभाग के प्रतिनिधि से बोलने को कहा।

अन्तरिक्ष विभाग

अन्तरिक्ष विभाग के संयुक्त सचिव श्री एस० एस० विश्वनाथन् ने कहा कि संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति के गठन के बाद उनके विभाग में हिन्दी के प्रयोग में तेजी आई है। अब अधिकाधिक कर्मचारी हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे हैं जिसके फलस्वरुप शार केन्द्र, श्रीहरिकोटा तथा सिविल इंजीनियरी प्रभाग, बंगलौर के 80% से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो गया है और इसलिए इन कार्यालयों को राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है। इस प्रकार ऐसे अधिसूचित कार्यालयों की संख्या अब बढ़कर 7 हो गई है जिसमें बंगलौर स्थित मुख्यालय तथा नई दिल्ली स्थित शाखा सचिवालय शामिल है। उन्होने कहा कि विभाग ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि विभाग के सभी कार्यालयों के कम से कम 80% कर्मचारियों को पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिन्दी में प्रशिक्षित कराया जाएगा। विभाग तथा इसके विभिन्न केन्द्रों यूनिटों के कुल 10781 अधिकारियों तथा कर्मचारियों में से 9342 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है और 521 कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने पुरजोर आग्रह किया कि कर्मचारियों के पत्राचार पाठ्यक्रम में होने वाला पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए।

उन्होंने समिति को सूचित किया कि एक अन्तरिक्ष शब्दावली प्रकाशित की जा चुकी है और अन्तरिक्ष से संबंधित लगभग 1,200 शब्दों का एक पारिभाषिक कोश तैयार किया जा रहा है।

अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद में दिनांक 27 से 9, जनवरी 1986 तक "उपग्रह संचार और भारत में इसका उपयोग" विषय पर एक अखिल भारतीय संगोष्ठी तथा "तकनीकी हिन्दी का विकास" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी और कार्यशाला की कार्यवाही पूर्णतः हिन्दी में हुई विभिन्न संस्थानों विश्वविद्यालयों से लगभग 150 वैज्ञानिकों/विद्वानों ने अपने लेख/निबंध हिन्दी में प्रस्तुत किए।

अन्तरिक्ष विभाग तथा इसके विभिन्न केन्द्रों/यूनिटों में नवम्बर, 1985 में "हिन्दी दिवस" का आयोजन किया गया तथा इस अवसर पर हिन्दी में टिप्पण/आलेखन, निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं। सरकारी स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय करार भी द्विभाषी रूप में निष्पादित किए जाते हैं। सभी फार्म, रबड़ की मोहरें आदि द्विभाषी रूप में उपलब्ध हैं। जहां तक यांत्रिक सुविधाओं का संबंध है, विभाग तथा इसके केन्द्रों/यूनिटों में 62 देवनागरी टाइपराइटर, 3 इलेक्ट्रिक टाइपराइटर तथा। बहुभाषी शब्द संसाधक "लिपि" उपलब्ध है।

विभाग के वैज्ञानिकगण अपने तकनीकी कार्यों के अलावा हिन्दी में काम करने में गहरी दिलचस्पी दिखाते हैं। प्रो० यू० आर० राव, डा० शिव प्रसाद कोस्टा, श्री ओ० पी० एम०, कल्ला, श्री मणीशचन्द्र उत्तम श्री काली शंकर, डा० कस्तूरी रंगन आदि जैसे वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट, एप्पल, भास्कर, इन्सट, एस० एल० वी–3, रोहिणी आदि जैसी परियोजनाओं पर मूल रुप से हिन्दी में पुस्तकें लिखी हैं। इससे नीचे के स्तर के कमचारियों को अवश्य प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री विश्वनाथन, ने सूचित किया कि मौलिक पुस्तके लिखने की उनकी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 12 पुस्तकें प्राप्त हुई हैं जिनका एक समिति द्वारा मुल्यांकन किया गया है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से बैठक में पुरस्कार विजेताओं के नाम घोषित करने का अनुरोध किया। तदनुसार निम्नलिखित पुरस्कार घोषित किए गए।

1. श्री जय प्रकाश भारती को उनकी पुस्तक "भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री" के लिए 3,000 रु० का द्वितीय पुरस्कार।
2. श्री शुक देव प्रसाद को उनकी पुस्तक "अन्तरिक्ष में भारत" के लिए 2,000 रु० का तृतीय पुरस्कार।
3. श्री योगेन्द्र सक्सेना को उनकी पुस्तक "मंगल की यात्रा" के लिए 1,000 रु० का प्रोत्साहन पुरस्कार।

प्रथम पुरस्कार के लिए किसी को योग्य नहीं पाया गया।

श्री पन्ना लाल शर्मा ने सुझाव दिया कि इन पुरस्कारों तथा पुरस्कार विजेताओं के बारे में प्रेस, दूरदर्शन आदि जैसे प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। इससे लेखकों में रुचि पैदा होगी और अन्य लेखकों को पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया जाए। इस सुझाव को स्वीकार किया गया।

उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने बैठक में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। अध्यक्ष महोदय ने स्वयं की ओर से तथा सभी सदस्यों की ओर से इन विभागों द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य की भूरि–भूरि सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि इन बैठकों में अधिकारीगण जो कुछ कहना चाहते हैं वह पढ़कर बताने के बजाए स्वतः अपने मन से बोलने का प्रयास करें। इससे वे यह महसूस करने लगेंगे कि हिन्दी उनके जीवन की शैली का एक अंग बन गयी है और तब वे इसे क्रमशः आत्मसात करने लगेंगे। यह संभव है कि बिना पूर्व तैयारी के भाषण देने की प्रक्रिया में कभी–कभी हमारी भाष्य लटपटी लग सकती है लेकिन ऐसी स्थितियों में हम जो कुछ बोलते हैं, वह हमारी अपनी भावना होगी और सीधे हृदय की अतल गहराइयों से आकर हमारे मन को छू लेगी। उन्होंने कहा कि बैठक से संबधित जो कागजात हिन्दी में प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हे कभी–कभी पढ़ने में कठिनाई होती है। शुद्ध वर्तनी में सुन्दर ढंग से मुद्रित सामग्री हमें आकृष्ट करती है और हमारा मन अपने आप उसे पढ़ने को करता है। यदि हमे हिन्दी को हर दिशा से प्रोत्साहन देना है तो इस दिशा में भी समुचित ध्यान दिया जाना जरुरी है। उन्होंने कहा कि हालांकि वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर संगोष्ठियों, विचार गोष्ठियों सम्मेलन, आदि हिन्दी में भी आयोजित किए जाने चाहिएं। शुरु शुरु में यदि 10 ऐसे सम्मेलनों का आयोजन अंग्रेजी में किया जाता है तो कम से कम 3 तो केवल हिन्दी में होने ही चाहिएं। राजभाषा हिन्दी के संदर्भ में भी इस प्रक्रिया का अनुकूल एवं हितकारी प्रभाव पड़ेगा। हमें ऐसे सम्मेलन हिन्दी में आयोजिय करने के प्रयास अवश्य करने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय ने पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तकें रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि लब्ध–प्रतिष्ठ लेखकों से संपर्क करने से उनसे अच्छी पुस्तकें लिखाई जा सकती हैं। अध्यक्ष महोदय ने आशा व्यक्त की कि सदस्यों द्वारा तथा उनके द्वारा दिए गए सुझाव पर अमल किया जाएगा।

भा० ना० भागवत
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
एवं
सदस्य- सचिव
संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति

2. ऊर्जा मंत्रालय

1. ऊर्जा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दि० 6 जून 86 को ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

2. बैठक के आरम्भ में कोयला विभाग के सचिव महोदय ने समिति के अध्यक्ष माननीय ऊर्जा मंत्री जी तथा समिति के सदस्य माननीय संसद सदस्यों, विद्वानों और अन्य अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शासन की यह नीति है कि अधिक से अधिक सरकारी काम हिंदी में हो और राजभाषा नीति का पूरी तरह कार्यान्वयन किया जाए। उन्होंने बताया कि कोयला विभाग और उसके अधीनस्थ संगठनों में हिंदी के प्रयोग की प्रगति के बारे में कुछ विवरण सदस्यों की सेवा में प्रस्तुत किया जा चुका है। कोयला विभाग और उसके संगठनों का काम तकनीकी है तथा इस काम में प्रयोग होने वाली भाषा में अंग्रेजी के बहुत तकनीकी शब्द आते हैं। इन सारे शब्दों को मिलाकर कहीं इनके हिंदी रूप और कहीं अंग्रेजी रूप का प्रयोग करके शब्द और भाषा की रचना की प्रक्रिया लगातार चल रही है। माननीय सदस्य हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में जो सुझाव देंगे और जो निर्णय लेंगे उन पर कोयला विभाग और उसके अधीनस्थ संगठनों में निश्चय ही अमल किया जाएगा।

3. ऊर्जा मंत्री जी ने चर्चा का शुभारम्भ करते हुए कोयला विभाग के लिए हिंदी सलाहकार समिति के गठन पर और उसकी

कार्रवाई प्रारंभ हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की । उन्होंने भारत सरकार की राजभाषा नीति पर विस्तार से प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि कोयला उद्योग कर्मचारियों की दृष्टि से भारत सरकार का रेलवे के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है । एक अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि अधिकांश कोयला खाने हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं । इस दृष्टि से कोयला उद्योग में और इसके सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की आवश्यकता बहुत है और साथ ही संभावना भी बहुत है । मंत्री जी ने कहा कि इस हिंदी सलाहकार समिति को कोयला विभाग और कोयला उद्योग में हिंदी के प्रचार प्रसार के संबंध में और राजभाषा नीति पर अमल के बारे में गहराई से विचार करना है । उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी सदस्यों के सहयोग से यह समिति प्रभावशाली तरीके से काम करेगी और कोयला उद्योग में भारत सरकार की राजभाषा नीति पर अमल का काम आगे बढ़ेगा ।

4. इसके पश्चात् कार्यसूची की मदों पर चर्चा प्रारंभ हुई । श्री गंगा शरण सिंह, श्री नरेश चंद्र चतुर्वेदी, श्री विजय कुमार यादव, श्री विट्ठल राव जाधव, श्री राज कुमार राय, श्री महेन्द्र प्रसाद, श्री आंजनेय शर्मा, श्री श्यामा चरण तिवारी, श्री अशोक चक्रधर, श्री विष्णु दत्त मिश्र, डा० सरोज अग्रवाल तथा डा० दामोदर खडसे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लगभग एकमत से यह कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग एक अनिवार्य मुद्दा है ।

5. इस बिन्दु पर कोयला विभाग के निदेशक (राजभाषा)—श्री रमेश कुमार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कोयला विभाग और कोयला उद्योग में हिंदी का प्रयोग सांविधानिक स्थिति के साथ-साथ अनुवर्ती आदेशों का ध्यान रखते हुए किए जाता है । उदाहरण के लिए "क" क्षेत्रों को हिंदी में पत्र भेजना अथवा हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है । किन्तु फिलहाल आज की स्थिति के अनुसार फाइलों में नोटिंग हिंदी अथवा अंग्रेजी में करना ऐच्छिक है ।

6. संयुक्त सचिव (राजभाषा विभाग—श्री देवेन्द्र चरण मिश्र) ने कहा कि राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार अधिसूचित कार्यालयों में कार्य हिंदी में ही करने के लिए कहा जा सकता है । सचिव (राजभाषा विभाग) ने भी श्री मिश्र द्वारा उल्लिखित व्यवस्था पर प्रकाश डाला ।

7. इस विषय पर लगभग सभी विद्वानों और संसद सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जब अधिकांश कोयला उद्योग हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित है, कोयला विभाग का सचिवालय भी हिंदी भाषी क्षेत्र में है, कोयला उद्योग का काफी बड़ा भाग "ख" क्षेत्रों में भी है तो इसके सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग व्यापक रूप से और तेजी से होना चाहिए । इस संबंध में कठिनाइयों और आदेशों के जिक्र की जगह अब दृढ़ इच्छाशक्ति और संविधान की व्यवस्था के पालन की भावना उत्पन्न होनी चाहिए । इन महानुभावों ने यह भी कहा कि व्यवस्था के अनुसार तो "ग" क्षेत्र को भी पत्र हिंदी में जाने चाहिए और उनके साथ अंग्रेजी अनुवाद जा सकता है । हिंदी को राज-काज में राजभाषा पद अथक प्रयास से ही मिलेगा ।

8. माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने समिति के सभी सदस्यों की सहमति से यह निर्णय दिया कि—

(1) कोयला विभाग के उपर्युक्त "क" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालय हिंदी में ही अपना काम करें ।

(2) उपर्युक्त "ख" क्षेत्र में कोयला विभाग के जो कार्यालय हैं वे भी अपने को "क" क्षेत्र जैसा ही मानकर अपना काम हिंदी में करें ।

इस प्रकार व्यवहार में "क" क्षेत्र और "ख" क्षेत्र एक जैसे हो जाएंगे ।

इस निर्णय का सभी उपस्थित महानुभावों ने हर्षध्वनि से स्वागत किया ।

9. भारत कोकिंग कोल लि० के प्रतिनिधि (श्री राम निवास द्विवेदी) ने उक्त निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इसे तुरन्त लागू करने में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, जैसे—सभी कर्मचारियों का हिंदी में प्रशिक्षित नहीं होना, यांत्रिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होना, आदि । कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त (श्री शंकर प्रसाद) ने इस संबंध में हिंदी स्टेनोग्राफरों की कमी का भी जिक्र किया ।

10. ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि हमारा यह निर्णय एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है तथा इसका पालन अवश्य होना है । इस संबंध में आशंकाएं नहीं होनी चाहिए, जो कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए और समयबद्ध कार्यक्रम बनाके—उदाहरण के लिए छः महीने की अवधि में—सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जानी चाहिए ताकि इस निर्णय का पालन जहां तुरन्त नहीं हो सकता वहां भी छः महीने में अवश्य हो जाए ।

11. श्री श्यामा चरण तिवारी ने कहा कि कोल इंडिया लि० के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एक हिन्दी अनुवादक, एक हिन्दी टंकक और एक हिन्दी टाइपराइटर की व्यवस्था तुरन्त होनी चाहिए ।

12. ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि श्री तिवारी के सुझाव पर कार्रवाई उपर्युक्त निर्णय* के पालन में शामिल रहेगी, फिर भी सुझाव अच्छा है और इसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए ।

13. श्री गंगाशरण सिंह ने निम्नलिखित सुझाव दिए तथा अगली बैठकों में इन पर कृत कार्रवाई की जानकारी चाही :—

(क) सभी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा संबंधी व्यवस्थाओं का ठीक ठीक ज्ञान कराने के लिए कार्यशालाएं या पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) आयोजित किए जाएं ।

(ख) यह रिपोर्ट दी जाए कि :—

(1) वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम कितना पूरा किया गया ।

(2) कितना पूरा नहीं किया जा सका ।

---

*देखिए : पैरा 8, पृष्ठ 3-4 ।

(3) जितना पूरा नहीं दिया जा सका उसके पूरा नहीं करने के कारण ।

(ग) जहां कहीं प्रतिशत का उल्लेख हो, वहां केवल प्रतिशत के स्थान पर संबंधित संख्याएं भी दी जाए।

(घ) अधिकारीगण कोयला संबंधी अन्य कामों के पालन का निरीक्षण करते समय राजभाषा नीति के पालन का भी निरीक्षण करें ।

(ङ) राजभाषा कार्य के प्रभारी संयुक्त सचिव राजभाषा नीति और इस संबंध में लिए गए निर्णयों का पालन सुनिश्चित कराएं ।

(च) हिंदी भाषा, हिंदी स्टेनोग्राफी तथा टंकण में प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों के ज्ञान का उपयोग हो रहा है अथवा नहीं इसके बारे में आंकड़े दिए जाएं ।

(छ) इस बात का संभव उपाय करके रिकार्ड या रजिस्टर आदि रखा जाए कि कार्यालय की किस शाखा में हिंदी का प्रयोग नहीं होने पा रहा है, वहां के अधिकारी-क्रम में कौन अधिकारी/कर्मचारी हिंदी नहीं जानता है अथवा अन्य क्या कठिनाइयां हैं । इन कठिनाइयों का समाधान होना चाहिए ।

14. भारत कोकिंग कोल लि० से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट की इस दृष्टि से सराहना की गई कि उसमें बड़ी स्पष्टता से आंकड़े आदि दिए गए हैं । श्री विजय कुमार यादव ने इस रिपोर्ट की गहराई समीक्षा की । उन्होंने कहा कि :—

(क) भा०को०को० लि० ने राजभाषा नीति के पालन के लिए जिस प्रकार के और जितने उपाय करने चाहिए वह नहीं किए । उदाहरण के लिए उनके पास कुल 780 टाइप-राइटर हैं जिनमें से 660 रोमन में और केवल 120 देवनागरी में है। यह स्पष्ट नहीं है कि इन 120 देवनागरी टाइपराइटरों से भी काम लिया जा रहा है अथवा नहीं और उनमें से कितने ठीक हैं और कितने खराब पड़े हैं । अगली बैठक में इस संबंध में सभी कंपनियों के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए ।

(ख) भा०को०को०लि० में पुस्तकों की खरीद के मामले में हिंदी की स्थिति दयनीय है । उन्होंने आंकड़े देकर कहा कि पुस्तकों की खरीद की कुल राशि का बहुत कम हिंदी पुस्तकों पर खर्च किया जा रहा है जबकि अपेक्षा यह है कि कुल राशि का 50% तक हिंदी पुस्तकों आदि पर खर्च किया जाए । इस संबंध में स्थिति की समीक्षा सभी कंपनियों में की जाए और सुधार की कार्रवाई करके अगली बैठक में रिपोर्ट दी जाए ।

15. श्री श्यामा चरण तिवारी और श्री अशोक चक्रधर ने कहा कि कोयला उद्योग से संबंधित भाषा के विकास के लिए शब्दावली निर्माण का कार्य शुरु किया जाए । इस शब्दावली में अंग्रेजी शब्दों के कोशगत अर्थ तो दिए ही जाएं, साथ ही कोयला क्षेत्रों में साधारण कर्मचारी और मजदूर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं अथवा विभिन्न मशीनों या प्रक्रियाओं के लिए उन्होंने जो हिंदी शब्द बना लिए हैं उनका भी इन शब्दावलीयों में समावेश अवश्य किया जाए । इस प्रकार कोयला क्षेत्रों की तकनीकी जनभाषा का विकास होगा ।

16. श्री श्यामाचरण तिवारी ने कहा कि हिंदी में कोयला संबंधी विषयों पर मौलिक ग्रंथ लिखने की योजना सराहनीय प्रयास है । किन्तु इस योजना के अलावा कोयला उद्योग से संबंधित विभिन्न विषयों पर छोटी-छोटी पुस्तिकाएं विषय देकर अपने विषय के विशेषज्ञ अधिधारियों कर्मचारियों या बाहरी विद्वानों से लिखाई जाएं । कोयला उद्योग के जो अहिंदी भाषी अधिकारी/कर्मचारी अंग्रेजी में ऐसी छोटी-छोटी उपयोगी पुस्तिकाएं लिख सकते हैं उनसे अंग्रेजी में ही पुस्तिकाएं लिखाकर उनके हिंदी अनुवाद कराए जाएं । ऐसा करने से कोयला संबंधी विषयों पर हिंदी में काफी साहित्य शीघ्र ही तैयार हो जाएगा ।

17. श्री अशोक चक्रधरजीने निम्नलिखित सुझाव दिए :—

(क) कोयला संबंधी विषयों पर हिंदी में हो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं । इन प्रतियोगिताओं में सभी स्तरों के अधिकारी और कर्मचारी भाग लें । इन प्रतियोगिताओं के लिए प्राप्त सामग्री अथवा भाषण आदि से समुचित सामग्री का चयन करके उसके संकलन प्रकाशित किए जाएं । ऐसा करने से हिंदी में कोयला संबंधी विषयों पर साहित्य तो तैयार होगा ही, साथ ही जब इस प्रकार तैयार संकलनों का प्रबंध या प्रक्रियाओं में प्रयोग किया जाएगा तो संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने हिंदी कार्य को मान्यता मिलते देखकर हर्ष होगा और उनमें प्रबंध में सहभागिता और सहयोग की भावना बढ़ेगी । प्रबंध में भागीदारी की दृष्टि से यह (हिंदी के प्रचार-प्रसार के अलावा) एक अतिरिक्त लाभ होगा ।

ऊर्जा मंत्री जी ने इस सुझाव की बहुत सराहना की और इस पर शीघ्र ही कार्रवाई करने के लिए कहा ।

(ख) कोयला उद्योग का एक मुख-पत्र हिंदी में होना चाहिए क्योंकि इस समय कोयला उद्योग में ऐसी पत्रिका का अभाव है । वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लि० के निदेशक (कार्मिक—श्री भंडारी) ने वे०को०लि० द्वारा प्रकाशित खनन भारती का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पत्रिका को बहुत रूचि और परिश्रम से निकाला जा रहा है । श्री आंजनेय शर्मा ने "खनन् भारती" पत्रिका की प्रशंसा की ।

ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि "खनन-भारती" को ही और सजा-संवार कर कोयला उद्योग के मासिक मुख-पत्र का रूप दिया जाए ।

(ग) प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रम में हिंदी को पर्याप्त और समुचित स्थान दिया जाए ।

10—1170 एम० लाफ पच० ए० (एनबी)/86

भा० को० को० लि० के प्रतिनिधि (श्री द्विवेदी) ने आंकड़े देकर बताया कि भा० को० को० लि० के अधीन प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में 43 000 व्यक्तियों को हिंदी माध्यम से ही साक्षर बनाया जा चुका है ।

18. श्री आंजनेय शर्मा ने कहा कि राजभाषा के संबंध में नीति बहुत स्पष्ट है । इस बारें में कोई दो राय नहीं हो सकती । आवश्यकता इस बात की है कि नीति के सभी मुद्दों का इस संबंध में बनाए गए सभी कार्यक्रमों का और जारी किए गए आदेशों का सही और पूरा पालन हो ।

19. श्री नरेश चंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि :—

(क) आज की बैठक में कंपनियों के अध्यक्ष/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक नहीं हैं । भविष्य में इस समिति की बैठकों में उनका रहना आवश्यक है ताकि यहां लिए गए निर्णय उन्हें सीधे ही पता चलें और वे आदेश देकर उन पर कार्रवाई कराएं ।

(ख) जिस प्रकार भा० को० को० लि० की रिपोर्ट में पूरा विवरण आंकड़ों के साथ दिया गया है उसी प्रकार आगामी बैठकों में मंत्रालय के बारे में और सभी कंपनियों के बारे में आंकड़े देकर रिपोर्टें प्रस्तुत की जाएं ।

20. राजभाषा विभाग की सचिव (कु० कुसुमलता जी मित्तल) ने कहा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि राजभाषा विभाग मंत्रालय के माध्यम से अथवा सीधे ही जो सूचनाएं आंकड़े मांगता है वह समय से नहीं मिलते । कोयला विभाग के सभी संगठन इस प्रकार की रिपोर्टें/आंकड़ें/सूचनाएं समय से और पूरी-पूरी देने का ध्यान रखा करें ।

21. ऊर्जा मंत्री जी ने बैठक का समापन करते हुए कहा कि आज की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं । इन सभी निर्णयों और सुझावों पर समुचित कार्रवाई की जाएगी और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

3. राजस्व और व्यय विभाग

राजभाषा नीति से संबंधित कार्य से जुड़े हुए पदों के सर्जन के बारे में लगी हुई रोक संबंधी सही स्थिति ।

सरकारी व्यय में मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 1984 से, पदों के सृजन और रिक्तियों को भरे जाने पर सामान्य प्रतिबंध लगा हुआ है । यद्यपि संगठन की प्रचलनात्मक कार्य-कुशलता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर अन्य प्रकार की रिक्तियों को भरे जाने के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है । यह सुनिश्चय करने का भी ध्यान रखा जाता है कि रिक्तियों को न भरे जाने के कारण किसी सरकारी विभाग या संगठन के सुचारु रूप से कार्य करने पर प्रभाव न पड़े । अतः सृजन में पूर्ण प्रतिबंध नहीं है और जहां न्यायोचित ठहरता है वहां पदों के सृजन और रिक्तियों के भरे जाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है । यही नीति हिन्दी के कार्य से सम्बन्धित पदों के सृजन तथा रिक्त पदों को भरने के समय ध्यान में रखी जाती है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हिन्दी पदों की अधिकांश श्रेणियों को पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और इस प्रकार उन मामलों में प्रतिबंध आदेश लागू नहीं होते । इसलिए वित्त मंत्रालय हिन्दी के काम से सम्बन्द्ध पदों समेत सभी पदों का सृजन/रिक्तियों को भरे जाने के लिए प्रस्तावों पर उनके गुणदोषों के आधार पर उपयुक्त स्तरों पर विचार करने के लिए हमेशा तैयार है ।

राजस्व तथा व्यय विभागों में हिन्दी में काम करने वाले अनुभाग :

राजस्व विभाग

विभाग में 12 अनुभाग पूरी तरह और 13 अनुभाग अंशत: हिन्दी में काम करने के लिए विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

व्यय विभाग

विभाग में 6 अनुभागों को अपना अधिकांश कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है । इन अनुभागों में सहायक साहित्य और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ।

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

महा लेखाकार (लेखा तथा हकदारी) कार्यालयों के ऐसे अनुभागों द्वारा जो हकदारी संबंधी कार्य करते हैं प्राय: अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में किया जा रहा है । कुछ कार्यालयों द्वारा सप्ताह/महीने में एक दिन सारा कार्य हिन्दी में करने का निर्णय लिया गया है और कुछ कार्यालयों द्वारा मदें चुनी गई हैं जिनमें सारा काम हिन्दी में किया जाएगा ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :— "क" और "ख" क्षेत्रों में सभी निदेशालय/आयकर आयुक्त, प्रभार के प्रशासन/स्थापना अनुभाग अपना सभी काम हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जा चुके हैं ।

2.1 इसके साथ-साथ प्रत्येक प्रभार में निर्धारण और संग्रहण संबंधी नीचे लिखे कार्य भी हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जा चुके हैं । सभी प्रभारों में हिन्दी जानने वाले सभी अधिकारी इन कार्यों को हिन्दी में करेंगे :—

(क) निर्धारण और संग्रहण संबंधी कार्य

1. सभी समरी निर्धारण इन में निर्धारितियों को भेजे जाने वाले पत्र आदि भी शामिल हैं,
2. सभी प्रकार के नोटिस जारी करना,
3. सभी रजिस्टरों का रख-रखाव – इनमें दैनिक संग्रहण रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर आदि शामिल हैं ।

(ख) कर वसूली कार्य

1. सभी नोटिस जारी करना,
2. सिविल प्राधिकारियों से पत्राचार—इनमें कर वसूली प्रमाण–पत्रों के रद्द करने/परिवर्तन करने आदि के मामले भी शामिल हैं,

3. कुर्की (डिस्ट्रेस) वारंट तैयार करना,

4. कर वसूली अधिकारी के मांग रजिस्टर का रखरखाव,

5. चालान बनाना,

6. चूक कर्ताओं को अनुस्मारक (रिमाइण्डर) भेजना,

7. वसूली प्रमाण पत्र जारी करना ।

2.2 इन प्रभारों को यह भी आदेश दिया गया है कि वे अपने आदेश की एक प्रति हिन्दी सलाहकार समिति की जानकारी के लिए प्रस्तुत करें ।

हिन्दी टाइपराइटरों की खरीद

राजस्व विभाग में हिन्दी के 46 टाइपराइटर हैं और दो टाइपराइटर खरीदने के आदेश दिए गए हैं । अगले कुछ महीनों में कुछ और हिन्दी के टाइपराइटर खरीदे जाएंगे । हिन्दी में काम करने वाले अनुभागों में हिन्दी टाइपिस्ट देने की व्यवस्था की जा रही है ।

कार्यशालाएं

राजस्व विभाग.— हिन्दी में काम करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुभागों के प्रभारी उप सचिवों, अवर सचिवों, डेस्क अधिकारियों तथा अनुभाग अधिकारियों के लिए मार्च के महीने में विशेष कार्यशाला चलाई गई । आगे भी इस प्रकार की कार्यशालाएं चलाई जाएंगी ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड.—सभी प्रभागों में इस वर्ष कम से कम एक कार्यशाला अधिकारियों के लिए और 6 कार्यशालाएं कर्मचारियों के लिए चलाने का प्रस्ताव है । उच्च अधिकारियों के लिए भी कार्यशालाएं चलाने के कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है ।

राजस्व विभाग के उप निदेशक (राजभाषा) के घर पर टेलीफोन की व्यवस्था

राजस्व विभाग के उप निदेशक (राजभाषा) के घर पर टेलीफोन लगाने के आदेश दिए गए हैं और टेलिफोन शीघ्र लग जाएगा ।

विश्वास है कि राजभाषा विभाग के आदेशों को ध्यान में रखते हुए अन्य मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, उपक्रम, बैंक आदि भी राजभाषा के कार्य से संबंधित अधिकारियों को टेलीफोन संबंधी और अन्य वांछित सुविधाएं राजस्व विभाग की तरह ही उपलब्ध कराएंगे ।

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की नियम पुस्तकों (सांविधिक तथा असांविधिक) के हिन्दी अनुवाद और हिन्दी में छपाई संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी

सांविधिक नियम पुस्तक	वर्तमान स्थिति
1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम पुस्तक खण्ड-II	हिन्दी पाठ मुद्रित रूप में उपलब्ध है ।
2. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम पुस्तक खण्ड-II	हिन्दी अनुवाद हो रहा है ।
3. सीमा शुल्क नियम पुस्तक खंड-I	हिन्दी पाठ मुद्रणाधीन है ।
4. सीमा शल्क नियम पुस्तक खंड-II	31-12-85 तक संशोधित अंग्रेजी पाठ विधि मंत्रालय के राजभाषा (विधायी) विंग को हिन्दी अनुवाद के लिए भेजा जा चुका है ।

असांविधिक नियम पुस्तकें

1. न्याय निर्णय (30-10-1976 तक संशोधित) ।	1979 से मुद्रित हिन्दी संस्करण उपलब्ध है ।
2. निवारक व आसूचना नियम पुस्तक	1985 से हिन्दी संस्करण मुद्रित रूप में उपलब्ध है ।
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सर्किल में मंडल कार्यालय (कार्यविधि नियम पुस्तक)	अंग्रेजी पाठ मुद्रणाधीन है ।
4. उत्पादन शुल्क निर्मित उत्पादनों पर विभागीय अनुदेशों की मूल नियम पुस्तक ।	अंग्रेजी पाठ मुद्रणाधीन है ।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में हिन्दी का प्रयोग

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड :— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के अन्तर्गत नई दिल्ली स्थित एक सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाफ कालेज है तथा नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान हैं । इनके अतिरिक्त, प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई समाहर्तालयों में भी प्रशिक्षण केन्द्र हैं ।

जहां तक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रश्न है, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संचालित पाठ्यक्रम से संबंधित व्याख्यानों में हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है ।

स्टाफ कालेज में भी, जो कि प्रारम्भिक रूप से भारतीय सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के पर्यवेक्षकों को प्रवेश प्रशिक्षण तथा देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के ग्रुप "क" के अधिकारियों का प्रवेश प्रशिक्षण देने के लिए आशयित है, संदर्भित प्रयोजन के लिए हिन्दी का प्रयोग सीमित मात्रा में हो रहा है । तथापि, वाइवा वोसी और ग्रुप चर्चाओं के दौरान सहभागियों को माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

वित्त वर्ष 1985-86 के प्रथमार्ध में हिन्दी के माध्यम से दो पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे । इसके अलावा, दिल्ली स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान में, पाठ्यक्रमों के विषयों तथा संकाय-सदस्यों के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, जहां तक संभव होता है हिन्दी तथा अंग्रेजी के मिले जुले माध्यम का प्रयोग किया जाता है ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड—राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अकादमी, नागपुर (आयकर विभाग) में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती हुए अधिकारियों के लिए प्रवेश पाठ्यक्रम (इंडक्शन कोर्स) चलाया जाता किन्तु इसमें अभी तक हिन्दी माध्यम का इस्तेमाल नहीं होता । किन्तु प्रशिक्षण के दौरान राजभाषा नीति, हिन्दी की सांविधिक स्थिति, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली आदि की जानकारी कराई जाती है और हिन्दी न जानने वाले अधिकारियों को हिन्दी का कुछ ज्ञान कराया जाता है ।

अन्तर सेवा पाठ्यक्रम जैसे प्रबंधन संगोष्ठी (मैनजमेंट सेमीनार) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आदि में राजभाषा नीति के अलावा राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास पर जोर दिया जाता है । 1985-86 में हिन्दी माध्यम से 31 पाठ्यक्रम चलाए गए ।

क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में अधिकांश पाठ्यक्रम हिन्दी में आयोजित किए जाते हैं । प्रत्येक पाठ्यक्रम में राजभाषा का एक सत्र होता है ।

भर्ती/प्रोन्नति की परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम

व्यय विभाग:— वर्ष 1986-87 के दौरान इस विभाग के महालेखा नियंत्रक के संगठन द्वारा निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं :—

क्र० सं०	परीक्षा का नाम	कब हुई/होने की तारीख
1.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी परीक्षा भाग I और II	(सिविल) अक्तुबर, 1986 और अक्तूबर 1987
2.	विभागीय पुष्ठिकरण परीक्षा	जनवरी, 86 और जुलाई, 86 और जनवरी 87 और जुलाई, 87
3.	अन्य संगठनों के लिए होने वाली सामान्य कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा भाग I और II ।	

क्रम संख्या 1 और 3 पर उल्लिखित परीक्षा प्रोन्नति परीक्षाएं हैं जबकि क्रम संख्या 2 कनिष्ठ लेखाकारों (कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए) की पुष्टिकरण के लिए है ।

भर्ती के लिए कोई परीक्षा नहीं होती ।

क्रम संख्या 1 और 3 की परीक्षा में "सार लेखन और प्रारूप" तथा "भारत का संविधान और वित्तीय नियंत्रण" पर परीक्षा पत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में तैयार किए जाते हैं और परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में देने का विकल्प होता है । दोनों भाग I और II में शेष प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं लेकिन परीक्षार्थी को जैसा वह चाहे उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी में देने का विकल्प होता है ।

जहां तक उपर्युक्त क्रम संख्या 2 की परीक्षा का सम्बन्ध है प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं और परीक्षार्थियों को उत्तर किसी भी माध्यम से देने का विकल्प होता है ।

ऐसा कोई प्रश्न-पत्र नहीं है जिसका उत्तर अनिवार्य रूप से केवल अंग्रेजी के माध्यम से देना होता है ।

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग—विभाग द्वारा केवल मण्डल लेखाकारों की भर्ती की जाती है जिसके दोनों प्रश्न-पत्रों का उत्तर हिन्दी में या अंग्रेजी में देने का विकल्प है ।

निम्न स्तर पर विभागीय परीक्षाओं तथा सिविल शाखा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प पहले से ही था ।

अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा की अन्य शाखाओं की परीक्षा में "सार एवं प्रारुप लेखन" तथा "भारत का संविधान" के प्रश्नपत्रों के उत्तर के लिए भी हिन्दी माध्यम का विकल्प पहले ही दे दिया था । शेष प्रश्न पत्रों के लिए विकल्प देने के लिए तैयार किए गए चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार आठ और प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिए जाने का विकल्प 1985 के दे दिया गया है (रेलवे लेखा परीक्षा शाखा के दो, डाक-तार लेखा परीक्षा के 4 तथा वाणिज्यिक लेखा परीक्षा शाखा के 2 प्रश्न-पत्र) । वर्ष 1986 में होने वाली अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा के प्रत्येक शाखा के एक या दो और प्रश्न पत्रों में विकल्प दिया जाता है ।

4. वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक 10 जुलाई, 1986 को वस्त्र राज्य मंत्री श्री खुरशीद आलम खां की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । उल्लेखनीय है कि यह एक नया मंत्रालय है जो पहले वाणिज्य मंत्रालय का एक विभाग था ।

अपने उद्बोधन में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि उनके मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों उपक्रमों आदि में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में प्रगति के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा । उन्होंने सूचित किया कि उनके मंत्रालयों के 37 कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है तथा 3 कार्यालयों को पूरी तरह हिन्दी में काम करने के लिए विनिर्दिष्ट कर दिया गया है ।

राजभाषा विभाग की सचिव कु० कुसुमलता मित्तल ने बैठक में भाग लिया ।

5. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

8 जुलाई, 1986 को श्री पी० चिदम्बरम्, राज्य मंत्री (कार्मिक) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में उप मंत्री

चित्र समाचार

1. राजभाषा विभाग द्वारा बैंगलूर में आयोजित द्विभाषी इलैक्ट्रोनिक उपकरणों की प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन करती हुई सचिव, राजभाषा कु० कुसुमलता मित्तल। उनके दाहिनी ओर हैं, संयुक्त सचिव, राजभाषा एवं सहायक निदेशक (तकनीकी) श्री ए० के० रोहतगी।

2. यूनियन बैंक बम्बई के वरिष्ठ अधिकारियों से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति पर चर्चा करते हुए श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, राजभाषा। उनके साथ बाईं ओर बैठे हैं बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध-निदेशक श्री ज० स्व० भटनागर और दांयी ओर हैं उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री हरिओम श्रीवास्तव एवं श्री डी० आर० कोष्ठी।

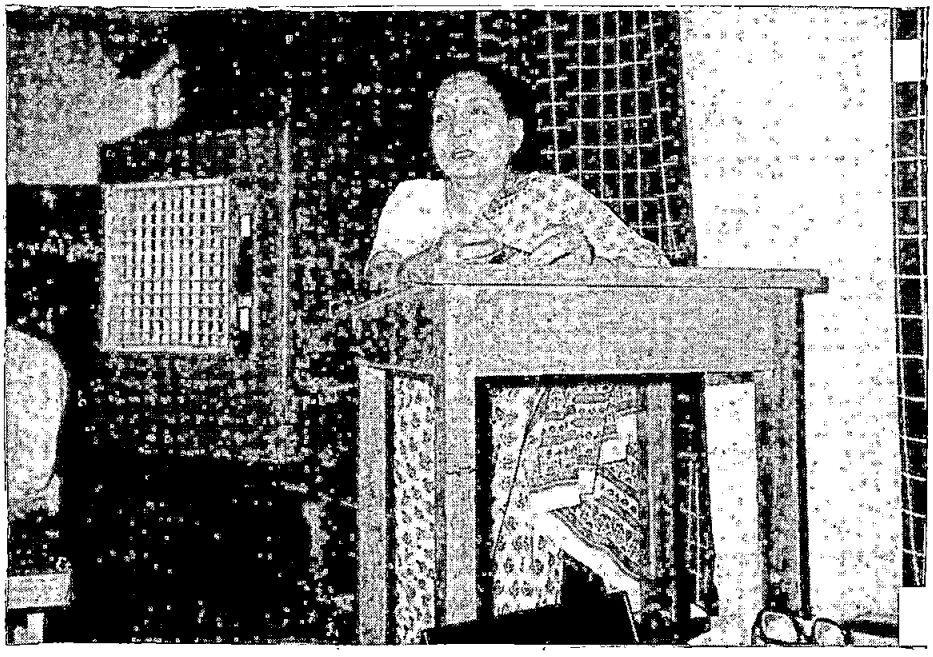

3. हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशकों (हिन्दी) के 5 दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के अवसर पर उद्घाटन भाषण करते हुए राजभाषा विभाग की सचिव कु० कुसुमलता मित्तल।

4. केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण संस्थान के तत्वावधान में हिन्दी शिक्षण योजना के प्राध्यापकों के 5 कार्य दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का उद्घाटन करते हुए संयुक्त सचिव (रा० भा०) श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ।

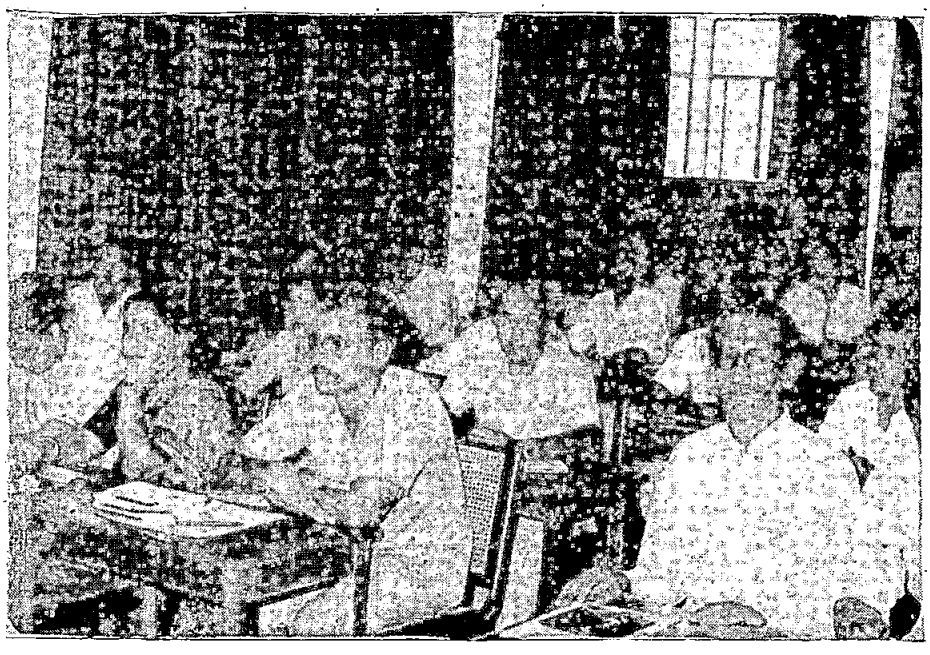

5. हिन्दी शिक्षण योजना के हिन्दी प्राध्यापकों की कक्षा का एक दृश्य ।

6. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान द्वारा आयोजित टंकण एवं आशुलिपि के सहायक निदेशकों को शब्द संसाधक की जानकारी दिए जाने के अवसर पर लिया गया चित्र ।

7. बैंक नोट मुद्रणालय देवास में हिन्दी कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए राजभाषा विभाग के उप सचिव श्री गोविन्द दास बेलिया, उनके दायीं ओर हैं श्री पी० एस० शिवराम, महा प्रबंधक प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक ।

8. केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशकों (आशु०, टंकण) के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की कक्षा में भाषण देते हुए राजभाषा विभाग के उप सचिव श्री वी० पी० सिंह ।

9. शिमला, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन के अवसर पर राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री एम० एल० मैत्रेय, अनुसंधान अधिकारी एवं श्री वेंधे अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिमला ।

10. केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित हिन्दी भाषा के प्रारंभिक बैच के प्रतिभागियों, जिन्होंने माध्यमिक और प्राज्ञ स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, को कार्यालयीन हिन्दी का प्रशिक्षण दिया गया– समापन के समय का चित्र ।

11. केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सहायक निदेशक (हिन्दी) के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के उद्घाटन के समय संस्थान के कार्यकलापों का परिचय देते हुए संस्थान के निदेशक, डा० धर्मवीर ।

श्री बी० एस० संगती भी उपस्थित थे। अध्यक्षीय उद्बोधन में राज्य मंत्री महोदय ने कहा कि उनके मंत्रालय में राजभाषा के कार्य को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि मंत्रालय का यह सदैव प्रयास रहेगा कि सरकारी कार्य अधिकाधिक मात्रा में राजभाषा हिन्दी में ही किया जाए।

चर्चा के दौरान सदस्यों ने सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा निकाली जा रही पत्रिका "प्रशासन की झलक" के नियमित प्रकाशन का सुझाव भी दिया।

बैठक में राजभाषा विभाग की सचिव कु० कुसुमलता मित्तल तथा संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने भी भाग लिया।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक का आयोजन

1. अहमदाबाद

बैंकिंग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अहमदाबाद की दूसरी बैठक गुरुवार, 24 अप्रैल, 1986 को प्रातः 10.00 बजे देना बैंक, अंचल कार्यालय अहमदाबाद में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री बिमल कुमार घोष, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, देना बैंक ने की।

श्री सुशील कुमार टंडन, मुख्य अधिकारी (कार्मिक), देना बैंक, अंचल कार्यालय, अहमदाबाद ने सदस्यों का स्वागत किया एवं बैंकिंग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अहमदाबाद की प्रथम बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण दिया।

डा० अनुपचन्द्र पु० भायाणी, उप मुख्य अधिकारी, राजभाषा विभाग, देना बैंक ने स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत सरकार ने संशोधित प्रोफार्मा भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दिया है जो सभी बैंकों को परिचालित किया जाएगा।

(i) डा० भायाणी ने पिछली बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक को लिख गए पत्र से सदस्यों को अवगत कराया। भारतीय रिजर्व बैंक से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन आवेदन पत्रों एवं मूल्यांकन फार्मों के लिए, जो कि केवल अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में मुद्रित होते हैं, क्या अलग भाषा नीति निर्धारित की गयी है ?

(ii) सरकार की राजभाषा नीति के संदर्भ में इस बात का भी मार्गदर्शन प्राप्त किया गया था कि लेखनसामग्री की मदों में क्या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग वांछनीय होगा ? भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त उत्तर के आधार पर सदस्य बैंकों को बताया गया कि "जनता द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले फार्मों, लेखन सामग्री, नाम पट्टों, संकेत पट्टों, रबड़ की मुहरों में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए किंतु उसमें भाषा का क्रम निम्नानुसार हो : क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी, अंग्रेजी। इसके अतिरिक्त तीनों भाषाओं के अक्षर (लेटरिंग) एकसमान होने चाहिए।"

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से उप मुख्य अधिकारी श्री एम० डी० गुप्ता ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के लिए क्षेत्रों के चयन का प्रश्न विचाराधीन है। तथापि, यू० को० बैंक के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि हम पुनः भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिखकर अंग्रेजी/और/अथवा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के बारे में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध करें।

(iv) श्री प्रताप मर्चेन्ट, उप महा प्रबंधक, अंचल कार्यालय देना बैंक अहमदाबाद ने सुझाव दिया कि जनता से संबद्ध सभी फार्म संप्रेषणीयता की दृष्टि से केवल क्षेत्रीय भाषा और हिन्दी में होने चाहिए। श्री घोष ने इस सुझाव से अपनी सहमति प्रकट करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अहिन्दी भाषी क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा की प्राथमिकता दी जानी चाहिए और कोई भी फार्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हिन्दी न हो।

(v) रबड़ की मुहरों के बारे में पंजाब नैशनल बैंक के प्रतिनिधि ने कहा कि राजभाषा अधिनियम के अनुसार सभी रबड़ की मुहरें द्विभाषिक होनी चाहिए, लेकिन उनके द्विभाषीकरण से बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। द्विभाषिक रूप में बनवाने पर भी चेक एवं अन्य ऐसे लिखतों का आकार इतना छोटा होता है कि उनसे उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी रबड़ की मुहरे केवल हिन्दी में बनवाई जानी चाहिए।

कार्पोरेशन बैंक के प्रतिनिधि ने कहा कि विदेशी मुद्रा विभाग की कुछ मुहरें इतनी बड़ी होती हैं कि द्विभाषीकरण के बाद वे अत्यधिक बड़ी हो जाएंगी।

यह सुझाव दिया गया कि भारतीय रिज़र्व बैंक से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए।

डा० भायाणी ने सूचना दी कि पहले यह निर्णय किया गया था कि यदि समाशोधन गृह सहमत होते हैं तो समाशोधन की रबड़ की मुहरें एक भाषा में तैयार की जा सकती हैं। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि एक समान रबड़ की मुहरें सभी स्थानों पर प्रयुक्त की जानी चाहिए।

(vi) बैंकों के अधिकांश सदस्य ने बताया कि प्रशिक्षण कक्षाओं में प्रवेश नियंत्रण के कारण बैंकों को हिंदी टंकण के लिए टंककों को प्रशिक्षित करने में समस्याओं का मुकाबला करना पड़ता है। हिन्दी शिक्षण योजना भारत सरकार के प्रभारी प्रतिनिधि श्री कौर ने स्पष्टत करते हुए कहा कि जहां जहां से उनको आवेदन प्राप्त हुए थे सब को प्रवेश दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि के प्रशिक्षण के मामले में उनकी ओर से पूरा सहयोग मिलेगा।

सिंडीकेट बैंक के प्रतिनिधि ने बताया कि टंकण प्रशिक्षण का नया सत्र प्रारम्भ हो जाने के बाद भी टंकण परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं किये जाते और न तो इस संबंध में कोई सूचना मिलती है। हिन्दी शिक्षण योजना के प्रभारी प्रतिनिधि का मत था कि

टंकण परीक्षा के परिणाम समय पर ही घोषित किए जाते हैं। तथापि, विलंब होने पर, बैंक निजी संपर्क स्थापित कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

(vii) सदस्यों का यह भी विचार था कि जिनसे हिन्दी टंकण का काम लिया जाना अपेक्षित है उन्हें भविष्य में हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हिन्दी आशुलिपिकों की अनुपलब्धता के संदर्भ में पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि बैंकिंग सेवा भर्ती मंडल को हिन्दी आशुलिपिकों की भर्ती के लिए गहन प्रयास करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि हिन्दी के प्रयोग की स्थिति में सुधार लाने के लिए अंग्रेजी आशुलिपिकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष भी इस बात से सहमत थे कि हिन्दी आशुलिपि को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

तिमाही प्रगति रिपोर्टों की लिखित समस्या सदस्यों को परिचालित की गई थी। डा० भायाणी ने रिपोर्टों की समीक्षा के प्रयोजन एवं महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डाला।

पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि समेकित तिमाही रिपोर्टें सभी सदस्य बैंकों को परिचालित की जानी चाहिए। इस सुझाव को स्वीकृत किया गया।

डा० भायाणी ने सदस्यों की इस बात की याद दिलायी कि तिमाही प्रगति रिपोर्टों में केवल अहमदाबाद में स्थित शाखाओं के आंकड़े ही होने चाहिए। उन्होंने सदस्यों से यह अनुरोध भी किया कि भविष्य में वे सीधे अंचल कार्यालय अहमदाबाद से पत्रव्यवहार करें। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमें कर्तव्यभावना के साथ हिन्दी में कार्य करना चाहिए और उन शाखाओं/कार्यालयों का अधिसूचित करवाने की सलाह दी जहां 80 प्रतिशत कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है।

चर्चा के दौरान डा० भायाणी ने सदस्यों से यह भी अनुरोध किया कि हिन्दी के मामले में बैंकों द्वारा की गई गणनापात्र प्रगति के संबंध में अंचल कार्यालय को अवगत कराए ताकि सभी सदस्यों को यह जानकारी परिचालित की जा सके।

हिन्दी प्रशिक्षण कार्य पूरा करने के लिए संबंध में उन्होंने बैंक कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गति तेज करने पर बल देते हुए संपुट पाठ्यक्रम आयोजित करने के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।

अध्यक्ष महोदय ने सहभागियों से स्पष्टता की कि जहां आवश्यक हो वहां सरकारी संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए और बैंकों को अनावश्यक रूप से सरकार पर निर्भर न रहकर आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में स्वयं प्रयास करने चाहिए।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि भारतीय बैंक संघ के सहयोग में एक संयुक्त प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाए। भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के प्रभारी ने जहाँ कहीं भी इस प्रकार की कक्षाएं संचालित की जायें सेवाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया।

पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि ने इस बात के लिए चिंता व्यक्त की कि फार्मों की अनुलपब्धता के कारण बहुत से कर्मचारी बैंकिंग उन्मुख हिन्दी परीक्षा में बैठ नहीं सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस संबंध में हमें भारतीय बैंकर संस्थान को पत्र लिखना चाहिए।

हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार

श्री सुशील कुमार टंडन, मुख्य अधिकारी (कार्मिक) देना बैंक अंचल कार्यालय ने इस बात के लिए प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय रिज़र्व बैंक एवं नाबार्ड की हिन्दी परिषद का वादविवाद प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है। उन्होने सदस्यों को यह भी सूचित किया कि प्रत्येक बैंक के दो प्रतिनिधि प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता देना बैंक द्वारा आयोजित की जायेगी।

श्री जगमोहन शर्मा, सहायक महा प्रबंधक, देना बैंक, गुजरात अंचल कार्यालय ने हिन्दी का प्रयोग बढ़ाते हेतु निम्नलिखित उपाय सुझाये :

(1) बार बार हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए।

(2) हिन्दी बोलने-लिखने एवं सिखाने की भरपूर कोशिश की जानी चाहिए।

(3) हिन्दी दिवस मनाया जाना चाहिए और वर्ष के अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा पहले से ही बना ली जानी चाहिए जिससे लोग अच्छी तरह भाग ले सकें।

(4) अंतर-बैंक वादविवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की जानी चाहिए।

(5) कर्मचारियों को रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

श्री सुशील कुमार टंडन ने घोषणा की कि प्रस्तावित वादविवाद प्रतियोगिता के प्रथम तीन पुरस्कार देना बैंक की ओर से दिए जाऐंगे।

चर्चा के दौरान सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधि ने हिन्दी साहित्य प्रदर्शनी आयोजित करने का सुझाव दिया। पंजाब नैशनल बैंक के प्रतिनिधि ने बैंकिंग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अगली बैठक सितम्बर में रखने का सुझाव रखा।

बैंक आफ इण्डिया के प्रतिनिधि का प्रस्ताव था कि एक नगर राजभाषा शील्ड प्रारंभ किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने वादविवाद प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लेकर उसे सफल बनाने की अपील की।

सुशील कुमार टंडन
सदस्य सचिव
बैंकिंग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
अहमदाबाद

2. सिकन्दराबाद

सिकन्दराबाद--(आं० प्र०) में स्थित रक्षा मंत्रालय के उपक्रम प्रागा टूल्स लिमिटेड में 22-4-1986 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रो० डॉ० भीमसेन निर्मल (अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय और प्रो० वाइ० वेंकटरमण राव (हिन्दी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय) ने भाग लिया। विषय था : "हिन्दी के विकास में दक्षिण के सन्तों और साहित्यकारों का योगदान।"

कार्यवाही का संचालन श्री गजानन्द गुप्त जी ने किया। उप कार्मिक प्रबन्धक/हिन्दी अधिकारी श्री एस० सुरीन ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्य-कलापों का संक्षिप्त विवरण दिया। मुख्य वक्ताओं—प्रो० डॉ० भीमसेन निर्मल एवं प्रो० डॉ० वाई वेंकटरमण राव का परिचय हिन्दी पर्यवेक्षक श्रीमती लक्ष्मी कुमारी ने दिया।

विद्वान वक्ताओं ने अपने व्याख्यान में सन्त परम्परा, सन्त साहित्य और भाषा पर उनके प्रभाव को उद्धरणों द्वारा प्रतिपादित किया। राजभाषा के सम्बन्ध में प्रो० निर्मल ने कहा : "यदि सभी राज्य सरकारें अपने राज्य के प्रशासन का कार्य अपनी-अपनी भाषा में करने लगे तो हिन्दी केन्द्रीय प्रशासन में अपने आप अपना संवैधानिक अधिकार प्राप्त कर लेगी।" प्रो० डॉ० वाइ० वेंकटरमण रावने सन्तों की भूमिका पर ओजस्वी एवं धारा प्रवाह भाषा में खोज पूर्ण रूप में प्रकाश डाला।

श्री टी० वी० एस० शास्त्री, अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक ने अपने भाषण में कहा कि "हिन्दी सीखने या हिन्दी में काम करने के लिए किसी पर दबाव नहीं डालना चाहिए बल्कि उन्हें सरकार की राजभाषा नीति के बारे में समझाकर निष्ठापूर्वक हिन्दी में अपना कार्यालयीन काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।" सम्पर्क भाषा और राजभाषा के रूप में हिन्दी के महत्व को कोई नज़रअन्दाज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमें अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए जिससे हम विभिन्न विषयों में दक्ष व्यक्तियों के साथ काम कर सके। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे हिन्दी सीखें और अपना अधिक से अधिक कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करें और हिन्दी के प्रचार-प्रसार में प्रबन्ध के साथ सहयोग करें। उन्होंने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष को राजभाषा कार्य में हुई प्रगति के लिए बधाई दी एवं आशा व्यक्त की कि समिति भविष्य में भी इसी प्रकार समय-समय पर हिन्दी समारोह आयोजित कर हिन्दी के प्रयोग को बढ़ायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार महाजन, अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं महा प्रबन्धक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि "हिन्दी हमारी सम्पर्क भाषा एवं राजभाषा है क्योंकि देश में अधिक से अधिक लोग हिन्दी को ही बोलते और समझते हैं। इसी कारण संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया जिसका सरकारी कार्यालयों में विकास करने तथा प्रचार-प्रसार करने की जिम्मेदारी सरकार की है यानी हम सबकी है जिसे हमें श्रद्धा, सद्भाव और निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए।" उन्होंने हिन्दी कर्मशालाओं तथा हिन्दी संगोष्ठियां आयोजित करने के प्रयोजन के बारे में समझाया। तदुपरान्त मुख्य वक्ताओं को अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक ने अपने कर कमलों से स्मृति चिन्ह भेंट किये। उक्त अवसर पर नगर के उभरते व्यंग्य लेखक श्री भगवान दास जोपट को भी समसामयिक समस्याओं और घटनाओं पर सतत लेखन एवं पत्र-पत्रिकाओं में रिपोर्टिंग आदि करने में स्मृति चिन्ह प्रदान किया। श्री गजानन्द गुप्त के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

एस० सुरीन
उप-कार्मिक प्रबन्धक/हिन्दी अधिकारी

3. पणजी, गोवा

आकाशवाणी केन्द्र, पणजी, गोवा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 3 जून, 1986 को अपराह्न 3-30 बजे, केन्द्र निदेशक कु० एम० वी० वसंतकुमारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

1. हिन्दी अनुवादक के पद का सृजन

केन्द्र में, हिन्दी अनुवाद के पद के लिए उचित उम्मीदवार को नामित करने के लिए, श्रम मंत्रालय के अधिशेष सेल को अनुरोध किया गया है। यदि उचित उम्मीदवार, उपलब्ध न हों तो इस संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र देने को भी अनुरोध किया गया है।

2. मार्च, 1986 के अंत की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा

यह बताया गया कि, पत्र सूचना कार्यालय, अपना 50 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में करता है। अन्य कार्यालय भी इस संबंध में अनुदेश जारी करें ताकि हिन्दी में पत्राचार का प्रतिशत, उत्तरोत्तर, बढ़ाया जा सके।

3. वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा

(क) हिन्दी प्राध्यापक श्री त्रवाडी ने बताया कि, कर्मचारियों को, हिन्दी अध्ययन मण्डलों के लिए नामित करने के बावजूद, अधिकांश कर्मचारी, हिन्दी कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते हैं। यह हर कार्यालय की जिम्मेदारी है कि वे, अपने कर्मचारियों को हिन्दी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहने के लिए अनुदेश दे।

(ख) यह निर्णय लिया गया कि रोजमर्रा शासकीय कार्य के लिए शब्दावली, शब्दकोशों तथा अन्य उपयोगी पुस्तकों के कुछ सेट खरीद लिए जाएं।

4. राजभाषा अधिनियम 1963 तथा नियम 1976 का कार्यान्वयन

(क) अब, रजिस्टरों तथा फाइलों के शीर्षक द्विभाषा में लिखे जाते हैं।

(ख) हिन्दी में पेस्टो सूचना पट्ट, प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

एम० वी० बसन्तकुमारी
केंद्र निदेशक

4. आइजल (मिजोरम)

कमांडेण्ट–66वीं बटालीयन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 26-6-86 को किया गया। जिसकी अध्यक्षता श्री जे० एस० ढिल्लो (कमांडेण्ट) ने की।

इस बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई :—

(1) पिछली बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि वाहिनी के पुलिस कार्यालय में हिन्दी में किए गए कामकाज की समीक्षा के लिए हिन्दी पंजिका होनी चाहिए। परन्तु अभी तक वाहिनी के कुछ कार्यालयों में पंजिका नहीं रखी गई है इनकी तत्काल व्यवस्था की जाए।

(2) पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि "सोमवार हिन्दी दिवस" है का साइन बोर्ड वाहिनी के सभी कार्यालयों में लगे होने चाहिए परन्तु अभी तक कुछ कार्यालयों में यह बोर्ड नहीं लगे हैं अतः सभी कार्यालयों को बटालियन क्वार्टर मास्टर से यह बोर्ड उपलब्ध करने चाहिए।

(3) यह भी निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक मास कम्पनी स्तर पर श्रुतलेख प्रतियोगिता आयोजित की जाए जिससे अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान का स्तर मालूम हो सके और सफल व्यक्तियों को मुख्यालय में आयोजित प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जा सके। परन्तु खेद है इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(4) भविष्य में श्रुतलेख निबन्ध प्रतियोगिता मुख्यालय में अगस्त, नवम्बर, फरवरी और मई के दूसरे मंगलवार को सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी। सभी लोग इसे नोट कर लें।

अध्यक्ष ने कुछ नए सुझाव दिए :

(1) वाहिनी के कार्यालयों में कम से कम 2/3 पत्राचार हिन्दी में किया जाना चाहिए। बल के उच्च अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

(2) हिन्दी प्रतियोगिता से संबंधित जो भी पत्र उच्च अधिकारियों से प्राप्त होते हैं जैसे निबन्ध प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता, हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता आदि से संबंधित पत्रों को वाहिनी के पूरे कर्मचारियों को पढ़कर सुनाया जाएगा।

जे० एस० ढिल्लो
कमांडेण्ट–66वीं बटालियन
के०रि०पु० बल

5. ईटानगर

दिनांक 20/6/86 को श्री मुरलीधर मेहरा, अधीक्षक इंजीनियर नाहरलगन, सिविल परिमंडल, लो०नि०वि० ईटानगर (अरुणाचल) की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों, उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

सर्व प्रथम श्री डी० आर० कोष्ठी, उप निदेशक (कार्यान्वयन) पूर्व क्षेत्र, राजभाषा विभाग, कलकत्ता ने भारत सरकार की राजभाषा नीति पर विस्तार से प्रकाश डाला और सरकार के वार्षिक कार्यक्रम पर अमल करने का अनुरोध किया। इस बात पर जोर दिया गया कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयास किया जाए। राजभाषा अधिनियम और उसके तहत बने नियमों की जानकारी भी दी गई। इसके अतिरिक्त हिन्दी पदों के सृजन, हिन्दी, हिन्दी टंकण प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था, देवनागरी टाइपराइटरों तथा हिन्दी पुस्तकों की खरीद, हिन्दी दिवस/सप्ताह आदि समारोहों के आयोजन आदि पर भी उपनिदेशक (कार्यान्वयन) ने प्रकाश डाला। उपस्थित अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि हिन्दी में काम शुरू करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएं।

श्री कोष्ठी ने बैठक आयोजित करने के उद्देश्य की जानकारी देते हुए विचार व्यक्त किया कि ईटानगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन का काम इस बैठक में पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने सदस्यों को बताया कि भारत के विभिन्न नगरों में 70 से अधिक समितियां कार्य कर रही है और उनकी बैठकें वर्ष में दो बार आयोजित की जाती हैं। उन बैठकों में राजभाषा नीति और कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति की समीक्षा की जाती है और विभिन्न कार्यालयों के अनुभवों का लाभ उठाया जाता है। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के संभावित प्रयासों पर भी इन बैठकों में चर्चा की जाती है। साथ ही हिन्दी प्रशिक्षण आदि पर भी इन बैठकों में चर्चा होती है।

श्री कोष्ठी ने जानकारी दी कि नगर में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयाध्यक्षों में जो वरिष्ठतम अधिकारी होता है, उन्हें ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। अतः यह निश्चय किया गया कि अभी जो समिति कार्य कर रही है, उसे अपना कार्य यथावत् जारी रखना चाहिए और बाद में ऊपर दिए अनुसार समिति का पुनर्गठन किया जाए तथा सलाहकार समिति में वर्तमान पदाधिकारियों को रखने दिया जाए ताकि समिति का कार्य सुचारू रूप से चल सके। कुमारी गीता बनर्जी, उप निदेशक (पूर्व) हिन्दी शिक्षण योजना, कलकत्ता ने भी बैठक को सम्बोधित किया।

रणजीतसिंह
अध्यक्ष, न०रा०का० समिति एवं
सहायक निदेशक, उ०उ०से० संस्थान

6. नई दिल्ली (सं० लो० से० आ०)

संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में तारीख 25-6-86 को अपराह्न 3.00 बजे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता श्री महीष बहल सचिव, संघ लोक सेवा आयोग ने की।

समिति को बताया गया कि सम्बद्ध अनुभागों द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जा रहे हैं पर परीक्षा "क" (सिविल सेवा) परीक्षा XVI और कल्याण जैसे कुछ अनुभागों द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अभी भी अंग्रजी में दिए जा रहे हैं। समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि उक्त अनुभागों के साथ यह मामला अलग से उठाया जाए।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट को राजभाषा विभाग को भेजने में जो विलम्ब होता है, उसको दूर करने के संबंध में समिति ने अपना यह विचार फिर दोहराया कि उन शाखाओं के सम्बद्ध संयुक्त सचिवो/शाखा अधिकारियो की जानकारी में यह बात लाई जाए ताकि भविष्य में तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर भेज दी जाए। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोग के कार्यालय में जो प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाएं चल रही हैं उनको आगे चलाते रहने की वांछनीयता से समिति ने अपनी सहमति प्रकट की। समिति ने यह भी निर्णय किया कि मूल टिप्पण और प्रारुपण के रूप में जो नोट 100 शब्दों से अधिक का होगा उसके लिए मूल्यांकन समिति द्वारा अतिरिक्त अंकों का यथोचित श्रेय दिया जाएगा। समिति का यह भी अभिमत था कि मूल टिप्पण/प्रारुपण की प्रतियोगिताएं "क" "ख" और "ग" तीनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग चलाई जाएं। इसके संबंध में समिति द्वारा "क" वर्ग के लिए 5 हजार "ख" वर्ग के लिए 4 हजार और "ग" वर्ग के लिए 3 हजार शब्द न्यूनतम सीमा के रूप में निश्चित किए जाए। प्रत्येक क्षेत्र के प्रतियोगियों के लिए कितने पुरस्कार दिए जाएं, इसका निर्णय मूल्यांकन समिति करेगी।

कार्यान्वयन समिति ने यह भी निर्णय किया कि आयोग की विभिन्न शाखाओं में संगठन एवं पद्धति की जो बैठकें होती हैं, उनमें सरकारी कार्य में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग की स्थिति पर विचार किया जाए और उसका विवरण हिन्दी अनुभाग को दिया जाए।

अनुवाद प्रतियोगिता फिर से शुरू करने के संबंध में समिति का विचार था कि आयोग के कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं चल रही हैं, इसलिए अभी अनुवाद प्रतियोगिता शुरू न की जाए।

जगन्नाथ सिंह त्यागी
कृते सचिव, रा०का० समिति,
संघ लोक सेवा आयोग

7. नई दिल्ली

समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक शुक्रवार 27 जून, 1986 को 4 बजे निदेशक समाचार सेवा प्रभाग के कक्ष में संयुक्त निदेशक श्री राधानाथ चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निम्नलिखित निर्णय किए गए तथा कुछ सूचनाएं प्रस्तुत की गई।

(क) बैठक में कहा गया कि मूलपत्रों तथा द्विभाषी पत्रों का रिकार्ड राजभाषा द्वारा निर्दिष्ट प्रोफार्मा में रखने में कर्मचारियों को कठिनाई है। अतः इस का एक मात्र हल यह है कि प्रत्येक अनुभाग में हिन्दी के मूल पत्रों तथा द्विभाषी पत्रों की गार्ड फाइल रखी जाए। इन गार्ड फाइलों में रखने के लिए सभी प्रेषित किए जाने वाले पत्रों की एक अतिरिक्त प्रति बनाई जाए और प्रेषण-पत्र लिख दिया जाए कि "प्रतिलिपि गार्ड फाइल"। इसमें टाइप-साइक्लोस्टाइल, मुद्रित प्रोफार्मा तथा हस्त प्रति सभी शामिल हैं। सभी अनुभाग अधिकारियों ने तथा लेखा अधिकारी ने इस का एक मत से समर्थन किया और आश्वासन दिया कि 1 जुलाई 86 से प्रत्येक अनुभाग दो गार्ड फाइलें, एक मूल-पत्रों की तथा दूसरी द्विभाषी पत्रों की रखेगा। हिन्दी की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट में इन गार्ड फाइलों के ही आंकड़े दिए जाएंगे

(ख) हिन्दी टाइपिस्ट के पद के लिए स्टाफ चयन आयोग को अप्रैल 86 में लिखा गया था, फिर जून 86 में अनुस्मरण दिया गया। बैठक में निर्णय हुआ कि व्यक्तिगत पत्र लेकर स्टाफ चयन आयोग के कार्यालय जाया जाए और यदि संभव हो तो नाम मांगे जाएं।

(ग) लेखा अनुभाग माडल सेक्शन के रूप में काम कर रहा है और लगभग 75 प्रतिशत कार्य हिन्दी में होने लगा है।

2. सभी निदेशकों का नामपट्ट द्विभाषी न बनवा कर केवल हिन्दी में बनवाने के प्रस्ताव को मान लिया गया है।

3. अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे देखें कि समाचार सेवा प्रभाग इन 16 मदों में से कितनों को या सबको विनिर्दिष्ट कर सकता है। हिन्दी अधिकारी ने बैठक में बताया कि इन सभी 16 विषयों के हिन्दी प्रारूप प्रोफार्मा, अग्रेषण पत्र, फार्म आदि हिन्दी में उपलब्ध है और बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को एक-एक सेट अवलोकन के लिए दिया। अधिकारियों की इन विषयों के प्रति प्रतिक्रिया जानने के बाद ही नियम 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

4. हिन्दी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के लिए अध्यक्ष ने आदेश दिए हैं कि हर अनुभाग मूल-पत्रों तथा द्विभाषी पत्रों की गार्ड फाइल रखेंगे। और उसी आधार पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

5. वर्ष 1986-87 में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों पर विचार

1. जुलाई, 86, अक्तुबर, 86 और फरवरी, 87 में कार्यशालाएं रखने की बात एक मत से मान ली गयी। जुलाई 86 में ही हिन्दी सप्ताह मनाने तथा निबंध प्रतियोगिता रखने के निर्देश दिए गए।

2. 14 सितम्बर 86 को हिन्दी दिवस के अवसर पर हर कर्मचारी को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए आलेखन टिप्पण व निबंध प्रतियोगिता रखने का निर्णय हुई ।

डा० नन्दगोपाल गोयल
हिन्दी अधिकारी
कृते : निदेशक समाचार सेवा प्रभाग

8. अलीगढ़

अलीगढ़ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का दसवीं बैठक अधीक्षक अभियंता, उच्च शक्ति प्रेषित, आकाशवाणी, अलीगढ़ की अध्यक्षता में दिनांक 14-5-86 को सायं 3 बजे मुख्य डाकघर, अलीगढ़ के दूसरे तल पर स्थित हाल में संपन्न हुआ ।

अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा इस समिति के 42 सदस्य हैं जिनमें केवल 8–9 सदस्य ही उपस्थित हुए हैं, जो बड़े ही दुख की बात है । इससे साफ जाहिर है कि हमारी रुचि बैठकों के प्रति है ही नहीं । उपस्थिति की ही भांति रिपोर्टों की दयनीय स्थिति है । यह बैठक पहले दिनांक 21-4-86 को निश्चित की गई थी लेकिन रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण यह बैठक स्थगित करनी पड़ी । फिर भी केवल 14 ही रिपोर्ट प्राप्त हो पाई । इस तरफ से भी पूर्ण निराशा ही हाथ लगी । कुछ कार्यालय रिपोर्ट तो भेज देते हैं लेकिन उनका कोई प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं होता तथा वे समझ लेते हैं कि उनका काम रिपोर्ट भेजने के साथ ही पूरा हो गया । यह भावना हमें अपने अन्दर से निकालनी होगी । जितना जरुरी रिपोर्ट भेजना है उतना ही जरुरी बैठक में भाग लेना उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि रिपोर्ट समय से भेज दिया करें । तथा बैठकों में नियमित रूप से भाग लें ।

सचिव ने बताया कि जिन कार्यालयों में समूह "घ" को छोड़कर 25 कर्मचारी हैं वहां राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन आवश्यक है । जिन कार्यालयों में समिति नहीं बनी है वहां यथाशीघ्र समिति का गठन किया जाए और जहां समिति गठित हो वहां उसकी नियमित रुप से बैठक कराई जाए । इस समिति की बैठक तीन महीने में एक बार अवश्य होनी चाहिए ।

सचिव महोदय ने सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार हिन्दी में कार्य को बढ़ाने के लिए कई प्रोत्सहन दे रही है जैसे सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना । इन योजना के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के लिए रु० 400.00 से लेकर रु० 150/- तक के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं । टंकण/आशुलिपि परीक्षा हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन पास करने पर नकद पुरस्कार तथा वेतन वृद्धि भी दी जाती है ।

बैंकों में भी अंग्रेजी टंककों/आशुलिपिकों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहन योजना है । इस योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक अपने यहां प्रति माह रु० 80 + अन्य भत्ते देता है । कुछ अधिकारियों ने जानना चाहा कि प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कार किस "हेड" से दिए जाएंगे । सचिव महोदय ने बताया कि प्रत्येक कार्यालय में "कार्यालय व्यय" "हेड" होता है । उसी से इन पुरस्कारों को दिया जा सकता है । वर्ष 1985 में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन योजना के अधीन हमने अपने कार्यालय के दो कर्मचारियों को चार-चार सौ रुपये का पुरस्कार इसी "हेड" से दिया है । वर्ष 1986 के लिए हमारे यहां से 8 कर्मचारी इस योजना में भाग ले रहे हैं । इसी संदर्भ में सचिव महोदय ने आगे कहा कि पिछले वर्ष हिन्दी सप्ताह के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था । उसमें केवल 5 कर्मचारियों ने ही भाग लिया था । आशुलिपि प्रतियोगिता के लिए केवल एक ही प्रतियोगी था । अतः आशुलिपि प्रतियोगिता आयोजित न की जा सकी । टंकण प्रतियोगिता में रु० 75/- तथा रु० 50/- के प्रथम और द्वितीय पुरस्कार रखे गए थे । इस वर्ष भी हिन्दी दिवस पर ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है । अतः मेरा सभी से अनुरोध है कि इस बार इन प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक कर्मचारी भेजने की कोशिश करें । श्री योगराज मिनोचा, मंडल विद्युत अभियंता, उत्तर रेलवे ने जानना चाहा कि इस अवसर पर कवि सम्मेलन, ड्रामा जैसे कार्यक्रम भी रखे जा सकते हैं । सचिव महोदय ने इस प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया ।

जहां कहीं टाइपराइटर नहीं हैं तथा हिन्दी टाइपिस्ट का पद नहीं है वह कार्यालय अपने मुख्यालयों को इसके लिए लिखें । उन्होंने कहा कि ऐसा भी प्रावधान है कि हिन्दी के टंककों/आशुलिपिकों को हिन्दी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जा सकता है । जहां प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है वहां विभागीय प्रबंध किया जा सकता है जिसके लिए अनुदेशक को मानदेय देने की व्यवस्था है ।

बैंक आफ बड़ोदा के प्रतिनिधि श्री राकेश जैन ने अवगत कराया कि कुछ सामान्य आदेश अंग्रेजी में हैं, पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में अधिक हो रहा है । अधिकांश रबड़ की मोहरें अंग्रेजी में हैं । सचिव महोदय ने अनुरोध किया कि सामान्य आदेश द्विभाषी ही जारी किए जाएं । हिन्दी पत्र व्यवहार को बढ़ाया जाए तथा सभी अंग्रेजी की मोहरों को रद्द कर द्विभाषी बनवा दें ।

निर्णय लिया गया कि सभी तार हिन्दी में दिए जाने चाहिए तथा सभी कार्यालय की मोहरें हिन्दी में होनी चाहिए ।

युवराज बजाज

सचिव नगर राजभाषा कार्यालय समिति
अलीगढ़ एवं केन्द्र अभियंता
आकाशवाणी, अलीगढ़ ।

9. जोधपुर केन्द्र

आकाशवाणी जोधपुर केन्द्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 24-6-86 को अपराह्न 3–30 बजे केन्द्र निदेशक काजी अनीस उल हक की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

(1) हिन्दी अधिकारी के पद के सृजन के लिए महानिदेशालय से पत्राचार जारी रखा जाए।

(2) इस कार्यालय में नियुक्त कनिष्ठ लिपिक/टाइपिस्टों को जिन्हें टंकण नहीं आती है उन्हें हिन्दी टंकण सीखने की हिदायत जारी की जाए।

सदस्यों को सूचित किया गया :—

(1) आकाशवाणी जोधपुर—हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित राज्य सरकारों, गैर सरकारी व्यक्तियों और केन्द्रीय सरकार के कार्यालय आदि को इस तिमाही में कार्यालय द्वारा भेजे गए 78 प्रतिशत-पत्र हिन्दी में थे तथा 40 प्र० श० तार हिन्दी में भेजे गए जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक पत्रों का प्रतिशत निर्धारित नियमानुसार 80 प्र० श० होना चाहिए। अतः अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर जोर दिया कि इस स्तर को प्राप्त करने के लिए कुछ और प्रयास किया जावें।

(2) क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय जोधपुर का 96 प्र०श० पत्राचार हिन्दी में हुआ है जो कि सराहनीय प्रयास है।

(3) गीत एवं नाटक प्रभाग जोधपुर द्वारा इस अवधि में भेजे गए हिन्दी पत्र 72 प्र० श० है जो कि निर्धारित लक्ष्य से कम है अतः लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास किया जाएं।

(4) पत्र सूचना कार्यालय जोधपुर की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यालय में सभी पत्र हिन्दी में भेजे गए है जो कि सराहनीय प्रयास है। यह स्थिति आगे भी बनाई रखी जावें।

राजभाषा के संबंध में प्राप्त विभिन्न निदेशों प्रोत्साहन योजनाओं एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं के बारे में सदस्यों को जानकारी दी गई। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि कुछ विषयों को विनिर्दिष्ट किया जाए कि हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी केवल हिन्दी का ही प्रयोग करें।

विजय कुमार मल्होत्रा
कृते : केन्द्र निदेशक

10. सोनपुर

स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति सोनपुर की बैठक दि० 8-5-86 को श्री पंचम, सहायक इंजीनियर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अध्यक्ष ने सोनपुर स्टेशन कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग की निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए हिन्दी प्रयोग को स्थायित्व प्रदान करने पर विशेष बल दिया। समिति को अवगत कराया गया कि संप्रति स्टेशन कार्यालयों में औसतन लगभग 90% हिन्दी प्रयोग किया जा रहा है। उक्त अवसर पर स्टेशन हिन्दी ग्रंथालय को भी सुव्यवस्थित करने के निर्णय के साथ ही इसके भरपूर उपयोग के लिए भी सबों से आग्रह किया गया। बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि भविष्य में बैठक से पूर्व सदस्यगण हिन्दी प्रयोग सम्बन्धी सामूहिक निरीक्षण किया करें ताकि बैठक में इस सम्बन्ध में चर्चा की जा सके। बैठक में हिन्दी तारों की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया गया।

बैठक के अन्त में गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की 125वीं जयंती की पूर्व संध्या पर एक विचार गोष्ठी भी हुई। हिन्दी अधिकारी ने विश्वकवि टैगोर के साहित्य अवदान की चर्चा करते हुए हिन्दी जगत के लिए उन्हें प्रेरणास्रोत के रूप में प्रतिष्ठापित किया। इस क्रम में उन्होंने महात्मा गांधी और महाकवि निराला के बीच उनकी हुई वार्ता को प्रमाण स्वरुप प्रस्तुत किया साथ ही उनकी संगीत एवं कला मर्मज्ञता का भी उल्लेख किया। हिन्दी अधीक्षक ने टैगोर को आधुनिक भारतीय साहित्य का ज्योति पुरुष कहते हुए उनके अप्रतिम साहित्यिक योगदान की चर्चा की तथा हिन्दी के प्रति उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। श्री रामजी मिश्र ने कहा कि गुरुदेव टैगोर युगावतार साहित्यकार थे जिनके साहित्य में भारतीय आत्मा उद्भासित होती है। श्री द्वारिका राय "सुबोध" ने कहा कि साहित्य के लिए टैगोर जैसे नोबल पुरस्कार विजेता से हम भारतीय अतिशय गौरवान्वित हुए हैं। वे महात्मा गांधी जैसे महापुरुष से भी समादृत थे। सचमुच वे हम सबों के लिए परम वंदनीय हैं।

मंडल रेल प्रबन्धक
(राजभाषा)
सोनपुर

हिन्दी कार्यशालाएँ —

1. इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेकनोलोजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमि०, बेंगलूर

ई० टी० एण्ड टी० के क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुर में राजभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने और कर्मचारियों को राजभाषा के प्रयोग का प्रशिक्षण देने के लिए 12 और 13 जून, 1986 को दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला बेंगलूर स्थित वुडलैंड होटल में आयोजित की गई थी और इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए मद्रास, हैदराबाद, बंगलोर और बम्बई क्षेत्रीय कार्यालयों से अधिकारी और कर्मचारीगण नामित किए गए थे। कार्यशाला में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत बंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय के श्री के० एन० आर० शास्त्री, संयुक्त महाप्रबंधक ने किया। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने कहा कि कार्यालय के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना हमारा एक मुख्य दायित्व है। हम झिझक के कारण हिन्दी में नहीं लिख पाते। आशा है कि इस कार्यालय से आपको काफी फायदा होगा और उम्मीद है कि छोटे छोटे नोट हिन्दी में लिख पाएंगे। इसके बाद श्री शास्त्री ने श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) से उद्घाटन के लिए अनुरोध किया।

कार्यशाला का उद्घाटन ई० टी० एण्ड टी० कार्पोरेट ऑफिस के श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, महाप्रबन्धक कार्मिक एवं (प्रशासन) ने किया। इस अवसर पर अपने उद्गार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहला अवसर है कि दक्षिण भारत में हिन्दी कार्यशाला लगाया गया और इस अभ्यास से निश्चय ही आप लोग लाभ उठा पाएंगे।

कार्यशाला को छः सत्रों में बांटा गया था। इन सत्रों में राजभाषा नीति, अधिनियम, नियमावली, प्रशासनिक शब्दावली, लेखा शब्दावली, वाणिज्यिक शब्दावली तथा नोटिंग और ड्राफ्टिंग पत्राचार जैसे उपयोगी विषय रखे गए। सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और कार्यशाला के प्रति आस्था व्यक्त की।

कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए उच्च पद पर आसीन अधिकारियों तथा हिन्दी सेवी संस्थानों से उच्च कोटि के सेवकों को आमंत्रित किया गया। कर्नाटक राज्य हिन्दी प्रचार संघ के श्री एस० श्री कंठमूर्ति, हिन्दी शिक्षण योजना के श्री के० एस० ईश्वर, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सहायक प्रबन्धक श्री अमजद अली खाँ आमंत्रित किए गए। ये सभी व्याख्याता कन्नड भाषी हैं। फिर हमने एच० एम० टी० के सहायक प्रबंधक श्री राजेश्वर सिंह, आई० टी० आई के सहायक प्रबंधक श्री माणिक चन्द्र शुक्ल और कुद्रेमुख आइरन ओर कम्पनी के हिन्दी अधिकारी श्री मंगल प्रसाद को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। इस तरह हम सभी बेंगलुरू जैसी ऐतिहासिक नगरी में हिन्दी कार्यशाला के माध्यम से उत्तर और दक्षिण के संगम पर आकर मिले और सही निष्ठा एवं प्रेम भाव से हिन्दी के प्रचार-प्रसार में केवट की भूमिका निभाई।

समापन समारोह की अध्यक्षता श्री राम नारायण पात्रो, सलाहकार ने की। श्री पात्रो ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बताया कि विदेशी भी भारत में भारतीयता खोजते हैं। सभी भारतीय भाषाएं श्रेष्ठ हैं और सरकारी कामकाज अपनी-अपनी भाषाओं में की जाती है। उन्होंने कहा कि जब हम विदेशों में जाते हैं तो विचारों को व्यक्त करने के लिए दुभाषिया का सहारा लेते हैं। परन्तु ध्यान देने की बात है कि भारत में अनेकानेक भाषाओं के होते हुए भी, आम लोगों में निरक्षरता का अंश बहुत अधिक होते हुए भी और तिस पर अंग्रेजी की जानकारी रखने वालों की संख्या बहुत सीमित होते हुए भी, जब एक प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्त में जाते हैं तो कोई दुभाषिया नहीं होता है बल्कि टूटी-फूटी हिन्दी से वे लोग अनायास ही काम चला लेते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए लाखों लोग प्रतिदिन भारत के कोने-कोने में जाते हैं। उन के लिए काम चलाने वाला दुभाषिया आखिर है कौन ? हिन्दी। यह दुभाषिया अपने आप आ गया, इसके लिए न कोई प्रयत्न किया गया और न ही हिन्दी को कहीं से लाकर थोपा गया। कहने का तात्पर्य है कि हिन्दी अनेकता में एकता का द्योतक बन गया है। आप जानते हैं कबीर की वाणी दक्षिण में गूंजी, तो तुकाराम की वाणी उत्तर में। चुंकि हम सभी भारत सरकार के मुलाजिम हैं और भारत सरकार ने हिन्दी को काम-काज की भाषा अपनाया है, इसलिए हमारा फर्ज हो जाता है कि हम अपने दैनिक काम-काज में भी थोड़ा-बहुत काम हिन्दी में करें। उन्होंने सुझाव दिया कि ज्यादा नहीं, आप अपना दस्तखत हिन्दी में तो कर ही सकते हैं। छुट्टी का आवेदन आदि जब भी भरें, तो हिन्दी में भरें। शुरूआत छोटी मोटी चीजों से करेंगे तो अपने-आप आपकी झिझक दूर होगी और आगे हिन्दी में काम बेझिझक शुरू कर देंगे।

उपेन्द्र नाथ वर्मा
महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन)

2. प्रागा टूल्स लिमि० सिकन्दराबाद (आंध्र प्रदेश)

प्रथम कार्यशाला

रक्षा मंत्रालय के उपक्रम प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद–(आं० प्र०) में दिनांक 8-1-1986 से 23-1-1986 तक अधिकारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें 16 अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला के आयोजन का मुख्य

उद्देश्य अधिकारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति और इसमें सम्बन्धित संवैधानिक नियमों, विनियमों से परिचित कराने के साथ-साथ अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के प्रति एक प्रकार की जो झिझक, सन्देह और संकोच रहता है उसे अभ्यास द्वारा दूर करना था।

कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर सभी उपस्थित जनों का स्वागत सर्वकार्यभारी हिन्दी अधिकारी एवं उप कार्मिक प्रबन्धक श्री एस० सुरीन ने किया। उपक्रम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं महा प्रबन्धक श्री रा० कु० महाजन ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करना हमारे लिए अनिवार्य है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि यद्यपि राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में काफी काम हुआ है फिर भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रशिक्षार्थी हिन्दी कार्यशाला के महत्वपूर्ण आशय को समझते हुए उसके लक्ष्य को पूरा करें। हिन्दी पर्यवेक्षक श्रीमती एस० लक्ष्मी कुमारी ने अतिथि वक्ता का परिचय दिया। अतिथि वक्ता श्री आद्यानाथ पाण्डेय, परीक्षा नियन्त्रक, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की एवं बड़े ही ओजस्वी ढंग से हिन्दी कार्यशाला की सार्थकता पर बोलते हुए कहा कि हम इस कार्यशाला के माध्यम से अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचारों से श्रोताओं को मन्त्र-मुग्ध कर दिया।

इस कार्यशाला के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबन्धक श्री रा० कु० महाजन आमन्त्रित थे। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में प्रशिक्षित अधिकारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिए जाने से निश्चित ही उपक्रम में हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा। श्री महाजन ने कार्यशाला के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की एवं उन्होंने हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया। इस कार्यशाला के प्रतिभागियों में से श्री के० टी० जीवन सिंह, उप प्रबन्धक लेखा विभाग, श्री विश्वनाथ, उप प्रबन्धक, उत्पादन अभियान्त्रिकी विभाग एवं श्री एस० के० चैतन्य, सहायक सचिव ने भी अपने विचार रखें। प्रतिभागियों में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की कार्यशाला सहायिका, हिन्दी कार्यशाला एवं प्रशासनिक शब्दावली (हिन्दी-अंग्रेजी) एवं प्रमाण-पत्र श्री महाजन ने प्रदान किए।

द्वितीय कार्यशाला

रक्षा मन्त्रालय के उपक्रम प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद–(आं० प्र०) में इस वर्ष मार्च महीने में छः दिनों की द्वितीय हिन्दी कार्यशाला चलाई गई। इसमें कनिष्ठ प्रबन्धक से लेकर प्रबन्धक स्तर के 14 अधिकारियों ने भाग लिया।

अधिकारियों को उनके कार्यों के स्वरूप के अनुसार अपना कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करने का अभ्यास करवाया गया। उन्हें राजभाषा सम्बन्धी नियमों में अवगत कराया गया साथ ही उन्हें उनके राजभाषा सम्बन्धी दायित्व के बारे में बताया गया। इस कार्यशाला के चलाने में नगर के जाने माने राजभाषा कार्य के विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया।

कार्यशाला के अन्तिम दिन के मुख्य वक्ता एवं समापन समारोह के मुख्य अतिथि केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, हैदराबाद केन्द्र के प्रभारी एवं प्रो० डॉ० वी० रा० जगन्नाथन् थे। कार्यशाला के समापन समारोह की अध्यक्षता महाप्रबन्धक एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार महाजन ने की। उप कार्मिक प्रबन्धक सह हिन्दी अधिकारी श्री एस० सुरीन ने उपस्थित जनों का स्वागत किया। कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में से श्री जी० पाण्डु, कनिष्ठ प्रबन्धक (लागत लेखा विभाग) एवं श्री के० बालसुब्रह्मण्यम, सहायक प्रबन्धक (वाणिज्य विभाग) ने भी अपने विचार रखे तथा उन्होंने बताया कि उन्हें अपने कार्य में जहां कहीं आवश्यकता होगी हिन्दी एकक से मदद लेंगे मुख्य अतिथि डॉ० वी० रा० जगन्नाथन् ने अपने भाषण में कहा कि हो सकता है उच्च अधिकारियों को अपना कार्य हिन्दी में करने में कुछ कठिनाई हो किन्तु वे इतना त्याग तो कर ही सकते हैं कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने की छूट देकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अपना योगदान दें। श्री महाजन ने प्रतिभागियों को कार्यालयीन कार्य से सम्बन्धित केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद का साहित्य एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए। श्री महाजन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में राजभाषा नियमों को ध्यान में रखते हुए उनका यथावत पालन करने पर जोर देते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपना अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार यह उपक्रम दिन पर दिन उत्पादन और विक्रय को बढ़ाकर देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दे रहा है उसी प्रकार इसे राजभाषा नियमों के अनुपालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर पूरे भारत में उपक्रम के नाम को रोशन करना है। हिन्दी पर्यवेक्षक श्रीमती एस० लक्ष्मी कुमारी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ।

तृतीय कार्यशाला

रक्षा मंत्रालय के उपक्रम प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद में जून मास में छः दिनों की हिन्दी कार्यशाला चलाई गई। यह इस वर्ष की तृतीय हिन्दी कार्यशाला थी। इसमें कनिष्ठ प्रबन्धक से लेकर प्रबंधक स्तर के 15 अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति और इससे सम्बन्धित संवैधानिक नियमों, विनियमों से परिचित कराने के साथ-साथ अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के प्रति एक प्रकार की जो झिझक, सन्देह और संकोच रहता है उसे अभ्यास द्वारा दूर करना था।

कार्यशाला के समापन के अवसर पर सभी उपस्थित जनों का स्वागत सर्व कार्यभारी हिन्दी अधिकारी एवं उप कार्मिक प्रबन्धक, श्री एस० सुरीन ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में आन्ध्र प्रदेश हिन्दी अकादमी के अध्यक्ष, श्री वेमूरी राधाकृष्णा मूर्ति आमन्त्रित थे। अवसर की अध्यक्षता उपक्रम के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, श्री टी० वी० एस० शास्त्री ने की। हिन्दी पर्यवेक्षक श्रीमती एस० लक्ष्मी कुमारी ने मुख्य अतिथि का परिचय दिया।

मुख्य अतिथि ने हिन्दी के महत्व को बताते हुए भाषा का सम्बन्ध संस्कृति से जुड़ा हुआ बताते हुए अनेको उदाहरणों द्वारा यह स्पष्ट किया कि जो देश अपनी भाषा छोड़कर विदेशी भाषा अपना लेता है उसकी संस्कृति मृत हो जाती है। उन्होंने मारिशस का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां के भारत वंशी आज भी अपनी भाषा के बल पर ही अपनी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। उन्हें देश की एकता और विकास के लिए हिन्दी को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने अपने ओजस्वी विचारों से श्रोताओं को मन्त्र-मुग्ध कर दिया। अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, श्री शास्त्री ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कार्यशाला के सफल आयोजन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस बात पर बल दिया कि अधिकारी गण हिन्दी कार्यशाला के आशय को समझते हुए उसके लक्ष्य को पूरा करें। श्री शास्त्री ने हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। प्रतिभागियों में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद को कार्यालय सहायिका, प्रशासनिक शब्दावली (हिन्दी-अंग्रेजी), देवनागरी में तार एवं अन्य साहित्य तथा प्रमाण-पत्र श्री शास्त्री ने प्रदान किए।

उपक्रम के निवेदन पर इस अवसर पर केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के हैदराबाद केन्द्र की ओर से हिन्दी प्रगति सम्बन्धी उपकरणों एवं साहित्य की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। केन्द्र प्रभारी एवं प्रो० डॉ० वी० रा० जगनाथन् ने उपस्थित जनों को प्रदर्शनी में रखी गई सामग्री के बारे में सविस्तार आवश्यक जानकारी दी मुख्य अतिथि श्री वेमूरि राधाकृष्णा मूर्ति एवं केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के प्रभारी डॉ० वी० रा० जगन्नाथन् को उपक्रम के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक शास्त्री ने स्मृति-चिह्न भेंट किये। श्री गजानन्द गुप्त ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

एस० सुरीन
उप कार्मिक प्रबन्धक/हिन्दी अधिकारी

3. दक्षिण मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद

सिकंदराबाद–रेल नियम, सिकंदराबाद में 21 से 23 जुलाई 86 तक दक्षिण मध्य रेलवे के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों के लिए 3 दिन की हिंदी कार्यशाला आयोजित की गयी। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारियों को हिंदी में टिप्पण व आलेखन का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना था, जिससे कि ये अधिकारी रेलवे के दैनंदिन कार्यों में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। कार्यशाला के पहले दिन सभी प्रतिभागियों को हिंदी में कंप्यूटर, शब्द संसाधक आदि इलेक्ट्रानिक उपकरणों की नवीनतम जानकारी दी गयी। इस अवसर पर सीएमसी लिमिटेड द्वारा विशेष व्याख्यान और प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया। कार्यशाला के समापन के अवसर पर रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य और हिंदी अकादमी, हैदराबाद के अध्यक्ष श्री वेमुरि राधाकृष्ण मूर्ति द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र और शब्द कोष प्रदान किए गए।

विजय कुमार मल्होत्रा
कृते प्रबन्ध निदेशक

4. आकाशवाणी, नागपुर

दिनांक 30-6-86 से 5-7-86 तक आकाशवाणी, नागपुर में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री रज्जन त्रिवेदी साहित्यकार ने किया। उन्होंने हिन्दी के लिए अहिन्दी भाषा भाषियों के योगदान पर चर्चा की और केन्द्र सरकार की हिन्दी नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार हिन्दी किसी पर थोपना नहीं चाहती फिर भी जनता खुद इसे अपना रही है।

श्री शिवनारायण द्विवेदी साहित्य संपादक दैनिक नवभारत कार्यशाला के समापन समारोह में प्रमुख अतिथि थे। उनके करकमलों द्वारा 14 प्रशिक्षार्थियों, और 4 निबंध प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि वे दुनिया के कई देशों का दौरा कर चुके। अंग्रेजी के प्रति जो मोह उन्हें भारत में देखने को मिला वह अन्यत्र दिखाई न दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हमारे देशवासी शीघ्र मानसिक गुलामी से भी मुक्त होंगे और हिन्दी सही मायने में संपर्क भाषा बन जाएगी।

डा० महावीर सिंह, केन्द्र निदेशक ने कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कार्यशाला की सफलता इसी से जानी जा सकती हैं कि इस केन्द्र के अधिकारी और कर्मचारी अगली कार्यशाला का बेसब्री से इन्तज़ार कर रहे है। कार्यशाला के कारण हिन्दी में कामकाज को बहुत बढ़ावा मिलेगा ऐसी आशा व्यक्त की।

मरीयम्स जुलो
हिंदी अधिकारी
आकाशवाणी, नागपुर

5. विस्तार निदेशालय, नई दिल्ली

- विस्तार निदेशालय में दिनांक 19 तथा 20 फरवरी, 1986 को प्रथम हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर हिंदी में टिप्पणियां तथा मसौदे लिखने के बारे में व्याख्यान दिए गए और सहभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। इस कार्यशाला से निदेशालय के 19 कर्मचारियों ने लाभ उठाया।
- सरकार की मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 1985 में भाग लेने पर निदेशालय के एक कर्मचारी को 200 रु० के द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- दिनांक 17 अप्रैल, 1986 को हुई विस्तार निदेशालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में सदस्यों में इस बात पर मतैक्य था कि मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन के लिए निर्धारित 50,000 शब्दों की मात्रा अधिक लगती है, जिसकी वजह से हिंदी में औसत कार्य करने वालों को उपलब्ध लाभ के लिए योजना में भाग लेने से हतो-

त्साहित होना पड़ता है । अतः समिति का विचार था कि शब्दों की संख्या कम की जाए, बेशक पुरस्कार की राशि कम कर दी जाए, जिससे इस योजना के प्रति और अधिक लोग आकर्षित हों ।

जै० प्र० मेहता
उपनिदेशक (प्रशासन)

6. निरीक्षण निदेशालय (अनुसंधान), मयूर भवन, नई दिल्ली ।

निरीक्षण निदेशालय (अनुसंधान), मयूर भवन, नई दिल्ली में दिनांक 19 मई, 1986 से 22 मई, 1986 तक चार दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें 10 कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया है ।

इस कार्यशाला का उद्घाटन 19 मई, 1986 को सांय 3.30 बजे इस निदेशालय के निरीक्षण निदेशक श्री के० रंगराजन ने किया है । इस अवसर पर कार्यालय के कर्मचारी और कुछ अधिकारी भी उपस्थित थे ।

अपने उद्घाटन भाषण में श्री रंगराजन ने कहा है कि हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है । भारत के नागरिक होने के नाते हम सब लोगों की अपने संविधान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए । इसके अलावा एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी होने के कारण संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है । इसलिए सच्चे नागरिक और निष्ठावान सरकारी कर्मचारी के रूप में हमें राजभाषा हिंदी को अपनाने का लगातार प्रयास करना चाहिए ।

उन्होंने कहा कि मैंने हिंदी की कोई परीक्षा पास नहीं की है और मेरी मातृभाषा भी हिंदी नहीं है, फिर भी मैंने अपने थोड़े से प्रयास से हिंदी सीख ली है और अब मैं हिंदी के समाचार-पत्र, पत्रिकाओं और आम साहित्य को भलीभांति पढ़ सकता हूं और उसे पूरी तरह समझता भी हूं । उन्होंने बताया है कि जिन फाइलों पर हिंदी में टिप्पणी लिखी होती है, उन पर मैं भी हिंदी में ही टिप्पणी लिखता हूँ, फिर आप लोग क्यों नहीं अपना कार्य हिन्दी में कर सकते ? हमें गौरव है कि हमारे देश की सभी भाषाएं समृद्ध और सशक्त हैं । सभी भाषाओं में उत्तम साहित्य है । हमें सभी भाषाओं का आदर भी करना चाहिए । परन्तु हिंदी एक ऐसी भाषा है, जो भारत में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सभी भागों में समझी जाती है । हिंदी एक सरल भाषा भी है । इसलिए इसे थोड़ी सी कोशिश करने पर सीखा जा सकता है ।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपसे यह अपेक्षा की जाएगी कि आप अपने सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग शुरू तो कर ही दें । साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि आप अपना पूरा कार्य हिंदी में करिए और इस संबंध में आपकी कठिनाइयों को दूर करने का मैं हर समय प्रयास करूंगा ।

विचार दास
सहायक निदेशक (राजभाषा)
निरीक्षण निदेशालय (अनुसंधान)

7. इलाहाबाद बैंक, नई दिल्ली

इलाहाबाद बैंक, उत्तरी मंडल कार्यालय द्वारा दिनांक 12-5-86 से 15-5-86 तक नई दिल्ली वाई० एम० सी० ए० ऐजूकेशन सेन्टर, जयसिंह रोड, नई दिल्ली में अधिकारी संवर्ग के लिए एक 4 दिनसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई । कार्यशालाका उद्घाटन श्री एम० एल० कवफड़ क्षत्रीय प्रबंधक, नई दिल्ली द्वारा किया गया, उन्होंने अधिकारियों को अपना काम हिंदी में करने के लिए प्रेरित करते हुए बताया कि यह न केवल सांविधिक आवश्यकता कि अपितु बदलते परिवेश में समय की आवश्यकता भी है ।

इस अवसर पर कार्यशाला की समाप्ति पर एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी आयोजित की गई जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों को हिंदी पुस्तकें मंडल के प्रमुख श्री मोहन मिश्र, सहायक महाप्रबंधक के कर-कमलों द्वारा भेट की गई । कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र भी श्री मिश्र द्वारा प्रधान किये गये । अधिकारियों को संभोधित करते हुए सहायक महा प्रबंधक श्री मिश्र ने राज भाषा से संबंधित विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं के शत-प्रतिशत अनुपालन की आवशकता पर बल दिया और परामर्श दिया कि इस संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए । श्री नन्द किशोर गुप्ता, मुख्य प्रबंधक ने अधिकारियों को संबोभित करते हुए आशा प्रकट की कि इस प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में निपटाने में भरपूर मदद मिलेगी ।

कार्यशाला में 21 अधिकारियों ने भाग लिया ।

इसी अनुक्रम में बैंक की पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा केन्द्र शासित प्रदेश स्थित शाखाओं/कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों के लिए दिनांक 19-5-86 से 22-5-86 तक चण्डीगढ़ में एक और हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 26 अधिकारियों ने निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त किया । कार्यशाला के अन्त में आयोजित वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रथम,

द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त अधिकारियों को हिंदी पुस्तकें देकर पुरस्कृत किया गया ।

गुमान सिंह
राजभाषा अधिकारी
उत्तरी मंडल कार्यलय,
नई दिल्ली-1

8. आयकर आयुक्त प्रभाग, हरियाणा, रोहटक

आयकर आयुक्त प्रभाग, हरियाणा, में वित्तीय-वर्ष 1985-86 के दौरान राजभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने और कर्मचारियों को राजभाषा के प्रयोग का प्रशिक्षण देने के लिए भिवानी, पानीपत, जीन्द, चण्डीगढ़, यमुनानगर, सिरसा, करनाल, रोहतक, अम्बाला तथा हिसार में हिन्दी प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है । कार्यशालाओं में स्टाफ के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक पूरी लगन के साथ भाग लिया । प्रतिदिन निर्धारित विषय पर भाषण के साथ-साथ व्यावहारिक अभ्यास विशेष रूप से कराये गए । इसी क्रम में प्रशिक्षणार्थियों की प्रतियोगितात्मक-परीक्षाएं ली गई । प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया तथा प्रशस्ति-पत्र दिये गये ।

हरिशंकर सिंह
सहायक निदेशक (राजभाषा)

9. केनरा बैंक जयपुर

दिनांक 19-21 जून तक कैनरा बैंक मण्डल कार्यालय, जयपुर द्वारा तीन दिवसीय लिपिक वर्गीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 17 कर्मचारियों को हिन्दी में काम-काज करने का प्रशिक्षण दिया गया । इस कार्यशाला का उद्घाटन राजस्थान भाषा विभाग के निदेशक डा० कलानाथ शास्त्री द्वारा किया गया । उन्होंने कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि यह हम हिन्दी वालों की कमजोरी है कि हम अन्य भारतीय भाषा सीखना नहीं चाहते । संपर्क भाषा के रूप में हिंदी बहुत समय पहले से इस्तेमाल की जा रही है । अतः हिन्दी में काम करना उचित है क्योंकि सम्पर्क के लिए यही एक मात्र भारतीय भाषा है । इसके अतिरिक्त हमें क्षेत्रीय भाषाएं भी सीखनी चाहिए । अंग्रेजी गुलामी की भाषा है जिसके प्रयोग से हमारी संस्कृति भी छिन्न-भिन्न होने लगी है अतः हिन्दी का प्रयोग करें और हिन्दी का गौरव बढ़ायें ।

मण्डल कार्यालय के मंडल प्रबन्धक श्री एस० वी० कामत ने कमचारियों को प्रेरणा देते हुए कहा कि जयपुर में हमारा मंडल एक उदाहरण प्रस्तुत करें, इसके लिए समस्त कर्मचारियों का योगदान बहुत जरूरी है ।

इस कार्यशाला में विभिन्न बैंको तथा सरकारी कार्यालयों से आमंत्रित वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए । इस अवसर पर एक टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए ।

रमेशचन्द,
राजभाषा अधिकारी

10. बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर

बैंक ऑफ इंडिया के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 26 से 29 मई, 1986 तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया । लिपिकों की जयपुर क्षेत्र की इस चौथी हिन्दी कार्यशाला में क्षेत्र की विविध शाखाओं के 28 लिपिकों ने भाग लिया । कार्यशाला का आयोजन क्षेत्र के राजभाषा कक्ष के प्रभारी अधिकारी एवं राजभाषा अधिकारी श्री एस० पी० गर्ग "सुमन" ने किया ।

मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के भाषा विभाग के निदेशक श्री कलानाथ जी शास्त्री ने कर्मचारियों को हिन्दी के विविध पहलुओं एवं कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के महत्व के बारे में बताते हुए अपने ओजस्वी भाषण में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया । कार्यशाला के उद्घाटन एवं समापन समारोह की अध्यक्षता कार्यवाहक क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री रोशन लाल नागर ने की एवं उन्होंने बताया कि बैंक हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए कृत-संकल्प है कार्मिक विभाग के उपमुख्य अधिकारी श्री दलाल ने भी इन अवसरों पर अपने विचार व्यक्त किये ।

कार्यशाला के दौरान कमचारियों को हिन्दी को सांविधिक स्थिति राजभाषा नियमों, बैंकिंग शब्दावली व पत्र लेखन आदि की व्यापक जानकारी दी गई । कार्यशाला में पर्याप्त व्यावहारिक कार्य भी कराया गया एवं कर्मचारियों ने भी इसे बेहद उपयोगी पाया

अनुदेशकों में श्री गर्ग "सुमन" के साथ-साथ बैंक के उत्तरांचल के राजभाषा कक्ष के प्रभारी अधिकारी श्री अश्विनी कुमार शुक्ल एवं राजभाषा अधिकारी श्री राजन प्रसाद थे ।

—क्षेत्रीय प्रबन्धक

हिन्दी दिवस/सप्ताह

1. राइफल फैक्टरी, ईशापुर

रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के राइफल फैक्टरी ईशापुर में हिन्दी दिवस समारोह 85 का आयोजन एवं प्रथम हिन्दी कार्यशाला का परिचालन गत दिनांक 21-3-86 को किया गया । इस अवसर पर हिन्दी और अहिन्दी भाषा-भाषी कर्मचारियों के लिये पृथक-पृथक रूप से हिन्दी वाद-विवाद एवं हिन्दी निबन्ध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं जिसमें कर्मचारियों ने अधिक संख्या में भाग लिया । इन सभी प्रतियोगिताओं के सफल प्रथम तीन प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया । इसके अतिरिक्त इस सभा में कर्मचारियों ने कवितापाठ भी किया जिससे सभा में उपस्थित व्यक्तियों का स्वस्थ्य मनोरंजन हुआ । इस अवसर पर फैक्टरी के महाप्रबन्धक श्री बो० एन० मजुमदार सहित अनेक कर्मचारी/अधिकारी उपस्थित थे । साथ ही साथ सहयोगी संस्थान मेटल एण्ड स्टील फैक्टरी, ईशापुर के महा-प्रबन्धक श्री के० के० मल्लिक सभा के मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित थे ।

राइफल फैक्टरी ईशापुर (प० बं०) रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में आयोजित हिन्दी दिवस 85 के अवसर पर— डा० (श्रीमती) ताप्ती घोष उप निदेशिका आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड कलकत्ता, "हिन्दी कार्यशाला" का उद्घाटन करते हुये। साथ में श्रम अधिकारी गोपालजी सिन्हा मंच पर आसीन हैं। श्री बी० एन० मजुमदार, महा प्रबन्धक, राइफल फैक्टरी, ईशापुर (बायें) एवं बगल मे बैठे हैं श्री के० के० मल्लिक, महाप्रबन्धक, मेटल एण्ड स्टील फैक्टरी, ईशापुर, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ।

आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के उप निदेशिका डा० (श्रीमती) तपती घोष ने हिन्दी कार्यशाला का विधिवत् उद्घाटन किया ।

इस अवसर पर श्री आर० पी० जौहरी, सयुंक्त महाप्रबंधक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राइफल फैक्टरी, ईशापुर, श्री बी० एन० मजुमदार महाप्रबन्धक, राईफल फैक्टरी ईशापुर, श्री के० के० मल्लिक, महा प्रबन्धक, मेटल एण्ड स्टील फैक्टरी, ईशापुर तथा डा० (श्रीमती) तपती घोष, ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुये राजभाषा हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डाला।

हिन्दी दिवस के आयोजन के सिलसिले में दिनांक 2 अप्रैल, 86 से 23 अप्रैल, 86 तक प्रथम हिन्दी कार्यशाला का परिचालन भी किया गया, जिसके अन्तर्गत फैक्टरी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राजभाषा के प्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला । इस कार्यशाला में फैक्टरी के विभिन्न विभागों से चुने हुए 27 कर्मचारियों ने भाग लिया । कार्यशाला कार्यक्रम बहुत सफल रहा । इसकी सफलता इस बात से स्पष्ट होती है कि सभी प्रतिभागी लगातार 15 दिनों तक कक्षा में उपस्थित रहे और प्रशिक्षण के दौरान पूरी दिलचस्पी और उत्साह दिखाया । कार्यशाला समापन एक संक्षिप्त समारोह के साथ हुआ जिसमें सभी प्रतिभागियों को फैक्टरी के महाप्रबन्धक महोदय के द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए ।

आर० पी० जौहरी
संयुक्त महाप्रबन्धक
एवं
अध्यक्ष
राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
राइफल फैक्टरी, ईशापुर।

2. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की

केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान, रूड़की में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, रूड़की शाखा के सह-सयोजन में 7 जून से 16 जून, 1986 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया ।

उद्घाटन समारोह का शुभारम्भ डॉ० भरत सिंह, कुलपति, रूड़की विश्वविद्यालय ने मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर किया, अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉ० राजेंद्र भण्डारी ने की ।

समापन समारोह की अध्यक्षता डॉ० शंकर प्रसाद शर्मा, निदेशक, संरचना अभियांत्रिकीय अनुसन्धान केन्द्र, रूड़की ने की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉ० महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक, राजभाषा, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) भारत सरकार, पधारे ।

सप्ताहवधि में निम्न पांच भाषणों की एक शृंखला व समापन समारोह में एक प्रश्न-मंच का भी आयोजन किया गया :

1. हिन्दी वर्णमाला की वैज्ञानिकता एवं नागरी लिपि ।	श्री देवेन्द्र शर्मा, वैज्ञानिक, के० भ० अ० सं०, रुड़की
2. प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग	डॉ० ओंकार नाथ चतुर्वेदी, कुलसचिव, रुड़की विश्वविद्यालय, रूड़की ।
3. उ० प्र० की खनिज सम्पदा ।	प्रो० विमलकांत सांवलजी दवे, भू-विज्ञान विभाग, रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की ।
4, कम्प्युटर की कार्य पद्धति एक परिचय	श्री अनील कुमार लवानीयार, कम्प्युटर अभियन्ता, कम्प्यूटर मेंटनेंस कार्पोरेशन लि०,
5. गर्गिदिक णत्]	डॉ० नरेन्द्र पुरी, रीडर, सिविल इन्जीनियरिंग, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की ।

भाषणों व प्रश्न-मंच के दौरान अनेक प्रश्न व सुझाव देकर सभी श्रोताओं ने अपनी हिन्दी प्रयोग के सम्बन्ध में गहन रूचि दिखाई । विचारोपरान्त प्रश्नों व सुझावों के आधार पर हिन्दी को संविधान-प्रदत्त अधिकार के स्तर पर लाने के लिये तथा भारतीय संस्कृति, परम्पराओं व जीवन मूल्यों की रक्षा कर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिये समापन समारोह में निम्न संस्तुतियां की गई :—

1. सरकारी नियुक्तियों व साक्षात्कारों (प्रत्येक पद व प्रत्येक क्षेत्र में) के लिये अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना चाहिए । ताकि केवल अंग्रेजी ही के कारण देश की प्रतिभा हीन भावना से ग्रसित न होने पाये ।
2. सभी प्रकार की उच्च शिक्षाओं का माध्यम हिन्दी व अन्य प्रादेशिक भाषाओं को स्वीकार किया जाए, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद सेवाओं में आने पर हिन्दी अथवा अन्य भाषाओं में कार्य करना कठिन ही नहीं असम्भव सा लगता है ।
3. हिन्दी व अन्य सभी भारतीय भाषाओं के लिये तकनीकी, वैज्ञानिक व अन्य सभी शब्दावलियों के लिये समान रूप से एक ही शब्द को स्वीकार करने की दिशा में विचार किया जाये, क्योंकि सभी भाषाओं की एक शब्दावली होने पर बाद में केवल लिपि मात्र के ज्ञान से किसी भी भारतीय भाषा में कार्य करना सरल होगा । इससे राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी ।
4. अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता न रखकर, केवल विदेशी भाषा के रूप में जिसके लिये आवश्यक हो, पढ़ाया जाना चाहिये ।

5. अंग्रेजी भाषा का बैरियर लगा कर हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं के कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों की प्रतिभा को कुंठित करने की प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए।

6. हिन्दी भाषा को रोजगारोन्मुख बनाया जाए, ताकि देश के विश्वविद्यालय व आई०आई०टी० जैसी संस्थाएं अपने यहां हिन्दी को माध्यम के रूप में निसंकोच स्वीकार कर सकें ।

7. आरम्भ में केन्द्रीय विद्यालयों में हिन्दी माध्यम से पढ़ाई आरम्भ की गई थी, किन्तु अब पुनः उनमें अंग्रेजी को माध्यम बना दिया गया है । देश के सभी केन्द्रीय विद्यालयों में हिन्दी माध्यम होना चाहिये, तभी राष्ट्रीय एकता का सूत्रपात हो सकेगा ।

8. देश के कुलीन विद्यालयों (पब्लिक स्कूलों) ने तो स्थिति और भी हास्यास्पद बना रखी है, क्योंकि उन स्कूलों में हिन्दी व्यवहार मात्र से छात्रों को दण्ड दे दिया जाता है । ऐसे विद्यालयों से अंग्रेजी का प्रचार तो होता ही है, साथ ही हमारे देश के बच्चों की मानसिकता में बदलाव भी आ जाता है और वे शिक्षा समाप्त होते-होते भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आस्थाओं, जीवन मूल्यों व परम्पराओं से परामुख हो जाते हैं । साथ ही ऐसे विद्यालयों से देश में एक प्रकार की सामाजिक असामान्यता पनप रही है, क्योंकि इन विद्यालयों में पढ़ने वालों के मन में यह बात बैठाने का प्रयत्न किया जाता है कि वे अधिक शिक्षित, सुसंस्कृत, कुलीन व आधुनिक हैं। ऐसे विद्यालयों को भी हिन्दी माध्यम के रूप में प्रेरित करने का प्रयास किया जाना चाहिये तथा वहां पर हिन्दी के कार्य व्यवहार की पूरी छूट छात्रों को रहनी चाहिए ।

9. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नवनियुक्त व्यक्ति को आरम्भ से हिन्दी में ही कार्य करने के लिये कहा जाना चाहिये, क्योंकि बाद में कुछ वर्षों तक अपने वरिष्ठ सहयोगियों व अधिकारियों की देखा-देखी अंग्रेजी में कार्य कर वह उसका अभ्यस्त हो जाता है, पुनः हिन्दी में कार्य करने में कठिनाई अनुभव करता है ।

10. कभी-2 एक अधिकारी विशेष के कारण अधीनस्थ सभी कर्मचारी न चाहते हुए भी अंग्रेजी में कार्य करते हैं, ऐसे अधिकारियों को कम से कम हिन्दी को पढ़ने मात्र का ज्ञान अवश्य प्राप्त करने के लिये निर्देश दिये जाने चाहिए, ताकि अन्य कर्मचारियों द्वारा लिखे प्रारूप व टिप्पण को वह पढ़ सके तथा चाहे तो वह अपना कार्य अंग्रेजी में ही करता रहे, पर अन्यों को अंग्रजी में लिखने के लिये वाध्य न करे ।

11. जिस प्रकार अन्य देशों के राजनयिक, वैज्ञानिक व विशेषज्ञ भारत में आकर अपने देश की भाषा का प्रयोग कर अपने विचार प्रकट करते हैं तथा द्विभाषियों द्वारा उसके अनुवाद की सुविधा रहती है, ऐसे ही हमारे देश से विदेश जाने वाले सभी राजनयिकों, वैज्ञानिकों आदि को विदेशों में अपनी भाषा का प्रयोग कर देश के स्वाभिमान व गौरव को बनाये रखने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिए ।

12. आजकल देश में कम्प्यूटर का प्रचलन प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जो अपने में देश की उन्नति का बोधक है । किन्तु इस बात का प्रयास किया जाना चाहिये कि कम्प्यूटर प्रयोग के बढ़ते चरण से अंग्रेजी पीछे के द्वार से सहभाषा से बढ़कर कहीं देश की मुख्य भाषा ही न बन जाए ।

13. पूरे देश में जनसाधारण के ज्ञान में वृद्धि तथा उसकी प्रगति व विकास यदि हो सकता है तो केवल हिन्दी व भारतीय भाषाओं के प्रयोग से ही सम्भव है, क्योंकि अंग्रेजी का सहारा लेकर देश दो वर्गों में बंटकर रह जायेगा । अतः देश की प्रगति, विकास, अनुसन्धान व शोध आदि का समस्त साहित्य मूल रूप से हिन्दी व अन्य सभी भारतीय भाषाओं में लिखे जाने के लिये प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । साथ ही हिन्दी की वैज्ञानिक पत्रिकाओं व सभी प्रयोगशालाओं के अपने-अपने समाचार-पत्रक आदि हिन्दी में प्रकाशित कराने की दिशा में विशेष प्रयास किया जाना चाहिए ।

14. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद से सम्बन्धित सभी प्रयोगशालाओं के हिन्दी अधिकारियों का वर्ष में एक बार परिषद द्वारा सम्मेलन बुलाकर प्रयोगशालाओं में हिन्दी प्रगति का विश्लेषण अवश्य किया जाना चाहिए ।

15. परिषद की सभी नियुक्तियों के लिये साक्षात्कारों व लिखित परीक्षाओं के लिये अंग्रेजी के साथ हिन्दी प्रयोग की भी छूट दी जानी चाहिए ।

16. परिषद के वैज्ञानिकों व अधिकारियों की तकनीकी रिपोर्ट को मूल रूप से हिन्दी में भी प्रस्तुत करने की पूरी छूट होनी चाहिए ।

17. राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) भारत सरकार द्वारा राजभाषा नीति सम्बन्धित प्रसारित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु परिषद सभी प्रयोगशालाओं को अपने-अपने यहां अपने स्तर पर लागू करने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिए ।

—राजेन्द्र भंडारी
निदेशक,
केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की

विविधा —

1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जम्मू द्वारा "हिन्दी समारोह" का आयोजन

राष्ट्रीय बैंक में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए और सभी कर्मचारियों/अधिकारियों में हिन्दी के प्रति प्रेम और जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से जम्मू उप-कार्यालय में दिनांक 14 अप्रैल 1986 को दूसरे वार्षिक "हिन्दी समारोह" का आयोजन किया गया । समारोह की अध्यक्षता बैंक के उप महा प्रबंधक श्री जय प्रकाश दूबे ने की । अन्य लोगो के अलावा समारोह में "जम्मू और कश्मीर कॉपरेटिव यूनियन" के महासचिव श्री जतिन्द्र देव, एम० एल० सी०, "केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो" राजभाषा विभाग के भूतपूर्व निदेशक श्री काशीराम शर्मा, "भारतीय रिज़र्व बैंक," के संयुक्त मुख्याधिकारी श्री पी० के० रस्तोगी, "रेडियो कश्मीर" जम्मू के कार्यक्रम निष्पादक श्री अशोक जैरथ, "जम्मू सेन्ट्रल कापरेटिव बैंक लि०" के महाप्रबंधक श्री एस० एस० घई भी उपस्थित थे । मुख्य अतिथि जम्मू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग की अध्यक्ष श्रीमती जनक शर्मा थीं । अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रबंधक श्री हुकुम चन्द गुप्ता ने नाबार्ड, जम्मू द्वारा हिन्दी में किए जा रहे कार्यों में हुई प्रगति का संक्षिप्त परिचय दिया । उन्होंने कहा कि इस कार्यालय द्वारा न केवल हिन्दी में मूल पत्राचार हेतु निर्धारित 10% के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है बल्कि इस समय कार्यालय द्वारा लगभग 23% मूल पत्राचार हिन्दी में किया जा रहा है । उन्होने आगे कहा कार्यालय के हिन्दी-अधिकारी/हिन्दी अनुवादक की सहायता में स्टाफ में अन्य सदस्यों ने हिन्दी की प्रगति के लिये अभूतपूर्व उत्साह दिखलाया है तथा अपने रोजमर्रा का कामकाज अधिकाधिक हिन्दी में भी करने लगे हैं । इसी के परिणामस्वरूप इस समय काफी बड़ी संख्या में आवेदन पत्र, बिल तथा नोटिंग-ड्राफ्टींग हिन्दी में भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं । कार्यालय द्वारा, प्रधान कार्यालय के लिये भेजा जाने वाला "मासिक-अर्धशासकीय पत्र" हिन्दी में भी भेजा जाने लगा है । प्रबंधक महोदय ने आशा व्यक्त की वर्ष 1987 के मध्य तक इस कार्यालय द्वारा 40% पत्र हिन्दी में भेजे जाने लगेंगे ।

इस समारोह में "जम्मू और कश्मीर" राज्य के विकास में नाबार्ड का योगदान" तथा "आर्थिक विषमता ही सामाजिक तनाव का मूल है" विषयों पर अलग-अलग से "वाक् प्रतियोगिताएं" आयोजित की गई । इसी के साथ, इस समारोह में "वर्तमान शिक्षा प्रणाली रोजगार में सहायक" विषय पर एक वाद-विवाद प्रतियोगिता और एक "काव्य प्रतियोगिता" का भी आयोजन किया गया । प्रतियोगिताओं में आठ स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया । नाबार्ड से संबंधित विषय पर विशेष वाक् प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार क्रमशः सर्वश्री देवेन्द्र दत्ता और आर० एल० रैना ने जीते । वाक प्रतियोगिता और काव्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार श्री मनोज शर्मा ने प्राप्त किया । इसी प्रकार वाद विवाद प्रतियोगिता में विषय के पक्ष में बोलते हुए प्रथम पुरस्कार श्री मनोज शर्मा ने जीता तथा विषय के विपक्ष में बोलते हुए श्री आर० आर० बड़याल ने प्रथम पुरस्कार जीता । मुख्य अतिथि ने विजेताओं को पुरस्कार बांटे ।

हुकुमचन्द्र गुप्ता
प्रबंधक

2. पुणे टेलीफोन्स में हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार पुणे टेलीफोन्स में वर्ष 1985 (1 जनवरी 85 से 31 दिसंबर तक) के लिए टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । इस प्रतियोगिता में कुल 11 कर्मचारियों ने भाग लिया इनमें से निम्नलिखित पांच कर्मचारियों को माननीय रा० द० जोशी महाप्रबंधक, पुणे टेलीफोन्स के करकमलों द्वारा दि० 26-5-86 को निम्नलिखित नकद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया ।

(1) श्रीमती एस० एस० भाटे, कार्यालय सहायक — प्रथम पुरस्कार रु० 400

(2) श्री उज्जवला पुंड, कार्यालय सहायक —द्वितीय पुरस्कार रु० 150

(3) श्रीमती एम० एम० चितले कार्यालय सहायक — प्रोत्साहन पुरस्कार रु० 100

(4) श्रीमती एम० एस० दांडेकर कार्यालय सहायक— प्रोत्साहन पुरस्कार रु० 100

(5) श्रीमती एम० एस० रिसबुड, कार्यालय सहायक— प्रोत्साहन पुरस्कार रु० 100

वृसहाय
वाणिज्य अधिकारी
टेलीफोन्स, पुणे-411002

3. "कुमाउंनी हिन्दी शब्दकोश" का विमोचन

हाल ही में नई दिल्ली के हिमाचल भवन सभागार में 'कुमाउंनी हिन्दी शब्दकोश' का विमोचन किया गया । यह पुस्तक तक्षशिला प्रकाशन, दरिया गंज, नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है और इसके लेखक डा० नारायण दत्त पालीवाल हैं ।

विमोचन समारोह में दिल्ली के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार एवं अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया । शब्दकोश का विमोचन दिल्ली प्रशासन के कार्यकारी पार्षद

(शिक्षा), श्री कुलानन्द भारतीय ने किया। विमोचन करते हुए श्री भारतीय ने कहा कि हमारे देश की आँचलिक भाषाओं का शब्द भण्डार और साहित्य पर्याप्त समृद्ध है तथा हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए और भाषाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए यह आवश्यक है कि आँचलिक भाषाओं में अधिक से अधिक कार्य हो।

"कुमाउंनी हिन्दी" शब्द कोश का विमोचन करते हुए दिल्ली प्रशासन के कार्यकारी पार्षद (शिक्षा) श्री कुलानन्द भारतीय, उनके दायें हैं—डा० विजयेन्द्र स्नातक एवं डा० पालीवाल

इस अवसर पर सुप्रसिद्ध समालोचक एवं साहित्यकार श्री विजयेन्द्र स्नातक ने डा० पालीवाल के इस कार्य को साहित्य की बहुत बड़ी सेवा बताया तथा उन्होंने शब्द के महत्व पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार कुमाउंनी के अनेक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियां हिन्दी के पोषण के लिए उपयोगी होंगी। उन्होंने कहा कि इस शब्दकोश का हिन्दी के क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से भी महत्व है।

यह उल्लेखनीय है कि इस शब्दकोश में 15,000 से भी अधिक कुमाउंनी शब्दों के हिन्दी पर्याय दिये गये हैं और 300 लोकोक्तियां तथा 300 मुहावरे भी संकलित किये गये हैं। पुस्तक कुल 416 पृष्ठों की है। समारोह के लिए प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर ने अपना संदेश भेजा। पुस्तक की भूमिका केन्द्रीय इस्पात व खान मंत्री—श्री कृष्ण चन्द पंत ने लिखी है।

—डा० पुष्पलता भट्ट
1646 गुलाबी बाग,
दिल्ली

4. राष्ट्रीयकृत बैंक हिन्दी अधिकारी संगम द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन

"राजभाषा के रूप में हिन्दी को प्रचारित-प्रसारित करने में जनसंचार के माध्यम (प्रेस, आकाशवाणी, दूरदर्शन) असफल रहे हैं"

गोष्ठी की अध्यक्षता प्रख्यात साहित्यकार श्री हिमांशु जोशी ने की। श्री जोशी ने इस अवसर पर कहा कि "पत्र-पत्रिकाओं ने पाठकों की अभिरूचि को विकृत किया है। आज समाचार-पत्रों को पढ़कर लगता है कि जैसे देश में खून, चोरी डकैती, बलात्कार, जालसाजी के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। पाठकों को चाहिए कि वे नैतिक दबाव डालकर पत्र-पत्रिकाओं का रूख—रचनात्मकता की ओर मोड़े।

गोष्ठी में बोलते हुए सुविख्यात हिन्दी विद्वान और विश्व हिन्दी दर्शन के सम्पादक श्री लल्लन प्रसाद व्यास ने कहा कि जन संचार के माध्यमों ने अंग्रेजी को प्रभावशाली बनाने और बनने देने में जो भी भूमिका निभाई हो, वस्तु-स्थिति

यह है कि हिन्दी ने अपनी ताकत से अपने पक्ष में वातावरण बना लिया है। गोष्ठी में सर्वश्री मुरलीधर मा० जगताप, अनिल विद्यालंकार, डा० देशबन्धु राजेश, श्री महेन्द्र शर्मा आदि वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए।

"राष्ट्रीयकृत बैंक हिन्दी अधिकारी संगम, नई दिल्ली द्वारा आयोजित विचार-गोष्ठी में बोलते हुए डा० मुरलीधर जगताप, बैठे हुए है --सर्वश्री प्रबोधकुमार गोविल, लल्लनप्रसाद व्यास, हिमांशु जोशी, दीनानाथ त्रिपाठी तथा हनुमानप्रसाद तिवारी

इस अवसर पर श्री हिमांशु जोशी ने संगम द्वारा प्रकाशित "संपर्क संगम" के प्रवेशांक, घटना चक्र (सविता चड्ढा का कहानी संग्रह (संकरित मानव) अनिल कुमार मनमौजी का कविता संग्रह) का विमोचन किया। दोनों पुस्तकों पर परिचयात्मक आलेख डा० प्रताप सहगल व श्री मिथिलेश पाठक द्वारा पढ़े गए।

संगम के अध्यक्ष श्री प्रबोध कुमार गोविल ने कहा "अंग्रेजी के प्रति बढ़ते मोह की तुलना बाढ़ के उस पानी से की जा सकती है जिसमें उजड़े हुए घरों की मिट्टी, टूटे दरखतों की शाखें और इन्सानों-जानवरों की लाशें मिली हुई होती हैं। राष्ट्र और राष्ट्रभाषा के बारे में सोचने वाले थोड़े सही, लेकिन उनका सोच शान्त नदी की संयत जल-धारा सा साफ है।

संगम के महा-सचिव श्री हनुमान प्रसाद तिवारी "अनंत" ने संगम का परिचय दिया। कार्यक्रम का संचालन श्री राधेश्याम त्रिपाठी ने किया।

--सुश्री गीता सिंह
(संयुक्त महा सचिव)

5. "सेल" निगमित कार्यालय में हिन्दी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण

"सेल" निगमित कार्यालय के इस्पात भवन, लोधी मार्ग, नई दिल्ली अवस्थित मुख्यालय में हिंदी कार्यान्वयन को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के उद्देश्य से 19 जून, 1986 से 31 दिसम्बर, 86 तक प्रत्येक कार्यदिवस पर पूर्वाह्न में 3 घंटों के लिए हिंदी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण सत्र चलाया जा रहा है। इसमें 10-10 के समूहों में "सेल" में सेवारत 10 आशुलिपिकों और 20 टंककों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। सभी पात्र कर्मचारियों के प्रशिक्षित किए जाने तक यह योजना अनवरत गति से चलती रहेगी।

डा० प्रेमलता नागपाल
अनुवादक,
स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि०

6. राँची में राजभाषा समारोह का आयोजन

सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के कार्यालय (मेकन भवन) में दिनांक 2-6-86 को राजभाषा समारोह – 1986 का आयोजन किया गया।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री पी० के० दासगुप्ता, निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार में हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया । कार्यालय में हिन्दी की प्रगति से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट में श्री लक्ष्मी सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) ने अन्य बातों के अलावा यह कहा कि हिन्दी "लिखना सरल है, समझना आसान है । अगर कोई कठिनाई है तो वह है अपनी राजभाषा के प्रति वांछित लगाव, प्रेम व अपने आपको इससे जोड़कर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने की भावना का अभाव, मानसिकता का विदेशीपन से अचेतन लगाव।" राजभाषा विभाग के प्राध्यापक डा० शालिग्राम ओझा ने हिन्दी के प्रसार के लिए हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं पर प्रकाश डाला । पिछले वित्तीय वर्ष में हिन्दी में उल्लेखनीय कार्य के लिए 28 कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निदेशक ने पारितोषिक प्रदान किया । हिन्दी अपनाने और राष्ट्र गौरव में वृद्धि करने के आवाहन के साथ समारोह समाप्त हुआ ।

लक्ष्मी सिंह
लेखापरीक्षा अधिकारी (प्र०)

7. "संसदीय संकल्प" को पूरा करने का संकल्प लें !

भारतीय संविधान की मंशा के अनुसार 26 जनवरी, 1965 से हिन्दी प्रमुख राजभाषा हो गई है । अंग्रेजी का प्रचलन केवल सह भाषा के रूप में जारी रखने की अनुमति दे दी गई है । इस मंशा को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि भारत सरकार की सभी प्रकार की तकनीकी अथवा गैर तकनीकी सीधी भर्ती परीक्षाओं और विभागीय परीक्षाओं के सभी प्रश्न-पत्रों में हिन्दी के प्रयोग की सुविधा दी जाए । यदि अंग्रेजी के प्रयोग की सुविधा दी जाए तो वह केवल वैकल्पिक रूप से हो । भाषा के रूप में भी हिन्दी भाषा का एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र रहे । यदि अंग्रेजी भाषा का प्रश्न-पत्र रखना हो तो वह वैकल्पिक रूप से रहे । इसी भावना को लेकर संसद के दोनों सदनों द्वारा 1967 में सर्वसम्मति से एक संकल्प स्वीकार किया गया था जिसे 18 जनवरी 1968 को गृह मंत्रालय ने राजपत्र में प्रकाशित किया था । यह संकल्प स्वयं में एक प्रकार से उस समझौते के आधार पर था जिसके अनुसार 1967 में दोनों भाषाओं को केन्द्रीय सरकार में चलाए जाते रहने का निश्चय किया गया था । इस संकल्प के पैरा–4 के अनुसार संघ सेवाओं या पदों के लिए भर्ती करने हेतु आवेदकों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अपेक्षित है । इस संकल्प के अनुसार यह भी आवश्यक है कि भारत सरकार की अखिल भारतीय उच्च सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए । किन्तु इस संकल्प के पारित हो जाने के लगभग दो दशक के बाद भी भारत सरकार की अनेक ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें न केवल अंग्रेजी भाषा के रूप में अनिवार्य है अपितु अन्य विषयों के प्रश्न-पत्रों के उत्तर भी केवल अंग्रेजी में दिए जाने की अनिवार्यता है । देश का एक नागरिक हिन्दी अथवा अपनी मातृभाषा भी न जाने और केवल अंग्रेजी जान ले तो अंग्रेजी के सहारे भारत सरकार की लिपिक श्रेणी से लेकर उच्च स्तर तक की परीक्षाओं में भाग ले सकता है । विडम्बना यह भी है कि यदि वह केवल अंग्रेजी न जाने और विश्व भर की सभी भाषाओं का विद्वान हो जाए तो भी वह भारत सरकार में दया के आधार पर भी लिपिक नहीं बन सकता । हमारे सामने ऐसे उदाहरण है कि भारत सरकार के कई कर्मचारी सेवा में रहते हुए दुर्घटना के कारण मर गए । उनकी धर्मपत्नियों अथवा बच्चों को मैट्रिक होने पर भी दया के आधार पर केवल इसी लिए क्लर्क का पद नहीं मिला क्योंकि आश्रितों ने मैट्रिक परीक्षा बिना अंग्रेजी के उत्तीर्ण की हुई थी ।

आई०ए०एस० आदि उच्च कोटि की लगभग 30 परीक्षाओं में हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के वैकल्पिक प्रयोग की सुविधा दे कर संघ लोक सेवा आयोग ने जो एक अच्छी शुरूवात की थी वह न जाने क्यों बीच में ही रोक दी गई है । भारतीय इंजीनियरी सेवा, भारतीय अर्थ सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनेक सेवाएं, भारतीय वन सेवा आदि अनेक सेवाएं ऐसी हैं जिनके किसी भी प्रश्न पत्र में अभी तक हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की सुविधा नहीं दी गई है । लिपिक श्रेणी की परीक्षा तक में अंग्रेजी भाषा की एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र रहता है किन्तु प्रमुख राजभाषा हिन्दी का कोई भी प्रश्न-पत्र न तो अनिवार्य रूप में है और न ही वैकल्पिक रूप में । अनेक सदस्यों, बुद्धि जीवियों, हिन्दी सलाहकार समतियों की बैठकों की सिफारिशों के बावजूद भी गाड़ी वहीं अटकी हुई है । इस स्थिति का एक भयंकर परिणाम यह हो रहा है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी अब अंग्रेजी माध्यम के तथाकथित पब्लिक स्कूलों की मांग बढ़ती जा रही है और जिन घरानों ने पीढ़ियों तक हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं की सेवा की है उनमें भी अब अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाने की होड़ सी लग गई है । कारण स्पष्ट है । आज की पढ़ाई "ब्रह्म विद्या" नहीं है जिससे मुक्ति प्राप्त की जा सके । व्यावहारिक दृष्टि से आज की पढ़ाई रोजी-रोटी के साथ जुड़ी हुई है ।

अतः जिस संविधान की रक्षा की शपथ लेकर हमारे विधायक, हमारे राज अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं उसका यह तकाजा है और राष्ट्रीयता की भी यह मांग है कि, संसद द्वारा पारित संकल्प का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, संघ लोक सेवा आयोग को यह विटो पावर नहीं दी जा सकती कि वह हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग संबंधी

मंत्रालयों के प्रस्तावों को ठुकरा दे । आयोग का कार्य भी भारतीय संविधान की रक्षा करना है क्योंकि उसकी अपनी शक्ति और गरिमा भी इस संविधान के कारण ही है। 15 अगस्त, 1987 को हम भारत की स्वतंत्रता की 40 वीं वर्ष गांठ मना रहे होंगे । उससे पूर्व ही सभी संबंधितों को सच्चे हृदय से यह संकल्प लेना होगा कि "संसदीय संकल्प" को निष्ठापूर्वक पूरा करें । संसद के लिए भी अपनी गरिमा की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि वह उसको पूरा कराकर ही दम ले ।

जगन्नाथ

संयोजक राजभाषा कार्य के० स० हि० प० सरोजिनी नगर नई दिल्ली.

8. गैर हिन्दीभाषी रेल कर्मचारियों का दल वाराणसी में

"हिन्दी जितनी उत्तर भारत की भाषा है उतनी ही दक्षिण भारत की भी। जैसे यह दक्षिण भारत की मातृभाषा नहीं है, वैसे ही उत्तर भारत की भी नहीं है । उत्तर में मातृभाषाएं अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, राजस्थानी आदि बोलियां हैं, किन्तु चूंकि हिन्दी पूरे देश में सर्वाधिक बोली और समझी जाती है, इसीलिए यह भारतीय संघ की भाषा संविधान में घोषित की गयी है ।" पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के रेल प्रबंधक श्री राम अवध पाण्डेय ने दक्षिण भारत से दि० 11-7-86 और 12-7-86 को आये रेल कर्मचारियों के अध्ययन दल को सम्बोधित करते हुए ये बातें कही की, उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल में हो रही हिन्दी-प्रगति का अध्ययन करने हेतु गैर हिन्दी भाषी रेल कर्मचारियों का यह दल यहां दो दिनों के लिये आया हुआ है । श्री पाण्डेय ने कहा कि स्वातंत्र्य पूर्व का राजनीतिक दृष्टि से श्रीहीन काल, सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा और इसमें हिन्दी की अहम भूमिका रही । दक्षिण भारतीय संतों और आचार्यों ने तत्कालीन भारत में देश के सम्पर्क भाषा की सफल भूमिका निभाती हिन्दी को ही अपना माध्यम बनाया । श्री पाण्डेय ने बताया कि अद्वैत के नाम पर आठवीं शताब्दी में दक्षिण से जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह हिन्दी साहित्य का प्राण हो गया।

श्री पाण्डेय ने विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में विकसित करने की मांग दक्षिण भारत एवं अहिन्दीभाषी प्रदेशों से आयी । राजा राम मोहन राय, केशवचन्द्र सेन, बंकिमचन्द्र, टैगोर, तिलक, रानाडे, महात्मा गांधी एवं तमिलनाडु के गोपालस्वामी अयंगर की हिन्दी को राजभाषा बनवाने में अहम भूमिका रही। अध्ययन दल के एक सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री पाण्डेय ने कहा कि भारतीय भाषाओं के लिये विभिन्न लिपियों का होना भी इनके सीखने में एक प्रमुख बाधा है । इसके लिये समान रूप से देवनागरी लिपि को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिन्दी को राजभाषा का दर्जा संविधान की धाराओं से प्राप्त है । जैसे संविधान किसी पर थोपा नहीं गया है उसी प्रकार उसकी किसी धारा को थोपने की बात नहीं कही जा सकती ।

स्वागत सम्बोधन के बाद वाराणसी मंडल के हिन्दी अधिकारी श्री जगदीश नारायण श्रीवास्तव ने गैर हिन्दीभाषी रेल कर्मचारियों के आगन्तुक दल को अपने कार्यालय में हो रहे हिन्दी कार्यों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया तथा तकनीकी कार्यों और पत्र-व्यवहार के नमूने दिखलाये ताकि वे अपने कार्यालयों में लौटकर उन कार्यों को राजभाषा हिन्दी में कर सकें । विशेष तौर पर श्री श्रीवास्तव ने मंडल कार्यालय से जारी होने वाले स्टेशन संचालन नियमावलियां, कंट्रोल चार्ट, बिल्टियां, इंजीनियरी तथा सिगनल विभाग के नक्शे, पत्रावलियां, आरोप-पत्र, इंजन विफलता रिपोर्ट, निविदा करार, तार, टिप्पणियां, मसौदे आदि जो शत-प्रतिशत हिन्दी में जारी किये जा रहे हैं, को गैर हिन्दीभाषी कर्मचारियों के समक्ष प्रदर्शित किया । इस व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान गैर हिन्दी भाषी कर्मचारियों के तत्संबंधित जिज्ञासाओं का भी उन्होंने उत्तर दिया । पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल की हिन्दी-प्रगति को देखकर इन कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि वे भी अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में इस मंडल की भांति ही सरकारी कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करेंगे ।

जगदीश नारायण श्रीवास्तव

हिंदी अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी

9. अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन : तीन संगोष्ठियाँ

बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा सी० एम० पी० डी० आई० हॉल, रांची में 5 एवं 6 जून, 86 को आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के प्रथम सत्र का विधिवत उद्घाटन करते हुए हिन्दी के प्रख्यात साहित्यकार एवं चिंतक श्री जैनेन्द्र कुमार ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि आज भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहने में अड़चन महसूस होती है। वह राजभाषा तो है ही। आज भी राष्ट्र एवं राज्य में एकात्मता स्थापित नहीं हो पायी है । राष्ट्रभाषा के अभाव में कोई देश एक नहीं हो सकता । हम प्रीति एवं सेवा के बल पर और राष्ट्रशक्ति को जगाकर ही हिन्दी का विस्तार कर सकेंगे ।

राजभाषा निदेशक डॉ० भगवती शरण मिश्र ने स्वागत भाषण दिया और राजभाषा आयुक्त श्री अरुण प्रसाद ने सभा को संबोधित किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० चेतकर झा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में हिन्दी के समर्थकों को धीरज न खोने तथा देश के कोने-कोने

में हिन्दी के प्रति रुचि जगाने की सलाह दी। विशिष्ट अतिथि के रुप में बोलते हुए रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० सच्चिदानंद ने विश्वविद्यालयों में हिन्दी की प्रगति से असंतोष व्यक्त किया। हालांकि हिन्दी की गति अभी तीव्र नहीं है लेकिन समय आ गया है कि हिन्दी को हम हर स्तर पर आगे बढ़ाएं और अपनी जिन्दगी से अंग्रेजी को धीरे-धीरे "फेज आउट" करें। इस अवसर पर भाषा विभाग, गुजरात के निदेशक श्री नारायण व्यास ने संदेश में अपने विचार प्रकट किए।

दाएं से बाएं— डा० भगवतीशरण मिश्र, आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा, डा० चेतकर झा (कुलपति, मिथिला विश्वविद्यालय) श्री० अरुणप्रसाद (सचिव राजभाषा)

5 जून को अपराह्न तीन बजे द्वितीय सत्र में प्रथम संगोष्ठी रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० सच्चिदानंद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। निर्धारित विषय "राजभाषा हिन्दी के प्रभावी प्रयोग एवं प्रचार प्रसार में हिन्दी स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका" का प्रवर्तन करते हुए हिन्दी विद्यापीठ, देवघर के कुलसचिव डॉ० शिवनन्दन प्रसाद ने कहा कि हिन्दी ही वह भाषा है जो अखिल भारतीय संपर्क की भाषा कही जा सकती है। विचार विमर्श में सर्वश्री नारायण व्यास, भाषा निदेशक, गुजरात, डॉ० आत्माराम शर्मा, भाषाधिकारी, राजस्थान, अरुण प्रसाद (आयुक्त, राजभाषा, बिहार), गौरव प्रसाद सिन्हा, योजनाधिकारी, रांची, विजय कुमार द्विवेदी (रांची) आदि ने भाग लिया।

6 जून को प्रथम सत्र की द्वितीय संगोष्ठी का विषय था "विश्वविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन एवं कार्य-संपादन में हिंदी का प्रभावी प्रयोग।" अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड, बिहार के अध्यक्ष आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित उक्त संगोष्ठी में विषय-प्रवर्तन करते हुए डॉ० चेतकर झा ने शुद्धता पर बल देते हुए कहा कि भाषा पर जोर न देने वाली जो प्रवृत्ति हो गई है, उससे अंग्रेजी के साथ हिंदी भी प्रभावित हो गई है। विचार-विमर्श में भाग लिया डॉ० नागेश्वर लाल (हिंदी विभागाध्यक्ष, हजारीबाग), डॉ० बैकुंठ नाथ ठाकुर, निदेशक, (बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, आत्माराम शर्मा राजस्थान) नारायण व्यास (गुजरात) आदि ने। द्वितीय सत्र की तीसरी संगोष्ठी का विषय था "सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रभावी प्रयोग-समस्याएं और समाधान" आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित तीसरी संगोष्ठी में विषय प्रवर्तक थे अरुण प्रसाद, आयुक्त, राजभाषा, बिहार। मुख्य वक्ता थे श्री यू० डी० चौबे, निदेशक, वयस्क शिक्षा, बिहार और श्री द्वारिका नाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव, शाखा सचिवालय रांची। विचार-विमर्श में सर्वश्री आत्माराम शर्मा, नारायण व्यास, गौरख प्रसाद सिन्हा, गुप्तेश्वर झा डॉ० वैकुंठ नाथ ठाकुर, श्रीमती मुजश्री (अकाशवाणी, रांची) आदि ने भाग लिया। आचार्य शर्मा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में चेतना के परिवर्तन पर जोर देते हुए कहा कि लगता है देश माध्यमविहीन हो गया है। जब तक हममें स्वाधीन चेतना का विकास नहीं होगा तब तक हिन्दी पनप नही सकती। समस्याओं का समाधान न नरमी से न गरमी से होगा।

खुला अधिवेशन 6 जून को 2 बजे अपराह्न से अप० 5 बजे तक चला। अध्यक्ष थे गुजरात के भाषा निदेशक श्री नारायण व्यास। अधिवेशन में उन प्रस्तावों पर खुला बिचार- विमर्श हुआ

जो तीन संगोष्ठियां में पेश किए गए थे। सर्वश्री डॉ० नागेश्वर लाल (हजारीबाग) डॉ० आत्माराम शर्मा (राजस्थान) डॉ० वैकुंठ नाथ ठाकुर (पटना), जगदीश तिवारी, उमेश चंद्र वर्मा, साइमन टोपनो, प्रियदर्शन आदि ने हिन्दी के विकास के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। सभी की आम राय थी कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी को तहेदिल से बढ़ावा दें, सातो हिंदी भाषी राज्य मिलजुलकर हिंदी में शत-प्रतिशत कार्य करने का व्रत लें। और तदनुकूल मानसिकता एवं प्रतिबद्धता का माहोल तैयार करें। रांची विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापक श्री हरिशंकर त्रिपाठी ने कृतज्ञता ज्ञापित की। संध्या 5 बजे समापन समारोह में सुश्री मंजु तिवारी के स्वागतगान और राजभाषा निदेशक डॉ० भगवती शरण मिश्र के स्वागत भाषण के बाद बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री पी० वैंकटसुब्बैया ने स्वयं-सेवी एजेन्सियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रुप में स्वीकार करने हेतु जी-जान से काम में जुट जाएं। उक्त अवसर पर बिहार के मुख्य सचिव श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव राजभाषा आयुक्त, श्री अरुण प्रसाद ने भी हिंदी के समुचित विकास के लिए अपने व्यावहारिक सुझाव दिए। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ऐसे आयोजनों की सार्थकता एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जनता की भाषा का आगे आना जरुरी है ताकि देश में अंग्रेजी का व्यामोह कम होता जाए। हम भारतीय भाषाओं को आग लाने का प्रयास करें। अंग्रेजी में रोटी बैठी हुई है, यह भ्रम टूटना ही चाहिए। आज हिंदी में ललित साहित्य की अपेक्षा उपयोगी साहित्य की नितांत आवश्यकता है। तब हिंदी हरेक क्षेत्र में अपने आप स्वीकृत हो जाएगी।

प्रस्तुति **सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर**
राजभाषा पदाधिकारी,
वंदना कुटीर, दुजरा, पटना-800001

10. युनियन बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से सं० सचिव (राजभाषा) की चर्चा

अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में श्री देवेंद्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, बम्बई के दौरे पर आये थे। इस दौरान वे 24 अप्रैल, 1986 को यूनियन बैंक में हिंदी की प्रगति के संबंध में वरिष्ठ प्रबंधकों के साथ चर्चा करने केन्द्रीय कार्यालय भी पधारे। इस उपलक्ष्य में बैंक में हिन्दी के संबंध में हुई उत्तरोत्तर प्रगति की जानकारी देने तथा उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विशेष बैठक का आयोजन किया गया तथा एक प्रदर्शनी भी लगाई गयी।

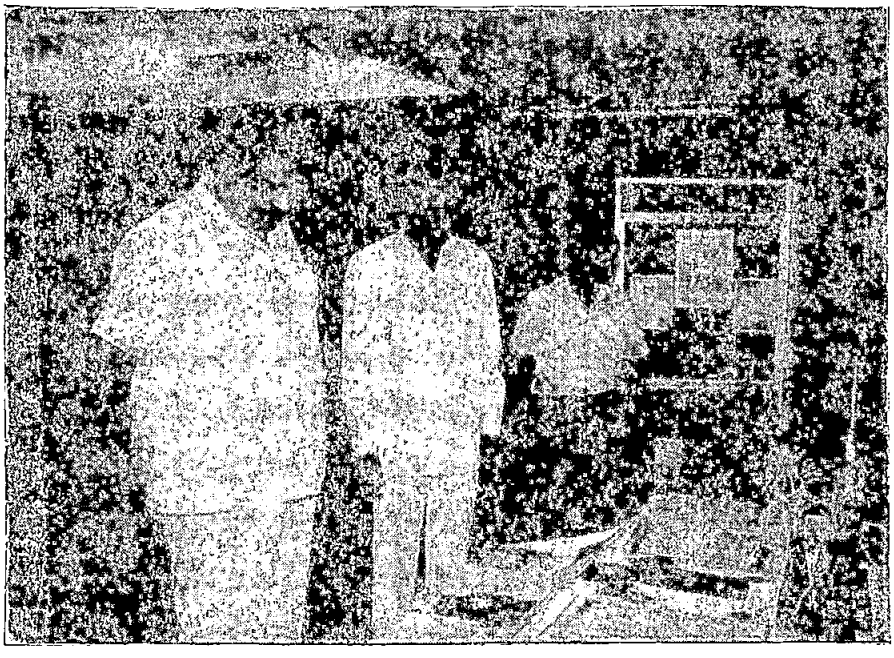

यूनियन बैंक, बंबई में आयोजित हिंदी पुस्तकों की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, संयुक्त सचिव, राजभाषा, श्री देवेन्द्रचरण मिश्र, साथ में हैं श्री ज० स्व० भटनागर एवं श्री हरी ओम श्रीवास्तव

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में बैंकींग की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री जगजीवन सिंह पवार, प्रबंधक, राजभाषा विभाग ने निम्नलिखित विशेष उपलब्धियों की ओर श्री मिश्र जी का ध्यान आकर्षित किया :

वर्ष 1985 में बैंक में मूल हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत निम्नानुसार रहा : —

क्षेत्र "क"	. .	77.40
क्षेत्र "ख"	. .	44.67
क्षेत्र "ग"	. .	14.04

— वर्ष 1985 के दौरान, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत निर्धारित सभी कागजात "क" तथा "ख" क्षेत्र में द्विभाषिक रूप में ही जारी हुए। "ग" क्षेत्र में इस उपबंध का 90 प्रतिशत अनुपालन हुआ।

— बैंक के सभी मैन्युअल प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य पूरा कर लिया गया है तथा उनकी द्विभाषिक रूप में छपाई का कार्य चल रहा हैं।

— क्षेत्र "क" में स्थित बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

— मार्च, 1986 तक बैंक कुल 387 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन कर चुका है।

— बैंक ने लगातार तीसरे वर्ष भी रिजर्व बैंक से राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप पुरस्कार प्राप्त किए। वर्ष 1984 के लिए बैंक को क्षेत्र "ख" में प्रथम (लगातार तीसरी बार प्रथम पुरस्कार) क्षेत्र "ग" में द्वितीय तथा क्षेत्र "क" में चतुर्थ (वर्ष 1983 के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था) पुरस्कार प्राप्त हुआ।

बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए श्री मिश्र ने हिन्दी के क्षेत्र में बैंक द्वारा की गई प्रगति की सराहना की तथा बैंक में हिन्दी के प्रयोग को गति प्रदान करने में उपयोगी कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

बैठक की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ज० स्व० भटनागर ने की। बैंक के कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक और सभी उप महाप्रबंधक बैठक में उपस्थित थे। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय के उप निदेशक श्री हरि ओम श्रीवास्तव भी बैठक में उपस्थित हुए।

जगजीवनसिंह पवार
प्रबंधक (राजभाषा)

"हिन्दी के द्वारा ही सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।"

स्वामी दयानन्द

आदेश—अनुदेश

सं० TT/120/13/2/85 राजभाषा (क-2)

भारत सरकार

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली 3, तारीख 20 जुलाई, 86

कार्यालय ज्ञापन

विषय : इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय हिन्दी समिति ने 18 सितम्बर, 1985 को आयोजित अपनी 19 वीं बैठक में यह सिफारिश की थी कि देश में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार योजना आरम्भ की जाए और उसका नाम स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखा जाए।

2. केन्द्रीय हिन्दी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और व्यक्तियों को, सरकार की राजभाषा नीति को बढ़ावा देने के कार्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की गई है।

3. इस पुरस्कार का नाम इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार होगा। यह वित्त वर्ष 1986-87 से लागू होगी और इसके निम्नलिखित चार मुख्य भाग होंगे :—

(i) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड,

(ii) बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिये इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड,

(iii) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड,

(iv) व्यक्तियों द्वारा हिन्दी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिये इन्दिरा गांधी पुरस्कार।

4. विभिन्न पुरस्कारों के ब्यौरे और इनके संबंध में अपनाई जाने वाली मूल्यांकन विधि नीचे दी जा रही है :—

(i) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड

प्रत्येक वर्ष तीन शील्डें योग्यताक्रम से भारत सरकार के उन मंत्रालयों/विभागों को प्रदान की जाएंगी जो केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सर्वोत्कृष्ट घोषित किए जाएंगे। मंत्रालयों और विभागों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन सामान्यतः 28 अप्रैल, 1986 के कार्यालय ज्ञापन सं० 120/13/1/86-राजभाषा (ख-1) द्वारा पहले परिचालित किये गये मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। उसकी एक प्रति तुरंत संदर्भ के लिये संलग्न है।

(ii) बैंकों और केन्द्रीय सरकार की वित्तीय संस्थाओं के लिये इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड

तीन शील्डें उन वित्तीय संस्थाओं व बैंकों के लिए आरंभ करने का प्रस्ताव है, जिन्होंने अपने संगठनों में राजभाषा नीति को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। तीन सर्वोत्कृष्ट संस्थाओं का निर्धारण करने में राजभाषा विभाग को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा, जो सामान्यतः वित्तीय संस्थाओं के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। वित्तीय संस्थाओं के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन की प्रक्रिया वही होगी जो 28 अप्रैल 1986 के कार्यालय ज्ञापन में दी गई हैं और यह ऐसे संशोधनों के साथ अपनाई जाएगी जो इन संस्थाओं के कार्य के स्वरूप के संदर्भ में आवश्यक हों।

(iii) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वियन के प्रयोजन से वर्गीत "क", "ख", "ग" क्षेत्रों में में किए गए हैं इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के लिए तीन-तीन पुरस्कार आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इस नौ संगठनों का निर्धारण करने में, राजभाषा विभाग को उद्योग मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग से सहयोग प्राप्त होगा। मूल्यांकन के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड सामान्यतः वही होंगे, जो 28 अप्रैल, 1986 के कार्यालय ज्ञापन में बताए गए हैं किंतु वे ऐसे परिवर्तनों और संशोधनों के साथ लागू किए जाएंगे जो विभिन्न उपक्रमों के कार्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझे जाएं।

(iv) हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए इन्दिरा गांधी पुरस्कार

कर्मचारियों का जिन विषयों से सरकारी तौर पर संबंध हो उन पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ऐसी पुस्तकों के लिए तीन पुरस्कार प्रारंभ करने का प्रस्ताव है जो सर्वोत्कृष्ट घोषित की गई हों और जिनसे विभिन्न सरकारी

विभागों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने में सहायता मिलती हो। पुरस्कारों की राशि निम्न प्रकार से है :—

	रु०
प्रथम पुरस्कार . . .	10,000
द्वितीय पुरस्कार . . .	8,000
तृतीय पुरस्कार . . .	5,000

किसी विशेष वर्ष में पुरस्कार प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करने के लिए प्रस्तुत की जानेवाली पुस्तकें उससे पिछले वित्त वर्ष में लिखी हुई अथवा प्रकाशित हुई होनी चाहिए और कर्मचारी जिस मंत्रालय/विभाग से संबंधित हो उस मंत्रालय/विभाग द्वारा इनकी विधिवत् सिफारिश की जानी चाहिये।

5. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की अधिक से अधिक दो ही पुस्तकों पर विचार किया जाएगा। विचार करने के लिए प्राप्त हुई पुस्तकों का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(क) संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग . संयोजक
(ख) दो गैर-सरकारी व्यक्ति, जो राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नामित किए जाएंगे . . . सदस्य
(ग) उप-सचिव (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग . . . सदस्य-सचिव

समिति की सिफारिशें गृह मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राजभाषा विभाग को प्रस्तुत की जाएंगी।

6. भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग उस पुरस्कार योजना को चलाते रखेंगे जो उनके द्वारा अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए, इस विभाग के तारीख 6 फरवरी, 1979 कार्यालय ज्ञापन सं० TT/12013/2/76-राजभाषा (क-2) के परिपालन में, प्रारंभ की गई थी। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग अपने कार्य से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए दिए जाने वाले उन पुरस्कारों को भी चालू रखेंगे जो इस विभाग के तारीख 28 मई, 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या TT/20034/6/79-राजभाषा (क-2) के परिपालन में आरम्भ किए गये थे। तथापि, वे पुरस्कार प्राप्त करने वाली अपनी पुस्तकों के बारे में, हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के संबंध में ऊपर पैरा 4(iv) में उल्लिखित इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार के लिए सिफारिश कर सकते हैं।

7. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि वे इन पुरस्कारों के बारे में व्यापक रूप से प्रचार करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें। इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में इस विभाग को भी अवगत कराया जाए।

8. कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की पावती भेजें।

देवेन्द्र चरण मिश्र
संयुक्त सचिव भारत सरकार

सं० 12013/1/86-रा० भा० (ख-1)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28-4-86

विषय : विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए शील्ड देने की व्यवस्था। (वर्ष 1985-86)

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान इस विभाग के 6-2-79 के का० ज्ञा० सं० TT/12013/2/76-रा०भा० (क-2) के पैरा-II की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह कहा गया था कि राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से निर्धारित मानदंडों के आधार पर जानकारी प्राप्त करेगा और जिस मंत्रालय/विभाग को वर्ष के दौरान हिन्दी में किए गए काम के आधार पर सर्वाधिक अंक मिलेंगे, उसे प्रथम पुरस्कार के रूप में भारत सरकार राजभाषा शील्ड दी जाएगी। उक्त शील्ड के अतिरिक्त हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय, तृतीय पुरस्कार तथा अन्य प्रोत्साहन पुरस्कार देने की व्यवस्था भी की गई है।

2. राजभाषा शील्ड पुरस्कारों का निर्णय लेने के लिए पिछले मानदंडों में कुछ संशोधन किया गया है। अब निर्धारित मानदंड इस प्रकार है :—

(1) हिन्दी पत्रों के उत्तर . .	10 अंक
(2) मूल पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग (अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी मूल पत्राचार में शामिल होंगे) .	25 अंक
(3) राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा-संशोधित 1967) की धारा 3(3) के अंतर्गत द्विभाषिक कागजात .	10 अंक
(4) राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत कार्यालयों का अधिसूचित किया जाना	10 अंक
(5) अधिसूचित कार्यालयों में कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए नियम 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट करना	20 अंक
(6) प्रशिक्षित (कर्मचारी) एवं आशुलिपिक	5 अंक
(7) कार्यशालाओं का संचालन .	10 अंक
(8) मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न कार्यालयों/अनुभागों का निरीक्षण (संख्या के आधार पर) . .	10 अंक
कुल अंक . .	100

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस योजना के अंतर्गत प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए वर्ष 1985-86 के आंकड़े संलग्न प्रपत्र में 30-5-86 तक अवश्य भेज दे जिससे वर्ष 1985-86 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था की जा सके। विवरण भेजते समय यह भी सुनिश्चित कर लें कि हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के भेजे गये नामों में हिन्दी अधिकारी/अनुवादक के नाम नहीं होने चाहिएं और केवल दो ही व्यक्तियों के नाम भेजे जाने चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह योजना मंत्रालयों/विभागों के लिए है। कृपया संबंधित/अधीनस्थ कार्यालय अपनी सूचना राजभाषा विभाग को न भेजें।

राजभाषा शील्ड योजना वर्ष 1985-86 में भाग लेने के लिए हिंदी में किए गए कार्य का विवरण/अवधि 1-4-85 से 31-3-86 तक

मंत्रालय/विभाग का नाम

1. हिन्दी पत्रों का उत्तर

हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	कितनों का उत्तर हिंदी में दिया गया	कितनों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया	कितनों का उत्तर देना आवश्यक नहीं था

2. मूल पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग

(अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी मूल पत्राचार में शामिल होंगे।

कुल भेजे गए पत्रों की संख्या		हिंदी में भेजे गए पत्रों की संख्या		अंग्रेजी में भेजे गए पत्रों की संख्या	
1-4-84 से 31-3-85 तक	1-4-85 से 31-3-86 तक	1-4-84 से 31-3-85 त	1-4-85 से 31-3-86 तक	1-4-84 से 31-3-85 तक	1-4-85 से 31-3-85 तक

3. कार्यशालाओं का संचालन

वर्ष में कुल कितनी कार्यशालाएं चलाई गयीं	कार्यशाला का समय (कुल घंटे)	कितनों ने कार्यशाला में भाग लिया

4. राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत कार्यालयों का अधिसूचित किया जाना

कुल संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों की संख्या	अभी तक कितनों को अधिसूचित किया गया	वर्ष में कितने कार्यलयों को अधिसूचित किया गया

5. अधिसूचित कार्यालयों में कर्मचारियों को हिन्दी से काम करने के लिए नियम 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट करना

अधिसूचित कार्यालयों की संख्या	कितने कार्यालयों को नियम 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है।

6. प्रशिक्षण :

(क) कुल कर्मचारियों की संख्या———————

(ख) प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या — हिंदी की टाइपिस्ट के लिए — आशुलिपिक

(ग) वर्ष में कितनों को प्रशिक्षित किया गया ———————

7. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी द्विभाषी कागज

कुल जारी किए गए कागज	द्विभाषी रूप में जारी	केवल अंग्रेजी में जारी	केवल हिंदी में जारी

8. मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न कार्यालयों/अनुभागों का निरीक्षण

कुल कार्यालयों/अनुभागों की संख्या	वर्ष के दौरान कितने कार्यालयों का हिंदी की प्रगति के बारे में निरीक्षण किया गया

9. वर्ष के दौरान हिन्दी में सर्वाधिक काम करने वाले दो अधिकारियों के नाम तथा पदनाम (हिंदी अधिकारियों/अनुवादकों को छोड़कर)।

10. अप्रैल 85 से मार्च 86 तक की अवधि में कार्यरत संबंधित संयुक्त सचिव का नाम तथा वर्तमान पता :

राजभाषा अधिकारी के
हस्ताक्षर

पदनाम

फोननं० :

सं० 11016/5/86-रा०भा० (घ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 1986

परिपत्र

विषय : हिंदी/हिंदी टाईपिंग/हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारियों को नामित करने की आवश्यकता।

राष्ट्रपति जी के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश के अनुसार ग्रेड-3 और उससे ऊपर के केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान हिंदी पढ़ना अनिवार्य किया गया है। राजभाषा विभाग के दिनांक 7-9-74 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12047/49/73-हिंदी-1 से स्वायत्त संगठनों, सांविधिक निकायों एवं सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया था। ऐसे कर्मचारियों, के लिए जिनसे टाईपिंग के कार्य की अपेक्षा की जाती है हिन्दी टाईपिंग सीखना भी अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार अशुलिपिकों वैयक्तिक सहायकों आदि के लिए भी हिंदी आशुलिपि का ज्ञान अनिवार्य किया गया है। यह ध्यान में आया है कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों और बैंकों आदि के विभिन्न नगरों में स्थित कार्यालयों से संबंधित कर्मचारियों को हिंदी/हिंदी टाईपिंग/हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलाने में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है जिसके कारण इस शिक्षण में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई है। सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में भरपूर ध्यान देंगे और इस दिशा में जो कमियां हैं उन्हें दूर कराएंगे। हिंदी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय, राजभाषा के जहां केन्द्र हैं वहां पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाए और जहां केन्द्र नहीं हैं वहां निजी प्रयत्नों से प्रशिक्षण की व्यवस्था में तेजी लाई जाए।

(देवेन्द्र शरण मिश्र)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

संख्या 14013/1/85-रा०भा० (घ)

भारत सरकार

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय

प्रथम तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली-110003, दिनांक 27-3-86

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण देने की अनिवार्य शर्त से छूट का स्पष्टीकरण।

राष्ट्रपति जी के 27 अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार तृतीय श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों तथा कार्यप्रभारित कर्मचारियों को छोड़कर, केन्दीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। ऐसे कर्मचारी जिनकी मातृभाषा हिन्दी हो या जिन्होंने मैट्रिक के स्तर तक हिन्दी का अध्ययन किसी भी रुप में किया हो, उनको उपर्युक्त प्रशिक्षण से छूट दी गयी थी। आगे चलकर यह छूट केवल उन कर्मचारियों तक रखी गई जिन्होंने मैट्रिक हिन्दी नियमित विषय लेकर पास की थी। ऐसा देखने में आया है कि किन्हीं-किन्हीं राज्यों में मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा में हिन्दी का स्तर इतना कम है कि यद्यपि लोग मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा हिन्दी नियमित विषय लेकर पास कर लेते हैं फिर भी उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं रहता।

2. इस संबंध में मंत्रालयों/विभागों का ध्यान इस विभाग के दिनांक 20 मार्च, 1972 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-3/37/71-हिन्दी-1 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने हिन्दी में 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हों वे बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी के लिए निर्धारित उत्तीर्ण अंकों के बावजूद भी हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण नहीं समझे जाएंगे। तारीख 20 मार्च, 1972

के कार्यालय ज्ञापन 3/37/71-हिन्दी-1 में किए गए स्पष्टीकरण में आंशिक संशोधन करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि वे लोग जिन्होंने अहिन्दी भाषी राज्यों से मैट्रिक या उसके समतुल्य परीक्षा हिन्दी नियमित विषय लेकर पास की है लेकिन हिन्दी में उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत से कम है तो उन्हें हिन्दी के प्रशिक्षण की अनिवार्य शर्त से छूट पाने वालों की श्रेणी में नहीं माना जाएगा ।

3. अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

वी० पी० सिंह
उप सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार
ऊर्जा मंत्रालय
कोयला विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 30 मई, 1986

संकल्प

का० आ० .....भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) के संकल्प सं० ई-11011/7/84—हिंदी, दिनांक 25 मई, 1985 द्वारा कोयले से संबंधित विषयों पर, हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए पुरस्कार प्रदान करने की एक योजना अधिसूचित की गई थी । इस योजना का नाम "कोयला हिंदी ग्रंथ पुरस्कार योजना" है । इस योजना के अधीन प्रथम और द्वितीय पुरस्कार की राशि क्रमशः रु० 5,000 और रु० 3,000 रखी गई थी । अब यह निर्णय किया गया है कि इन पुरस्कारों की राशि बढ़ाकर क्रमशः रु० 10,000 और रु० 5,000 कर दी जाए ।

इस योजना के संबंध में बाकी शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को जन-साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

(रमेश कुमार)
निदेशक

कृषि पुस्तकों की सूची

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने दि० 6 मार्च 1986 को आयोजित बैठक में कृषि विज्ञान की निम्नलिखित 344 पुस्तकों को खरीदने की सिफारिश की गई है । जानकारी और खरीदने के लिए इन पुस्तकों की सूची राजभाषा भारती में प्रकाशित की जा रही है । कृषि विज्ञान की उन हिन्दी पुस्तकों की सूची जिन्हें संस्थान की राजभाषा समन्वयन समिति की 6 मार्च 1986 को हुई बैठक की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए खरीदने का प्रस्ताव है :—

क्र० सं०	पुस्तक का नाम	लेखक/सम्पादक एवं प्रकाशक का नाम	मूल्य (रु०)
1	2	3	4
1	अन्नपूर्णा धरती	व्हीलर मैकमिलन आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली	10.00
2	आदि कृषि शिक्षक भगवान आदिनाथ	विद्यानंद मुनि, शकुन प्रकाशन, दिल्ली	
3	आपके प्रश्न हमारे उत्तर	राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (बिहार)	
4	कृषि अर्थशास्त्र . . .	राजपाल सिंह सिंघल बुक डिपो, बड़ौत (मेरठ)	12.00
5	कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रबंध . .	रामकृष्ण पाराशर अनुवाद एवं प्रकाशन निदेशालय, गोविंद वल्लभ पंत, कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (उ० प्र०)	13.50
6	कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रबंध . .	हरिदत्त उ० प्र० हिंदी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ	19.00
7	कृषि अर्थशास्त्र का परिचय .	बालकृष्ण रस्तोगी और राजपालसिंह, भारती भवन, बड़ौत (मेरठ)	8.00

1	2	3	4
8	कृषि और सरल विज्ञान	शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश गंगा प्रेस, हरडोई (उ० प्र०)	.60
9	कृषि का अर्थशास्त्र	मानिक चंद्र अग्रवाल, म० प्र०, हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल	12.00
10	कृषि-दीपिका, (कृषि और पशुपालन संबंधी)	नारायण दुलीचंद व्यास, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली	10.00
11	कृषि निर्देशिका	रामनंदन एवं रविप्रताप मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली	2.25
12	कृषि विकास बढते कदम	शक्ति त्रिवेदी किसान फीचर्स, नई दिल्ली	6.00
13	कृषि वित्त के सिद्धांत एवं व्यवहार	हेमचंद जैन म० प्र० हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल	20.00
14	कृषिविज्ञान	शिक्षा विभाग, उ० प्र० स्टैडर्ड बुक डिपो, कानपुर	0.94
15	कृषिविज्ञान के मूल सिद्धांत	क्यू० एल० बग्घा आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली	10.50
16	कृषि सरल विज्ञान	रूपेंद्र बहादुर श्रीवास्तव महात्माराव विजय बहादुर, गोरखपुर, (उ० प्र०)	0.50
17	कृषि सरल सामान्य विज्ञान	जगदीश शरण रस्तोगी और नंद किशोर जैन आदर्श प्रकाशन, आगरा (उ० प्र०)	8.50
18	खेत लहलहाये रे	ओंकारेश्वर दयाल 'नीरद' हिंद साहित्य संसार, दिल्ली	3.00
19	खेती और परमात्मा	हरिकिशनदास अग्रवाल, तुलसी मानस प्रकाशन, बंबई	8.00
20	खेती की समस्यायें और समाधान	महबूब हसन तकनीकी प्रकाशन, इलाहाबाद (उ० प्र०)	6.00
21	खेतों में चार चांद	जगदीश नारायण मेहरोत्रा एस० चांद, नई दिल्ली	3.00
22	घर में कम:खेत में ज्यादा	शक्ति त्रिवेदी भारत कृषक समाज, नई दिल्ली	2.00
23	जय खेती-जय विज्ञान	श्रीचंद जैन किताबघर, दिल्ली	4.00
24	जूनियर विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा	श्यामसुंदर शर्मा, आर० पी० गोयल और गिरिजाशंकर अग्रवाल यंगमैन एण्ड कं० दिल्ली	8.00
25	नवीन कृषि विज्ञान भाग 1, भाग 2	शिवगोपाल मिश्र हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी (उ० प्र०)	
26	नूतन कृषि और सरल विज्ञान	सुशीला भारद्वाज प्रगति प्रकाशन, नजीबाबाद (उ० प्र०)	
27	न्यू स्टार कृषिविज्ञान	जे० पी० सिंह गुरू नानक पुस्तक भण्डार, करनाल	2.00
28	पर्याप्त उत्तम खाद्य	आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली	5.00
29	प्रारंभिक कृषि अर्थशास्त्र	रामकृष्ण पाराशर, अनुवाद एवं प्रकाशन निदेशालय, गो० ब० पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (उ० प्र०)	10,00
30	प्रारंभिक कृषि विज्ञान भाग–1, भाग–2	अजाबसिंह यादव और सुरेशचंद्र यादव, आगरा (उ० प्र०)	3.50 प्रत्येक
31	प्रारंभिक कृषि विज्ञान	राजेंद्र प्रसाद भारती भवन, पटना (बिहार)	9.00
32	फसल विज्ञान	चंद्रिका ठाकुर बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना (बिहार)	20.00
33	बाल कृषि विज्ञान	जगदीश मिश्रा और कमलपंत मिश्रा गणेश बुक डिपो, कानपुर	0.50
34	भरपुर पैदावार	एस० पी० करणवाल, लिटरेसी हाउस, लखनऊ	2.00
35	भारतीय कृषि अर्थ व्यवस्था	सुदर्शन कुमार कपूर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर (राजस्थान)	2.00
36	भारतीय कृषि कहावतें	रामेश्वर "अशांत" हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	8.25
37	भारतीय कृषि का अर्थतंत्र	एन० एल० अग्रवाल राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर (राजस्थान)	35.50
38	भारतीय कृषि की समस्यायें	एच० एस० शर्मा, और राजपाल सिंह रामा पब्लि० हाउस, बड़ौत (मेरठ)	3.75

1	2	3	4
39	माध्यमिक कृषिविज्ञान	अजाबसिंह यादव और सुरेशचंद्र यादव रामप्रसाद एण्ड संस, आगरा (उ० प्र०)	4.00
40	सस्य विज्ञान के आधुनिक सिद्धांत	हरिदत्त, गो० व० पंत कृषि और प्रौद्योगिक वि० वि० पंतनगर	
41	कृषि कोश	वैद्यनाथ पाण्डे	
	भाग–1	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद,	9.00
	भाग–2	पटना	6.50
42	कृषि शब्दावली–1	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली	2.50
43	वृहत पारिभाषिक शब्द-संग्रह कृषि विज्ञान	केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली	29.50
44	भारत की संपदा "प्राकृतिक पदार्थ" 'वैज्ञानिक विश्वकोष'	तुरशन पाल पाठक, प्रकाशन और सूचना निदेशालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	
	खण्ड–1 (अंकोल से औरेटिया)		38.00
	खण्ड–2 (ककाओ से क्षारीय मिट्टियां)		36.00
	खण्ड–3 (खनिज सोते से न्यूराकंथस)		36.00
	खण्ड–4 (पक्षी से प्लैटोस्टोमा)		83.00
	खण्ड–5 (फण्टूमिया से मेरेमिया)		60.00
	खण्ड–6 (मेलपीगिया से रूबस)		80.00
	पूरक खण्ड-पशुधन एवं कुक्कुट पालन)		34.00
	पूरक खण्ड-मत्स्य और मात्स्यिकी		49.00
45	कृषि सांख्यिकी के सिद्धांत	कृष्ण मेहता हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)	64.00
46	आधुनिक प्रायोगिक कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान	राजपाल सिंह वर्मा व जगबीरसिंह रामा पब्लि० हाउस, बड़ौत (मेरठ)	5.50
47	माध्यमिक कृषि रसायनशास्त्र	जे० एन० श्रीवास्तव, एस० चांद, दिल्ली	8.00
48	कृषि जलवायु और कृषि	उदय कुमार वर्मा, किताब महल, इलाहाबाद	4.00
49	उत्तर प्रदेश कृषि	रामकृष्ण पाराशर अनुवाद एवं प्रकाशन निदेशालय, गो० व० पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर	26.00
50	कम्युनिकेशन विहेविधर आफ फार्मर्स	ए० एस० मूर्ति न्यू हाइट्स, नई दिल्ली	35.00
51	कृषि प्रसार के आधारभूत सिध्दान्त	तुरशन पाल पाठक रामा पब्लि० हाउस, बड़ौत (मेरठ)	7.50
52	ग्राम बैठकों का संचालन	के० एन० श्रीवास्तव ओरियंट लांगमैन, नई दिल्ली	1.00
53	ग्रामीण युवक मंडलों का संचालन	के० एन० श्रीवास्तव, ओरियंट लांगमैन, नई दिल्ली	1.00
54	ग्रामीण विकास में योगदान	राम किशोर टण्डन, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मूतवी	1.00
55	प्रसार पुस्तिका	नियोजन एवं विकास विभाग, उ० प्र०, लखनऊ	
56	विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए कार्य विधियां	भगवत प्रसाद चतुर्वेदी, फार्म सूचना इकाई, विस्तार निदेशालय, नई दिल्ली	
57	स्वतंत्रता रजत जयंती वर्ष में कृषि	कृषि विभाग, उ० प्र०, लखनऊ	
58	कृषि	अन्ना साहेब पांडुरंग शिंदे प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली	
59	कृषि में क्रांति	दयाकृष्ण विजय प्रकाशन, दिल्ली	10.00
60	नूतन वैज्ञानिक कृषि	सुरेश चंद्र यादव, कैलाश पुस्तक सदन, ग्वालियर (म० प्र०)	4.50
61	भारत में कृषि उत्पादन की समस्यायें	मंजूर आलम कुरैशी नया सचिवालय, लखनऊ (उ० प्र०)	
62	भारतीय कृषि का अर्थतंत्र	एन० एल० अग्रवाल० राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर (राजस्थान)	35.50

1	2	3	4
63	भारतीय खेती नयायुग	शक्ति त्रिवेदी प्रभात, प्रकाशन, दिल्ली	8.00
64	खरीफ अभियान लखनऊ मण्डल	कृषि विभाग, उ० प्र० लखनऊ	
65	नर्मदा बेसिन का कृषि भूगोल	यशवंत गोविंद जोशी, म० प्र० हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल	8.00
66	मंदसौर जिले में सघन कृषि के तरीके	कृषि विभाग, म० प्र०, इन्दौर	
67	हरियाणा कृषि दर्शन	भालेराम और जे० पी० सिंह गुरु नानक पुस्तक, भण्डार, करनाल (हरियाणा)	6.00
68	आदर्श फार्म	शक्ति त्रिवेदी, शकुन प्रकाशन, नई दिल्ली	8.00
69	आधुनिक फार्म प्रबंध	सिंह और पाण्डेय, रामकृष्ण पाराशर अनुवाद एवं प्रकाशन निदेशालय, गो० ब० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (उ० प्र०)	35.80 35.80
70	प्रायोगिक फसलोत्पादन	रामकृष्ण पाराशर, अनुवाद एवं प्रकाशन निदेशालय, गोविंद ब० पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर (उ० प्र०)	11.25
71	फसल प्रबंध	रामकृष्ण पाराशर, गो० ब० पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर (उ० प्र०)	27.50
72	फार्म प्रबंध: नयी दिशायें	ए० एस० काहलों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	3.30
73	फार्म बहीखाता	कृष्ण मेहता, हरियाणा कृषि विश्व विद्यालय, हिसार	6.75
74	कृषि अभियंत्रण	पंवार एवं रंधावा चौहान, कुक्का पब्लि० हाउस, बडौत (मेरठ)	20.00
75	कृषि ट्रैक्टरों की देखभाल	दयानन्द शर्मा और साथी, हरियाणा कृषि वि० वि० हिसार	4.80
76	कृषि यंत्रशास्त्र	ब्रह्मदेव गुप्त, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली	5.00
77	कृषि शास्त्र की रुपरेखा भाग–1	शिवगोपाल मिश्र व रमेश चंद्र तिवारी, हिंदी प्रचारक, वाराणसी	4.75
	भाग–2 सस्य विज्ञान		4.75
	भाग–3 कृषि इंजीनियरिंग		4.75
	भाग–4		4.75
78	जापान के कृषि औजार	योगेंद्र पारीख, सर्वसेवा संघ, (वाराणसी) (उ० प्र०)	3.50
79	प्रारंभिक कृषि अभियांत्रिकी	रामकृष्ण पाराशर गो० ब० पंत कृषि और प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (उ० प्र०)	
80	फार्म मशीनरी : सरल अध्ययन	रामकुमार कालड़ा, रामा पब्लि० हाउस, बड़ौत (मेरठ)	12.00
81	हजार हाथ (कृषि मशीनें)	शक्ति त्रिवेदी, शकुन प्रकाशन, नई दिल्ली	10.00
82	अम्लीय मृदायें	शिवगोपाल मिश्र, उ० प्र० हिंदी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ	11.50
83	कृषि योग्य क्षेत्र के लिये भूमि संरक्षण कार्यक्रम का अध्ययन	प्रकाशन प्रबंधक, दिल्ली	4.00
84	खेत की तैयारी	रामेश्वर "अशांत", हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	6.00
85	जलवायु और कृषि	उदय कुमार, वर्मा किताब महल, इलाहाबाद (उ० प्र०)	4.00
86	प्रायोगिक मृदा उर्वरता, एवं भूमि उर्वरक	रामकृष्ण पाराशर गो० ब० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (उ०प्र०)	10.50
87	प्रायोगिक मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण	तदैव	13.60
88	प्रायोगिक मृदा विज्ञान	तदैव	7.00
89	प्रायोगिक मृदा सर्वेक्षण	तदैव	9.50
90	भारत में मृदा उर्वरता	तदैव	14.50
91	भारत में मृदा संरक्षण	तदैव	4.65

1	2	3	4
92	मिट्टिया (मृदाएं) : उष्ण कटिबन्धीय एशिया में उनका रसायन तथा उर्वरता	टी० पी० पाठक, प्रेन्टिस हाल आफ इंडिया, नई दिल्ली	15.00
93	मिट्टी का महत्व	भगवत शरण उपाध्याय, ग्रंथमाला, कार्यालय, पटना (बिहार)	1.00
94	मिट्टी के गुण तथा उपयोग	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	2.00
95	मृदा उर्वरता एवं उर्वरक	रामकृष्ण पाराशर, गो० ब० पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंत-नगर (उ० प्र०)	19.50
96	मृदा रसायन के मूल सिद्धांत	महावीर सिंह, रामा पब्लि० हाउस, बड़ौत (मेरठ)	12.50
97	अच्छे बीज	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	1.50
98	बीज उत्पादन एवं प्रमाणीकरण	रतन लाल अग्रवाल, गो० ब० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंत-नगर (उ० प्र०)	22.50
99	बीज उत्पादन एवं विपणन का अर्थशास्त्र	रामकृष्ण पाराशर गो०, ब० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंत-नगर (उ० प्र०)	17.00
100	बीज कामिकी एवं बीज परीक्षण	तदैव	19.50
101	बीज की तैयारी	रामेश्वर 'अशांत', हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	3.00
102	बीज संसाधन	हरिदत्त गो० ब० पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (उ० प्र०)	20.00
103	चारा उत्पादन एवं परिक्षण	रामकृष्ण पाराशर, गो० ब० पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (उ० प्र०)	14.00
104	पादप प्रजनन अभिजनन: सरल अध्ययन	सिंह, रामा पब्ल० हाउस, बड़ौत (मेरठ)	6.00
105	पादप परिस्थितिकी	ओम प्रकाश, रामा पब्लि० हाउस, बड़ौत (मेरठ)	2.50
106	पादप प्रजनन के सिद्धांत	बारू सिंह, रामा पब्लि० हाउस, बड़ौत (मेरठ)	6.50
107	प्रायोगिक पादप प्रजनन	रामकृष्ण पाराशर, गो० ब० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (उ० प्र०)	7.10
108	प्रारंभिक पादप प्रजनन	तदैव	18.76
109	सस्य वर्गीकृत एवं पादप अभिजनन (सरल अयध्यन)	सिंह, रामा पब्लि० हाउस, बड़ौत (मेरठ)	7.50
110	कलम पैबंद लगाना	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	1.50
111	खाद्यन्न भण्डारन एवं हानिकारक जीवनियंत्रण	बिंद्रा प्रसार खरे, गो० ब० पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंत नगर (उ० प्र०)	15.00
112	फसल उत्पादन में मिलवां फसलों का योग	रामगोपाल चतुर्वेदी और अन्य, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	1.25
113	फसल चक्र	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	1.50
114	फसल चक्र	राजेश दीक्षित, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	3.00
115	उन्नत सिंचाई	रामेश्वर "अशांत", हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	6.00
116	खेत-खेत को पानी	वेद मित्र, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली	2.00
117	बड़ी सिंचाई परियोजनाओ का मूल्यांकन	योजना आयोग, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, प्रकाशन प्रबन्धक, दिल्ली	3.20
118	सही सिंचाई-अधिक उपज	रमेंद्र कुमार वाजपेयी शकुन, प्रकाशन, दिल्ली	1.80
119	उर्वरक और खाद	देवकी नंदन पालीवाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	7.50

1	2	3	4
120	खाद एवं उर्वरक	अजाबसिंह, यादव रामप्रसाद, आगरा (उ० प्र०)	3.00
121	खाद की किस्में	राजेश दीक्षित, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	1.50
122	खेत की जान : हरी खाद	प्रेमबिहारी लाल श्रीवास्तव, प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, लखनऊ	
123	धरती की भूख	बृजलाल उनियाल, शकुन प्रकाशन, दिल्ली	3.00
124	धरती की मेहंदी	विजया देसाई, पंचायत और समाज कल्याण निदेशालय, म० प्र०, भोपाल	
125	मिट्टी और खाद	सी० पी० सिन्हा, ज्ञानपीठ, पटना (बिहार)	1.90
126	साग तरकारियों के लिए खाद	कीर्ति सिंह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	3.50
127	आपकी पौध संरक्षण पुस्तिका	ओम प्रकाश गुप्ता, विस्तार निदेशालय, खाद्य और कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली	1.50
128	पादप रोग विज्ञान	राजेंद्र कुमार, गो० ब० पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर उ०प्र०	30.00
129	पादप रोगविज्ञान	वी० पी० सिंह व साथी, रामा पब्लि० हाउस, बड़ौत (मेरठ)	19.05
130	फसल की देख-भाल	शक्ति त्रिवेदी, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली	6.00
131	फसल व पौधों की सुरक्षा के उपाय	राजेश दीक्षित, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	12.00
132	फसल संरक्षण	उद्यम प्रकाशन, नागपुर	5.00
133	फसलों के रोग	अमरनाथ मुखोपाध्याय और अन्य, गो० ब० पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (उ० प्र०)	16.75
134	फसलों के रोग एवं नियंत्रण	आर० प्रसाद व साथी, उ० प्र० हिंदी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ	7.00
135	भारत में नींबू वर्गीय पेड़ों का उल्टा सूखा रोग	रामगोपाल चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।	3.00
136	वनस्पति संरक्षण	ओ० पी० सिंह, जयप्रकाश नाथ एण्ड कं०, मेरठ	9.00
137	सब्जियों के रोग	रामकृष्ण पाराशर, गो० ब० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर	
138	कवक	ब्रजवल्लभ अग्रवाल, म० प्र० हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल	15.00
139	कवकनाशी एवं पादप रोगनियंत्रण	विनोद चंद्र विद्यालंकार, गो० ब० पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर	15.00
140	कवक विज्ञान	सूर्यनारायण; राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर	20.50
141	अपतृण विज्ञान (घासपात विज्ञान) भाग-1 व भाग 2	चंद्रिका ठाकुर, म० प्र० हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल	40.00
142	अमरबेल का नियंत्रण	कृष्ण मेहता, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	0.60
143	खरपतवार नियंत्रण	ए० एस० यादव, रामप्रसाद, आगरा	4.00
144	खरपतवार नियंत्रण	रामकृष्ण पाराशर, गो० ब० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर	21.00
145	अधिक कीट शास्त्र	ओ० पी० सिंह, सिंघल बुक डिपो, बड़ौत (मेरठ)	15.00
146	कीड़ों की कहानी : कीड़ों की जबानी	प्रमोद जोशी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली	5.00
147	कुरी खाने वाला कीड़ा	रामगोपाल चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	5.00
148	कृषि कीट विज्ञान परिचय	प्रेमानंद चंदोला, रामा पब्लि० हाऊस बड़ौत (मेरठ)	9.00
149	कृषि विनाशी कीट और उनका दमन	शैलेंद्र कुमार "निर्मल", बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना	5.50
150	खेती के हानिकारक कीड़े	रामबख्शसिंह "कटियार", प्रबाल प्रकाशन, इलाहाबाद (उ०प्र०)	4.00
151	रेशाफसलों के कीट	बच्चासिंह स्नेहमपचार्जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली	7.90

2		3	4
152	कृमि संधिपाद तथा प्रजीव .	चंद्रवीर शर्मा "शैलज", गो० ब० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (उ० प्र०)	54.60
153	एशियाई फसलों का प्रजनन .	रामकृष्ण पाराशर, गो० ब० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, तनगर.	27.75
154	खरीफ की फसलें . .	छिद्दासिंह और ओमप्रकाश, रामा पब्लि० हाउस बड़ौत (मेरठ) .	14.50
155	खरीफ की फसलें एवं पादप परिस्थितिकी	तदैव	
156	धान्यों की सघन खेती .	अम्बिका सिंह और अन्य, फर्टिलाइजर एसोसियेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली	5.00
157	फसलोत्पादन एवं खरपतवार नियंत्रण	छिद्दासिंह और ओमप्रकाश, रामा पब्लि० हाउस बड़ौत, मेरठ	12.50
158	बिहार में रबी फसलों की पैकेज प्रणाली	राजेंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, पुसा, (बिहार)	1.50
159	भारत की प्रमुख फसलें . .	जे० एन० टंडन राम प्रसाद, आगरा (उ० प्र०)	10.00
160	भारत की फसलें . . .	जयराम सिंह, किताब महल, इलाहाबाद (उ० प्र०)	7.50
161	भारत में रबी की फसलें . .	तेजपाल सिंह, कुक्का पब्लि० हाउस, बड़ौत (मेरठ)	5.00
162	रबी की फसलें . . .	छिद्दासिंह, रामा पब्लि० हाउस, बड़ौत, मेरठ	10.50
163	सस्यविज्ञान . .	जगन्नाथ सिंह, नंदकिशोर एण्ड संस, वाराणसी	22.50
164	सस्यविज्ञान के मूलभूत सिद्धांत .	उदय कुमार वर्मा, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना	17.00
165	सस्यविज्ञान के सिद्धांत एवं फसलें .	छिद्दासिंह, रामा पब्लि० हाउस, बड़ौत (मेरठ)	25.00
166	सस्यविज्ञान के सिद्धांत एवं रबी की फसलें	तदैव	20.50
167	सस्यविज्ञान व मृदा प्रबंध के सिद्धांत एवं फसलें 2	तदैव	22.50
168	अनाजों का राजा-गेहूँ .	वसंत कुमार, शकुन प्रकाशन, दिल्ली	3.00
169	गेहूँ की कहानी . . .	इंद्रजीत लाल, हरी क्रांति एंटरप्राइज, नई दिल्ली	6.00
170	गेहूँ की खेती . . .	राजेश दीक्षित, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	6.00
171	जौ की खेती . .	रामेश्वर "अशांत", हिंद पुस्तक, दिल्ली	3.00
172	ज्वार, बाजरा, जौ, चना, मटर, ग्वार, उड़द और मसूर की खेती	राजेश दीक्षित, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली .	3.00
173	धान उगाओ चावल खाओ . .	रत्नसिंह शांडिल्य, शकुन प्रकाशन, दिल्ली	3.00
174	धान की खेती . . .	रामेश्वर "अशांत", हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	3.00
175	धान बीमारियां व नियंत्रण .	श्री कृष्ण मेहता, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	1.00
176	बाजरा, जौ, चना, मटर, मूंग, उड़द और मसूर की खेती	राजेश दीक्षित देहाती पुस्तक भंडार, दिल्ली .	1.50
177	बौने गेहूँ की खेती . .	सं० रमेशदत्त शर्मा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	11.00
178	बौने धान की खेती . .	बसंत कुमार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	1.70
179	मोटे अनाजों की खेती . .	पन्नालाल जायसवाल, शकुन प्रकाशन, दिल्ली	3.00
180	संकर मक्का . . .	राम गोपाल चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	1.40
181	दलहन अनुसंधान नई दिशाएं .	तदैव	5.55
182	दलहन की खेती . .	रामेश्वर "अशांत", हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	6.00

1	2	3	4
183	दलहन की खेती	व्यथित हृदय शकुन प्रकाशन, दिल्ली	
184	मूंगफली की खेती	रामेश्वर "अशांत" हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	3.00
185	सोयाबीन और खिसारी की खेती	रामेश्वर "अशांत" हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	1.50
186	आलू उत्पादन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कोर्स (संक्षिप्त परिचय)	कुलदीप शर्मा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	
187	आलू का अधिक उत्पादन कैसे	तदैव	
188	आलू की खेती	राजेश दीक्षित, देहलि पुस्तक भण्डार, दिल्ली	1.50
189	आलू के विषाणु रोग	रामगोपाल चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	0.90
190	आलू को बीमारियों से कैसे बचायें	कुलदीप शर्मा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला.	
191	आलू में कीट नियंत्रण	कृष्ण मेहता, हरियाणा कृषि विश्व विद्यालय, हिसार	1.00
192	आलू सभी के लिए	कुलदीप शर्मा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	
193	बीज आलू की सुशुप्तावस्था तोड़ना	तदैव	
194	शकरकंद, जिमीकंद, रतालू, कचालू, सुधनी, शंखालू और अरबी की खेती	राजेश दीक्षित, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	3.00
195	कपास	रामगोपाल चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	12.00
196	कपास अनुसंधान : नयी दिशायें	रामगोपाल चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	3.50
197	कपास की खेती	राजेश दीक्षित, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	3.00
198	हरियाणा में कपास की खेती	कृष्ण मेहता, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	4.80
199	जूट और सन की खेती	राजश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	
200	जूट तथा सन की खेती	रामेश्वर "अशांत" हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	3.00
201	भारत में पटसन की खेती	सिद्धनाथ पाण्डेय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	3.00
202	सफेद लट	कृष्ण मेहता, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	1.00
203	ईख और चीनी	फूल देव सहाय वर्मा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना	40.50
204	ईख की सघन खेती	शारदाचरण, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पुसा (बिहार)	1.10
205	मीठा गन्ना : मोटा गन्ना	ब्रह्मदत्त विद्यालंकार, शकुन प्रकाशन, दिल्ली	3.00
206	तम्बाकू की खेती	कांत ऋषि, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	1.50
207	चाय के गुण तथा उपयोग	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	2.00
208	चाय, बरसीम, सेमर, और लहसून की खेती	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	1.50
209	चाय बरसीम, सेमर व लहसून की खेती	रामेश्वर "अशांत" हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	3.00
210	भारतीय चाय	भगवान सिंह राजपाल, दिल्ली	3.75
211	गर्म मसाले की कहानी	गुरबचन सिंह, पंजाबी पब्लि०, जालंधर	1.00
212	जीरा, धनिया, अजवायन की खेती	रामेश्वर "अशांत" हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	3.00
213	मसालों की खेती	रामेश्वर अशांत 'हिंद" पुस्तक भण्डार, दिल्ली	6.00
214	मिर्ची की पैदावार	बी० बी० राठुडकर, उद्यम प्रकाशन, नागपुर	1.50
215	हल्दी और अदरक की खेती	राजेश दीक्षित, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	3.00

1	2	3	4
216	तिलहन की खेती	रामेश्वर "अशांत" हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	3.00
217	सरसों, तोरई, तारामीरा, तारामीरा और अलसी की खेती	तदैव	3.00
218	सरसों, राई, तोरिया और अलसी की खेती	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	1.50
219	अजवायन के गुण तथा उपयोग	तदैव	2.00
220	केसर के गुण तथा उपयोग	तदैव	2.00
221	गिलोय के गुण तथा उपयोग	तदैव	2.00
222	पान की खेती का आधुनिकीकरण	बलवंतराज जुनेजा; राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	
223	पान के गुण तथा उपयोग	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	2.00
224	पीपल	रामेश बेदी, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली	3.00
225	ब्राह्मी बूटी के गुण तथा उपयोग	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	2.00
226	सर्पगंधा	रामेश बेदी, आमराम एण्ड संस, दिल्ली	3.00
227	सर्पगंधा के गुण तथा उपयोग	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	2.00
228	गोंद और राल	प्रकाशन प्रबंधक, दिल्ली	2.00
229	उपयोगी फलों की खेती	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	3.00
230	उपयोगी फलों की खेती	राजेश दीक्षित, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	6.00
231	फल	नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली	7.50
232	फल परिरक्षण दीपिका	श्याम सुंदर श्रीवास्तव, सेंट्रल बुक हाउस, रायपुर	5.00
233	फलविज्ञान	रामगोपाल चतुर्वेदी, भा० कृ० अनु० परिषद, दिल्ली	14.50
234	फलविज्ञान	राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, भा०कृ०अनु० परिषद, नई दिल्ली	12.90
235	फलों की उपज	ए० ए० अनंत, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	6.00
236	फलों की बागवानी	उद्यम प्रकाशन, नागपुर	6.00
237	फलों के रोग	अमरनाथ मुखोपाध्याय, गो० ब० पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर	16.75
238	बिहार में फलोत्पादन की पैकेज प्रणाली	राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (बिहार)	1.50
239	भारत के प्रमुख फल	लालबहादुर सिंह चौहान, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली	6.00
240	भारत में फलोत्पादन	जयराम सिंह, किताब महल, इलाहाबाद	25.00
241	भारत में शीतोष्ण फलों की बागवानी	रामगोपाल चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	6.75
242	सूख (खुश्क) फलों की खेती	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	1.50
243	हरियाणा में बेर की खेती	कृष्ण मेहता, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	2.10
244	नीबू, संतरा, माल्टा की खेती	रामेश्वर "अशांत" हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	6.00
245	संतरे की बागवानी	तदैव	6.00
246	अंजीर	रामेश बेदी, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली	3.00
247	अंजीर के गुण तथा उपयोग	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	2.00

1	2	3	4
248	चीकू . .	देवकीनंदन पालीपाल भा०कृ०अनु०परि०, नई दिल्ली	0.45
249	आंवला . . .	रामेश बेदी, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली	3.00
250	आंवला के गुण तथा उपयोग .	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	3.00
251	केले की खेती . . .	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	1.50
252	केले के गुण तथा उपयोग .	तदैव	2.00
253	अंगूर उत्पादन . . .	शिवराज सिंह तेबतिया, जनहित प्रकाशन, लखनऊ	15.00
254	अंगूर की खेती . . .	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	1.50
255	अंगूर की खेती . . .	राजेश दीक्षित, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	6.00
256	उत्तर प्रदेश में अंगूर की खेती .	सुरेंद्रनाथ सिंह प्रसाद, शिक्षा और प्रशिक्षणब्यूरो लखनऊ	0.40
257	हरियाणा में अंगूर की खेती .	कृष्ण मेहता, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय; हिसार	2.75
258	भारतीय वन अधिनियम मीमांसा .	लक्ष्मणसिंह खन्ना, खन्ना बंधु, देहरादून	6.00
259	भिलावा	रामेश बेदी, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली	3.00
260	वन अभियांत्रिकी (भवन निर्माण) .	लक्ष्मणसिंह खन्ना, खन्ना बंधु, देहरादून	10.00
261	वन उपयोग . . .	तदैव	7.00
262	वन और वानिकी . .	कामता प्रसाद सागरिया, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	4.50
263	वन महोत्सव में क्या लगायें .	दुर्गाशंकर भट्ट, प्रकाशन प्रबंधक, दिल्ली	20.00
264	वनवर्धन . . .	लक्ष्मणसिंह खन्ना, खन्ना बंधु, देहरादून	7.50
265	वनविज्ञान . . .	तदैव	6.00
266	वन वैभव . . .	कामता प्रसाद, ऋज, वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय देहरादून	
267	वनसवक्षण . . .	लक्ष्मणसिंह खन्ना, खन्ना बंधु देहरादून	10.00
268	वृक्षों का संसार . . .	शीला शर्मा, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	1.50
269	प्रकृति संरक्षण और वन्य प्राणी प्रबंध पारिभाषिक शब्दावली	प्रकाशन प्रबंधक, दिल्ली	2.45
270	वन शब्दावली . . .	केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली	3.50
271	आओ क्यारी लगाएं . .	जयप्रकाश भारती, शिक्षण संस्थान, नई दिल्ली	1.60
272	उद्यान कला . . .	रमेश चंद्र श्रीवास्तव, किताब महल, इलाहाबाद	7.50
273	उद्यानविज्ञान . . .	चेतन सिंह, भारती भण्डार, बड़ौत (मेरठ)	12.50
274	उद्यानविज्ञान . . .	जगदीश सक्सेना, गो० ब० पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर	28.00
275	उद्यानविज्ञान . . .	राजेश्वरी प्रसाद चंदोला, स्टुडेंट्स बुक कं०, जयपुर	40.00
276	उद्यान विद्या (बागवानी) .	विजय कुमार शर्मा, कुमार संस, सोलन (हि० प्र०)	6.00
277	उद्यानशास्त्र तथा बागवानी शिक्षण .	एम० एल० वर्मा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा	4.50
278	खेती और बागवानी . .	राजेश दीक्षित, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	8.25
279	खैर . . .	रामेश बेदी, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली	3.00
280	गृह उद्यान . . .	ए० एन० खन्ना, हिंदुस्तान बुक हाउस, कानपुर	1.75
281	घरेलू बागवानी . .	आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली	10.00

1	2	3	4
282	घरेलू बागवानी	श्याम सुंदर पुरोहित, अनुपम पाकेट बुक्स, दिल्ली	3.00
283	परिष्कृत बागवानी एवं क्रियात्मक कार्य	लक्ष्मण कुमार चतुर्वेदी, रामनारायण लाल, बेनीमाधव, इलाहाबाद	3.00
284	बागवानी	कृपाल सिंह भिंडर, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली	3.00
285	बागवानी कला	ईश्वरी प्रसाद गुप्त, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	12.00
286	वैज्ञानिक उद्यानशास्त्र	एस० डी० श्रीवास्तव, सांची प्रकाशन, भोपाल	7.50
287	सरस्वती बागवानी	ए० के० अग्रवाल, सरस्वती प्रकाशन, भोपाल	00.75
288	सुहावने उद्यान	रामगोपाल चतुर्वेदी, भा०कृ०अ० परिषद, नई दिल्ली	19.50
289	आंवला, करोंदा, कमरख, कटहल, कैथ, बेल और शरीफा की खेती	राजेश दीक्षित, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	2.25
290	खीरा-ककड़ी के गुण तथा उपयोग	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	2.00
291	खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, फूट, कचरी और आरिया की खेती	तदैव	2.25
292	खुम्भी (मशरूम) की खेती	बलवंतराज जुनेजा, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	
293	गोभी और टमाटर की खेती	राजेश दीक्षित, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	2.25
294	घरेलू तरकारियों की खेती	तदैव	6.00
295	चौकोनी सेम: एक नयी फली	बलवंतराज जुनेजा, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	
296	टमाटर और पुदीना के गुण तथा उपयोग	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	2.00
297	तरकारी-सागभाजी की खेती	राजेश दीक्षित, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	6.00
298	तोरई के गुण तथा उपयोग	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	2.00
299	तोरई, सेम, करेला और परवल की खेती	तदैव	1.50
300	पंजाब में सब्जियों की काश्त	कृष्ण मेहता, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	1.50
301	पालक, मेथी, बथुआ, सोया, चोलाई, सलाद, धनिया और पोदीना की खेती	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	1.50
302	पेठा, लौकी, काशीफल और टिंडे की खेती	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	1.50
303	प्याज लहसुन की खेती	राजेश गुप्त, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	3.00
304	बिहार में साग-सब्जियों की पैकेज प्रणाली	राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पुसा (बिहार)	1.50
305	भारत में सब्जी उत्पादन	रामकृष्ण पाराशर, गो० ब० पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर	11.00
306	भिण्डी, बैंगन और विलायती सब्जियों की खेती	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	1.50
307	लहसुन की काश्त	कृष्ण मेहता, कृषि सूचना विभाग, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	
308	व्यापारिक फल और तरकारियां	गिरधारी लाल, हिंद समिति, सूचना विभाग, लखनऊ	20.00
309	शकरकंद, जिमीकंद, रतालू, कचालू, सूथनी, शंखालू और अरबी की खेती	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	1.50
310	शलजम, चुकन्दर, मूली, गाजर, प्याज, और लहसुन की खेती	तदैव	1.50

1	2	3	4
311	सब्जियां . . .	सुमंगल प्रकाश, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	11.50
312	सब्जियों की बागवानी . .	उद्यम प्रकाशन, नागपुर	2.50
313	साग-तरकारियों के लिए खाद .	रामगोपाल चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	4.50
314	साग-सब्जी उगाओ . .	लाडली मोहन, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली	8.00
315	हल्दी और अदरक की खेती .	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	1.50
316	आओ गुलाब उगायें . .	स्वदेश कुमार, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली	6.00
317	झूहर के गुण तथा उपयोग . .	राजेश दीक्षित, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	2.00
318	गुलाउदी : राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान की विवरणिका	बलवंतराज जुनेजा, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	4.50
319	फूल-वाटिका . . .	ए० ए० अनंत, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	6.00
320	फूलों का परिचय . .	श्याम सुंदर पुरोहित, किताब घर, दिल्ली	4.00
321	फूलों की बागवानी अर्थात फूलों के झाड लगाना	बनवारी लाल चौधरी, उद्यम प्रकाशन, नागपुर	3.00
322	रंग-बिरंगे फूल . . .	प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली	8.50
323	आधुनिक पशुपालन . .	देवनारायण पाण्डे, विद्या प्रकाशन गृह, इलाहाबाद	7.50
324	पशुपालन . . .	एस० एस० पालन, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली	3.00
325	पशुपालन . . .	रामचरण प्रसाद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना	9.00
326	पशुपालन विज्ञान . .	आर० एस० सिंह, गुरुनानक पुस्तक भण्डार, करनाल	5.20
327	पशुपालन विज्ञान . . .	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	
	भाग–1		7.00
	भाग–2		7.00
328	पशुपालन विज्ञान . .	बी० एन० त्रिपाठी, विकास पब्लि० हाउस, नई दिल्ली	25.00
329	पशु-पोषण के मूल तत्व . .	कृष्ण कुमार गुप्ता, रामा पब्लि० हाउस, बड़ौत (मेरठ)	10.00
330	पालतू पशु . . .	प्रेमकांत भार्गव, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली	4.25
331	पशु प्रजनन एवं कृत्रिम रेतन .	सतीश चंद्र जोशी, म० प्र० हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल	15.75
332	पशु प्रजनन के सिद्धांत . .	एच० सी० गुप्ता, रामा पब्लि० हाउस, बड़ौत (मेरठ)	5.00
333	फार्म पशु प्रजनन एवं उन्नयन .	रामकृष्ण पाराशर, गो० ब० पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर	26.50
334	भ्रूणविज्ञान की प्रयोगशाला पुस्तिका .	चंद्रवीर शर्मा, 'शैलज' गो० ब० पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर	6.00
335	उत्तराखंड के पशुचारक . .	शिव प्रसाद, वीरगाथा प्रकाशन, गढवाल	5.00
336	हरा चारा (कृषि गोपालन का आधार)	परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता, सर्व सेवा संघ, वाराणसी	5.00

1	2	3	4
337	एनीमल हस्बेंड्री . .	विष्णुदत्ता, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली	12.00
338	घरेलू पशु चिकित्सा . .	पूर्णमासी राय, हिंदी साहित्य संसार, दिल्ली	2.00
339	दुधारू पशु उत्पादन एवं चिकित्सा .	एन० एस० कुशवाहा, रामा पब्लि० हाउस, बड़ौत (मेरठ)	11.25
340	पशु आयुर्विज्ञान . . .	देवनारायण पाण्डे, हिंदी प्रकाशन समिति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	30.00
341	पशुओं का घरेल तथा डाक्टरी इलाज	अमोलचंद्र, हिंद पुस्तक भण्डार, दिल्ली	21.00
342	पशुओं की प्राणघातक बीमारियां और उनका इलाज	देव नारायण पाण्डे, सुलोक प्रकाशन, वाराणसी	5.00
343	पशुओं में क्षयरोग का निदान .	एस० वी० एस० शास्त्री, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली .	1.20
344	पशु जीवाणु एवं विषाणु विज्ञान'	डी० एन० पाण्डे, हिंदी प्रकाशन समिति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	
	भाग–1	भाग-1	30.00
	भाग–2	भाग-2	40.00

"प्रादेशिक भाषाएं तथा
राजभाषा हिन्दी
एक दूसरे की
पूरक हैं।"

भा०स०मू०ना०—वि० 7—170 एस०ऑफ एच०ए०/एन०डी०/86—6-11-86—7,000

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, पारामारिबो, सुरीनाम की एक सभा को सम्बोधित करते हुए भारत के राजदूत महामहिम श्री बच्चू प्रसाद सिंह। उनके दाईं ओर है, नीदरलैंड के हिन्दी विद्वान प्रो० दाम्स्त्रेक तथा बाईं ओर हैं डा० सानअधीन एवं कवि श्री० जीत नारायण

भारतीय प्रजातंत्र को सुदृढ बनाने के लिए हिन्दी तथा अपनी भाषा को अपनाइये ।

क्योंकि--

1—राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गंगा है । कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अपनी भाषा में ही अच्छी तरह व्यक्त कर सकता है ।

2—भारत में अनेक उन्नत और साहित्य-समृद्ध भाषाएँ हैं। किंतु हिन्दी सबसे अधिक क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जानेवाली भाषा है ।

3—हिन्दी केवल हिन्दी भाषियों की ही भाषा नहीं रही, वह संपूर्ण भारतीय जनता की अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुकी है ।

4—सर्वोच्च सत्ता प्राप्त भारतीय संसद ने देवनागरी में लिखी जानेवाली हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया है। यह भारत की समस्त जनता का निर्णय है ।

5—संसार की सब भाषाओं में चीनी और अंग्रेजी के बाद हिन्दी ही विशाल जन-समूह की भाषा है ।

6—प्रांतों में प्रांतीय भाषाएँ जनता तथा सरकारी कार्य का माध्यम होंगी, लेकिन केन्द्रीय और अन्तर प्रान्तीय व्यवहार में राष्ट्र-भाषा हिन्दी में ही कार्य होना आवश्यक है ।

7—प्रादेशिक भाषाएँ तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी दोनों एक-दूसरे की पूरक हैं ।

8—प्रादेशिक हिन्दी और राष्ट्रीय हिन्दी कोई चीज नहीं। जिसे आज हिन्दी कहते हैं, वही उत्तरोत्तर विकास करके भारत की समृद्ध गौरवशालिनी राष्ट्रभाषा होगी ।

9—हिन्दी का प्रचार करना राष्ट्रीयता का प्रचार करना हैं। इसे प्रेमपूर्वक अपनाना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है।

10—कोई भी शब्द चाहे वह किसी भी भाषा का हो, यदि वह यहाँ की जनता में प्रचलित है, तो राष्ट्रभाषा हिन्दी का शब्द है।

11—राष्ट्र की एकता के लिए जैसे एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है, उसी प्रकार एक लिपि का होना भी आवश्यक है। नागरी लिपि में वे सभी गुण मौजूद हैं, जो किसी वैज्ञानिक लिपि में होने चाहिए, अतः समस्त प्रादेशिक भाषाओं की एक ही नागरी लिपि हो ।

12— अंग्रेजी को बनाये रखना हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के खिलाफ है। वह हमारे देश में रहने वालों के बीच एक दीवाल है । कौन कहता है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है ? यहाँ अंग्रेजी जाननेवालों से कई गुना संख्या हिन्दी जानने और समझनेवालों की है ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री जयपालसिंह द्वारा लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित ।